द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक ३

१९ नवम्बर, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

239 (Ai) L.S.D.

लोक-सभा
वाद विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २२, १९५८

(१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८)

सत्यमेव जयते

छठा सत्र, १९५८

(खण्ड २२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २६ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२ .	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चैट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध .	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे मे वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव . .	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका .	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२—५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७—५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . . १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२५६—६१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन	२६१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना	२६१—६२
आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य	२६२—६५
आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—	
पुरस्थापित	२६५
विष (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२६५—२६८
खंड २ से ४ और १	२६८—७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७०
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	२७०—८४
गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव	२८५—९८
दैनिक संक्षेपिका	२९९—३०५
अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१	३०७—३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९	३३१—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१०	३३७—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६०—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पाकिस्तान की घटनायें	३६३—६५
सभा का कार्य	३६६
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३६६—८४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा	३८४—४११
दैनिक संक्षेपिका	४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६०८—१०
प्राक्कलन समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन . . .	६१०
१९५५-५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)	६१०
१९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . .	६१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट .	६१०—१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया .	६१२
हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित	६१३
हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . .	६१३
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव .	६१३—३६
सभा का कार्य	६३६
दैनिक संक्षेपिका	६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ .	६४५—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० .	६६९—८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१	६८४—७०९
स्थगन प्रस्ताव—	
रात की गाड़ी में हत्या	७०९-१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७१०-११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	७११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . .	७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१ . — ८३३—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . . — ८५४—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२ — ८६४—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — ८८५

अनुपस्थिति की अनुमति . . . — ८८५

एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख . — ८८६—८७

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव — ८८७—९९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . . . . — ८९९

विधेयक :

पुरस्थापित : . . . — ९००—०३

(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन) . . . . . . — ९००

(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन) . . . . — ९००

(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक . . . . . . — ९००

(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना) . . . . . . — ९०१

(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन) . . . . — ९०१

(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . . . . — ९०१

(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . . — ९०२

(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . . — ९०२

(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) . — ९०२

पृष्ठ

(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) ९०३

मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—

वापस लिया गया . . . ९०३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . . ९०३—२१

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . . ९२१—२२

दैनिक संक्षेपिका ९२३—२८

अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . . ९२९—५२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . ९५२—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३६१ . . . . . ९५६—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ . ९८०—१००६

लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य . १००६—०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १००७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति १००८—१०

सभा का कार्य . . . . १०१०—११

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . . १०११—२९

समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . १०२९—४७

दैनिक संक्षेपिका १०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केंदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवांत्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग—(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज--(क्रमश:)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री ग्र० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---ग्रनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---ग्रनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---ग्रनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (ग्रासनसोल---रक्षित---ग्रनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---ग्रनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (ग्रंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (ग्रमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---ग्रनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प—(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
ोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर—उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमशः)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ें० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता–दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित–अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (मंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
साधू राम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगुजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स--(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले--रक्षित--अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

234-A LSD—2.

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतीन
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बैं० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुकम सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री झूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मथुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री---श्री जवाहरलाल नेहरू
गृह-कार्य मंत्री---श्री गोविन्द वल्लभ पन्त
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री---श्री लाल बहादुर शास्त्री
रेलवे मंत्री---श्री जगजीवन राम
वित्त मंत्री---श्री मोरारजी देसाई
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री---श्री गुलजारी लाल नन्दा
परिवहन तथा संचार मंत्री---श्री स० का० पाटिल
विधि मंत्री---श्री अ० कु० सैन
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री---सरदार स्वर्ण सिंह
सिंचाई और विद्युत् मंत्री---हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री---श्री क० च० रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री---श्री अजित प्रसाद जैन
प्रतिरक्षा मंत्री ---श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री ---श्री सत्य नारायण सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्री---डा० बा० वि० केसकर
स्वास्थ्य मंत्री---श्री दी० प० करमरकर
सहकार मंत्री---डा० पंजाबराव शा० देशमुख
खान और तेल मंत्री---श्री केशव देव मालवीय
पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री---श्री मेहर चन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री---श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री---श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री---श्री ब० ना० दातार
उद्योग मंत्री---श्री मनुभाई शाह
सामुदायिक विकास मंत्री---श्री सुरेन्द्र कुमार डे
शिक्षा मंत्री ---डा० का० ला० श्रीमाली
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री---श्री हुमायन कबिर
राजस्व और असनिक व्यय मंत्री---डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री---सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
श्रम उपमंत्री---श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री—हजारनवीस
वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव—श्री सादत्त अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव—श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड

+

†*६३. { श्री वि० च० शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम आयल कम्पनी की आस्तियां निर्धारित करने वाली समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड औपचारिक रूप से कब निगमित होगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) संस्था की धारायें तथा ज्ञापन के तैयार होते ही आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड निगमित हो जायेगी ।

†श्री वि० च० शुक्ल : इसके निर्धारण के बारे में अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

239-A LSD.—1.

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुझे तो इसमें कोई विशेष विलम्ब हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ समय पूर्व समिति स्थापित की गई थी और अधिकांश बातों पर सर्व सम्मति से समझौता हो चुका है। केवल कुछ एक बातों पर निर्णय करना बाकी है जिसमें शायद दो तीन सप्ताह लग जायेंगे।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : सरकार इस प्रतिवेदन का परीक्षण कब तक कर लेगी ?

†**के० दे० मालवीय** : थोड़े दिनों में।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या यह कम्पनी पैट्रोल और पैट्रोल उत्पादों का वितरण भी करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के निगमन से पूर्व अमरीकन परामर्शदाताओं और स्थान जांच समिति की इस सिफारिश पर विचार करेगी कि तेल शोधक कारखाने को दो भागों में बांटने की बजाये उसे एक ही स्थान पर लगाया जाये ताकि दुहरा पूंजी व्यय न हो।

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया है।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : इस समवाय की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : शायद १५ करोड़ रुपये।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री इस कम्पनी की फार्मेशन और जिस एग्रीमेंट के मुताबिक यह बनाई जा रही है, इत्यादि, सभी चीजें सभा पटल पर रखने का विचार कर रहे हैं या रखेंगे ?

श्री के० दे० मालवीय : इस सिलसिले में कुछ तो बयान दिये जा चुके हैं और जो बाकी माननीय सदस्य चाहेंगे कि उनको भी सभा पटल पर रखा जाए उस पर भी विचार करके मैं रख दूंगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या आसाम आयल कम्पनी द्वारा मशीनें तथा अन्य सामान खरीदने के आंकड़े मूल्यांकन के लिये निर्धारण समिति को उपलब्ध किये गये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक मेरा ख्याल है असल खरीद के पत्रों का परीक्षण लेखा पदाधिकारियों और इस समिति के सदस्यों द्वारा किया जा चुका है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे मालूम हुआ है कि जिस कम्पनी से इस सम्बन्ध में काम करने की बातचीत चल रही है उससे यह तय हुआ है कि जितने समय के लिए लीज़ दी जा रही है उस समय में जहां तेल नहीं निकाला गया था या जहां काम नहीं किया गया था उस जगह की भी लीज़ उसको दी जाएगी, क्या यह सही है ?

श्री के० दे० मालवीय : जी नहीं ऐसी बात नहीं है। जहां जहां लीज़ असम आयल कम्पनी को दी गई थी इस कम्पनी के संगठन के पहले उस पर गवर्नमेंट कायम है और उसी

†मूल अंग्रेज़ी में

क्षेत्र के अन्दर जो तेल निकाला गया है उसी के सम्बन्ध में ही गवर्नमेंट और असम आयल कम्पनी में समझौता हुआ है।

†श्री नरसिंहन् : आयल इंडिया द्वारा जो तेल का उत्पादन होगा उसका वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी इसके बारे में अन्तिम निर्णय किया जाने वाला है।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या तेल के विक्रय के लिये कोई और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाई जायेगी या कि वर्तमान व्यापारिक स्थानों को ही प्रयोग किया जायेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार इन सब बातों पर विचार कर रही है और मैं अभी कोई अन्तिम रूप से उत्तर नहीं दे सकता।

न्याय प्रशासन के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन

+

†*६४.
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री संगण्णा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सूपकार :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या विधि मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्याय प्रशासन में सुधार के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन मिल गया है और सरकार ने उसका परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) प्रतिवेदन तो सरकार को मिल गया है, परन्तु वह बहुत विस्तृत है और उसमें कई महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिये उसके परीक्षण में काफी समय लगेगा, तब आगे कोई कार्यवाही की जायेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत सरकार कोई निर्णय करने से पूर्व वह प्रतिवेदन राज्य सरकारों और उच्चन्यायालयों में परिचालित करके उन की राय का पता लगायेगी ?

†श्री हजारनवीस : उसे राज्य सरकारों में अवश्य परिचालित किया जायेगा क्योंकि कई विषय समवर्ती सूची के हैं और ऐसी हालत में राज्य सरकारों का परामर्श लेना जरूरी होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि विधि आयोग के एक सदस्य, श्री सत्यनारायण राव, ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की हैं और यह कि उन टिप्पणियों के स्वीकार न किये जाने के कारण उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाय?

†**श्री हजारनवीस :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। विधि आयोग में उल्लिखित मामलों का अभी परीक्षण किया जा रहा है।

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों पर विचार करते समय कोई ऐसी कार्यवाही की है जिस से न्याय का स्तर भी न गिरे और मुकदमों का निबटारा भी शीघ्र हो जाये?

†**श्री हजारनवीस :** प्रतिवेदन का अभी परीक्षण हो रहा है।

केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन

+

†*६५.
श्री तंगामणि :
श्री दी० चें० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पाणिग्रही :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री हेम बरुआ :
श्री जाधव :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय वेतन आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री तंगामणि :** गत सत्र में जब यह प्रश्न पूछा गया था तब भी यही उत्तर मिला था । वेतन आयोग स्थापित हुए १५ मास से अधिक समय बीत गया है । आखिर इसका प्रतिवेदन कब मिलेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** आयोग ने बहुत से संघ के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य प्राप्त किया है। उन्हें विशेषज्ञों, सांख्यकीकारों, अर्थशास्त्रियों और सरकार के सचिवों से भी बातचीत करनी है। उन्हें मौखिक साक्ष्य को पूरा करने में अभी और समय लगेगा और उसके बाद वे प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि कर्मचारियों के सभी संघों ने ज्ञापन भेजे हैं और आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया है ? क्या यह भी सच है कि जब से अन्तरिम सहायता दी गई तब से मूल्य और भी बढ़ गये हैं ? क्या सरकार आयोग से आयोग अन्तरिम सहायता देने के लिये कहेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** आयोग ने स्वयं अन्तरिम सहायता की सिफारिश की थी और वह यदि चाहे तो और भी कर सकता है। यह पूर्णतः आयोग के क्षेत्राधिकार में है और सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि इस असाधारण विलम्ब के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष फैल गया है और वे आन्दोलन शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं ? क्या सरकार अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त देने के बारे में विचार करेगी क्यों कि उन्होंने १० रुपये की सिफारिश की थी और सरकार ने उसे ५ रुपये कर दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न के लिए इतनी लम्बी भूमिका की क्या आवश्यकता थी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है । कार्य साधारण गति से हो रहा है। कई संस्थाओं ने साक्ष्य दिया है; अतः इस में समय लगना स्वाभाविक ही था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या वेतन आयोग ने अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त की सिफारिश की है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** वेतन आयोग ने कहा था कि १० रुपये अन्तरिम सहायता के तौर पर दे दिये जायें क्योंकि शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा। परन्तु इतना विलम्ब हो गया है। क्या इस कारण दूसरी किश्त भी दी जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** असाधारण विलम्ब का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वेतन आयोग बड़ी तीव्र गति से कार्य कर रहा है। विलम्ब नहीं हुआ है ; अतः दूसरी किश्त का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या हाल ही में केन्द्रीय वेतन आयोग के सभापति की भेंट वस्त्र, सीमेंट और चीनी उद्योगों के लिये नियुक्त किये गये मजूरी बोर्डों के सभापतियों से हुई थी ; और यदि हां, तो बैठक में किन-किन बातों पर चर्चा की गई ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** क्या सरकार केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये एक अलग वेतन आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** राज्य सरकारों के बारे में केन्द्रीय सरकार को निर्णय नहीं करना है यह काम उन्हीं का है।

†**श्री जाधव :** क्या केन्द्रीय वेतन आयोग ने दायित्व को भी निर्धारित किया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जब तक प्रतिवेदन नहीं मिलता तब तक दायित्व का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मैंने अपने प्रश्न में जो बातें पूछी थीं वे इसमें नहीं हैं। मुझे वह प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हुआ है। अभी तो साक्ष्य लिया जा रहा है। ऐसी अवस्था में माननीय सदस्य यही पूछ सकते हैं कि विलम्ब क्यों हो रहा है। माननीय उपमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है और क्या किसी अन्तरिम सहायता की सिफारिश की गई है। परन्तु ब्यौरे के बारे में प्रश्न पूछना व्यर्थ है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** अगस्त १९५८ तक साक्ष्य समाप्त हो गया था।

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्त्ति) :** नहीं, नहीं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या यह सच है कि सरकार को वेतन आयोग से यह सूचना मिली थी कि प्रतिवेदन के प्रकाशन में और विलम्ब होगा इसलिये अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त दे दी जाये ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** माननीय सदस्य का प्रश्न अफवाह पर आधारित है। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जब वेतन आयोग नियुक्त किया गया था तब यह विचार था कि आयोग कुछ अन्तरिम प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा और भारत सरकार उन पर कार्यवाही करेगी। क्या वेतन आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और उस पर कार्यवाही की गई थी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या केन्द्रीय वेतन आयोग ने कुछ संकेत किया है कि वह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई:** यथासम्भव शीघ्र। शायद तीन या चार मास लग जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकारों के अन्तर्गत जो कर्मचारी हैं उनके वेतनों के बारे में राज्य सरकारों को ही पहल करनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और कुछ अन्य राज्यों ने पे कमिशन और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इसका निर्णय करते समय उनके कर्मचारियों के वेतनों पर भी विचार किया जाय ?

श्री मोरारजी देसाई : पे कमिशन को जो सूचनाएं दी हैं उनमें एक यह भी है कि यह बात भी ध्यान में ली जाय मगर उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्र करना

+

†*६६. **श्री बर्मन** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वोडयार :
श्री हेम राज :
श्री प्र० के० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी में तेल के लिए छिद्र करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितनी गहराई तक छिद्र किये जा चुके हैं;

(ग) क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या उपलब्ध प्राकृतिक गैस की मात्रा निर्धारित की गई है;

(ङ) उस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और तेल की मात्रा का पता लगाने के लिए और कुएं खोदने के बारे में क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(च) प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विदोहन करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). गहरे प्रयोगात्मक कुएं नं० १ की गहराई इस समय २२०१ मीटर और 'स्ट्रक्चरल' कुएं नं० २ की लगभग ८५८ मीटर। 'स्ट्रक्चरल' कुएं नं० १ की खुदाई ८५० मीटर के बाद समाप्त कर दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गहरे कुएं नं० १ की खुदाई से एकत्र किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि (१) कि कुआं १२६२ मीटर की गहराई पर एक 'मेजर थ्रस्ट फाल्ट' में से खोदा गया; (२) उसमें काफी मात्रा में गैस और तेल मिलने की सम्भावना है। इन में से एक से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होने की भी सम्भावना है।

(घ) इस गैस क्षेत्र में गैस की मात्रा निर्धारित करने के लिए कई कुएं खोदने पड़ेंगे।

(ङ) 'स्ट्रक्चरल' छिद्र नं० १ के छिद्रक 'रिग' को ज्वालामुखी में ही एक दूसरे स्थान पर लगाया जा रहा है। आगे का कार्यक्रम प्राप्त होने वाले परिणामों पर निर्भर करेगा।

(च) गैस का वाणिज्यिक विदोहन तभी किया जायेगा जब उसकी मात्रा का पूरा अनुमान तैयार हो जायेगा।

†**श्री बर्मन** : अब कई स्थानों पर खुदाई का काम शुरू किया गया है क्या ज्वालामुखी में इस पर होने वाली लागत में कोई कमी की गई है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ज्वालामुखी क्षेत्र में केवल एक जगह गहरी खुदाई की गई है जो २२०१ मीटर तक पहुंची है और अभी समाप्त नहीं हुई है। दो और जगहों पर खुदाई आरम्भ की गई थी पर एक जगह पर एक दुर्घटना हो जाने के कारण खुदाई बन्द कर दी गई। दूसरी जगह अपेक्षित गहराई तक खुदाई की गई थी और परिणामों को देखा जा रहा है। हमें विश्वास हो गया है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे।

†**श्री वोडयार** : तेल की खुदाई में जो विदेशी विशेषज्ञ हमारी सहायता कर रहे हैं उनकी क्या राय है और खुदाई पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं भारतीय विशेषज्ञों की राय को अधिक महत्व देता हूं क्योंकि हमें जो सहायता मिली है उस से वे बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित हो गये हैं और वे बिल्कुल सही अंदाज लगाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब तक कितना खर्च किया जा चुका है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : देश भर में तेल की खुदाई पर होने वाले खर्च का हिसाब इकट्ठा ही रखा जाता है। परन्तु मोटे तौर पर मेरा ख्याल है कि कम गहरे छिद्र पर ५–१० लाख रुपये और गहरे छिद्र पर ३०–४० लाख रुपये खर्च होते हैं।

†**श्री हेम राज** : खुदाई के पाइप कितनी बार टूटे और उन पर कितने दिन नष्ट हुए?

†**श्री के० दे० मालवीय** : खुदाई का काम कई बार रोकना पड़ा। परन्तु केसिंग एक ही बार टूटा था। अन्य कई दुर्घटनायें हुईं। इन के कारण बहुत दिनों काम नहीं हो सका जो कुल दिनों का ३०–४० प्रतिशत होंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि गैस और तेल की बारह तहें मिली थीं; और यदि हां, तो उसमें से कितनी गैस की थी और कितनी तेल की और कितनी तहों में छिद्र किये जा चुके हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी यह बताना ठीक नहीं होगा। परन्तु यह सही है कि इस गहरे कुएं से १२ तहों का पता चल रहा है। तेल तक पहुंचने के बाद ही "इलैक्ट्रो लागिंग" प्रयोग शुरू किये जा सकते हैं और तब 'पर्फोरेशन' प्रयोग होंगे।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० के० देव : क्या ज्वालामुखी से उपलब्ध होने वाली प्राकृतिक गैस को प्रयोग करने के लिए सरकार के पास कोई योजना मौजूद है ?

†श्री के० दे० मालवीय : ज्वालामुखी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की मात्रा के बारे में हम किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके क्योंकि हम ने वहां पर्याप्त खुदाई नहीं की है । गैस की मात्रा का पता लग जाने पर उसके विदोहन की योजना बड़ी आसानी से तैयार हो जायेगी ।

†श्री राम कृष्ण : क्या यह सच है कि सरकार ज्वालामुखी से दिल्ली तक एक पाइप लाइन बनाने का विचार कर रही है ?

†श्री के० दे० मालवीय : सरकार ने अभी इस योजना पर विचार नहीं किया है ।

†श्री बर्मन : इसका क्या कारण है कि कुओं को थोड़ा खोद कर बन्द कर दिया जाता है ? क्या यह खुदाई करने की योजना में कोई त्रुटि रह जाने से होता है ?

†श्री के० दे० मालवीय : योजना में कोई त्रुटि नहीं थी । ठीक स्थान पर खुदाई की जा रही थी । हमें यह भी पता चल गया था कि वह गैस क्षेत्र के भीतर ही है परन्तु वहां बिचित्र प्रकार की चट्टानें होने के कारण पाइप बन्द हो गया । इसलिए इस क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्र में खुदाई करके आंकड़े एकत्र करना ही ठीक समझा गया । ऐसा कई बार हो ही जाता है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस क्षेत्र में तेल की मात्रा का कोई मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी नहीं ।

†श्री दासप्पा : कितना गहरा खोदना पड़ेगा और इसमें कितना समय लगेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी लगभग ८०० मीटर और गहरा खोदना पड़ेगा ।

†श्री बोस : क्या विशेषज्ञों को भी अपने पहले के अनुभव के आधार पर यह विश्वास है कि प्राकृतिक गैस का अस्तित्व इस बात का द्योतक है कि नीचे तेल होगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : कुएं में गैस मिलने से प्रायः यह आशा की जाती है कि उस में तेल होगा ।

†श्री मोहम्मद इमाम : क्या हम अब यह कह सकते हैं कि हमारी खोज सफल रही और हमें वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी नहीं ।

†श्री कमल सिंह : ज्वालामुखी क्षेत्र में लगभग तीन वर्ष से खुदाई हो रही है । क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि एक अवधि निश्चित कर दी जाये ताकि उसी तिथि अथवा अवधि तक वहां कार्य किया जाये ?

†श्री के० दे० मालवीय : नहीं, श्रीमान्; ऐसे मामलों में तिथि निश्चित करना सम्भव नहीं है । जब तक हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आशा रहेगी तब तक हम खुदाई करते ही जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

+

†*९७. { श्री राम कृष्ण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उसके बाद राज्य सरकारों से न्याय पदाधिकारियों और विधिजीवी लोगों में से उन व्यक्तियों की सूचियां प्राप्त हो गई हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के योग्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सूचियां भारत के मुख्य न्यायधिपति को भेजी गई हैं; और

(ग) क्या अन्तिम अनुमोदित सूची तैयार कर ली गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). ऊपर उल्लिखित प्रश्न का उत्तर देने के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी सब राज्यों से सूचियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या पंजाब सरकार से ऐसी कोई सूची प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो पंजाब सरकार ने किन-किन जजों के नामों की सिफारिश की है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : पंजाब से अभी कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह सूची तैयार करने और इन व्यक्तियों का चुनाव करने में किस कार्यवाही का आधार लिया जाता है। क्या सम्बन्धित व्यक्तियों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सूची राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बनाई जाती है। किसी राज्य सूची के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और जिन व्यक्तियों द्वारा पद स्वीकार किये जाने की संभावना होती है उनके नाम सूची में लिखे जाते हैं। किन्तु किसी भी अवस्था में यथार्थ नियुक्तियों के पहले उन की इच्छा पर अवश्य विचार किया जाता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इन सूचियों को तैयार करने में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का पथ-प्रदर्शन करती है; और यदि हां, तो इन सुझावों का क्या स्वरूप है ताकि सूचियाँ तैयार करने में सब राज्य समान नीति अपना सकें ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : उन्हें कानूनी रूप से समर्थ और संवैधानिक रूप से पात्र होना चाहिये और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर इस प्रतिष्ठित कार्य का वे योग्यतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या उच्चतम न्यायालय के उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया था—उन उम्मीदवारों के नामों पर जो विभिन्न राज्यों से आ कर यहां प्रैक्टिस करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त** : किसी पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर से कितने बुकला को अब तक हाई कोर्ट जज बनाया गया है ? अगर अब तक किसी को नहीं बनाया गया है, तो क्या मुस्तकबिल में उन लोगों का ख्याल किया जायेगा ?

पंडित गो० ब० पन्त : हर बात का ख्याल मुनासिब तौर पर किया जायगा ।

†**श्री आचार** : क्या जिन सूचियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है उन्हें प्रकाशित किया जायेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी नहीं ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि विधि आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में फैल रही व्यापक शिकायत का उल्लेख किया है--विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में--और कुछ शिकायतों का औचित्य भी स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये सूचियां तैयार करते समय उपरोक्त तथ्य की ओर ध्यान देने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया था ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : प्रश्न का प्रारम्भिक भाग मुझे स्वीकार्य नहीं है ।

†**श्री हेम बरूआ** : और उत्तरवर्ती भाग ?

†**श्री साधन गुप्त** : क्या केन्द्रीय सरकार ने उन न्यायाधीशों के चुनाव के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त निर्धारित किये हैं जिन के नाम राज्य सरकारों द्वारा संभरित सूची के अनुसार अखिल भारतीय तालिका में रहेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जिन लोगों के नामों का सुझाव दिया जाता है वे ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जिन्होंने कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद पर काम किया हो, और यदि वे एडवोकेट हैं तो कम से कम इतनी अवधि तक वकालत की हो । फिर इस उच्च पद के लिये अपने राज्यों में वे काफी प्रतिष्ठित होने चाहियें । उच्च न्यायालय सुझाव देगा और फिर बाद में भारत के उच्च न्यायाधीश इन पर विचार करेंगे । मेरा विचार है कि इस से अच्छी सूची तैयार करने में सहायता मिलेगी ।

†**श्री तंगामणि** : क्या राज्य सरकारों को इस आशय के आदेश दिये गये हैं कि वे उन न्यायाधीशों के प्रश्न पर विचार करें जिन के किसी विशेष उच्च न्यायालय में सेवा निवृत्त होने की संभावना हो ? उदाहरणार्थ, मद्रास उच्च न्यायालय में ९ न्यायाधीशों में से एक १९५९ में सेवा निवृत्त होंगे और पांच होंगे १९६० में । क्या इस दिशा में मद्रास राज्य को लिखा गया है तथा मद्रास राज्य सरकार से कितने नाम आमंत्रित किये गये हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरे विचार में माननीय सदस्य का प्रश्न संगत नहीं है । हमें इस से कोई सम्बन्ध नहीं है कि निकट भविष्य में किसी विशेष उच्च न्यायालय में कितने स्थान रिक्त होंगे । हम एक अखिल भारतीय सूची तैयार करना चाहते हैं जिस का रिक्त स्थानों की अवस्था में परीक्षण किया जा सकता है ; और यह आवश्यक नहीं है कि नामनिर्देशित व्यक्तियों की संख्या तथा किसी राज्य में एक, दो अथवा तीन वर्षों की संभावित रिक्तताओं से कोई सम्बन्ध हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसी नृत्य और संगीत

†*६८. **श्री संगण्णा** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी द्वारा उड़ीसी पद्धति के नृत्य और संगीत का अध्ययन और उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस की क्या-क्या सिफारिशें हैं ; और

(ग) सरकार की इस के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री संगण्णा** : क्या संगीत नाटक अकादमी ने संगीत और नृत्य का अध्ययन करने के लिये उड़ीसा राज्य का भ्रमण किया है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : इस प्रश्न का विशेषज्ञ समिति से निर्देश किया गया है उस के बारे में मने १६ सितम्बर को लोक-सभा में जानकारी दे दी थी ।

†**श्री संगण्णा** : क्या इस कार्य के लिये संगीत नाटक अकादमी ने उड़ीसा राज्य का दौरा किया था ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : अकादमी कहीं नहीं जाती है। आवश्यकता होने पर समिति वहां जायेगी।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या इसी बीच उड़ीसा की इस नृत्य पद्धति के प्रचार के लिये विभिन्न सांस्कृतिक निकायों को कुछ रकम दी गई है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : मैं ने इस प्रश्न का पहले उत्तर दे दिया था किन्तु मैं इसे दोहरा देता हूं। गत तीन वर्षों में अनुदान दिये गये हैं और मुझे आशा है कि इस वर्ष भी अनुदान दिया जायगा।

राष्ट्रीय झंडा

†*६९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय झंडे के फहराने के लिये नवीन अनुदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) नये अनुदेश क्या हैं और उन्हें जारी करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पंत)** : (क) और (ख). इस विषय के नवीनतम नियमों की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]. यह नियम नये नहीं हैं किन्तु अस्थायी रूप से प्रयुक्त होने वाले नियमों में संशोधन कर दिया गया है ताकि राष्ट्रीय झंडे का अनावश्यक रूप से प्रयोग न किया जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न के भाग (ख) में मैं ने नवीन अनुदेशों के बारे में पूछा है। उत्तर में बताया गया है कि नये अनुदेश नहीं हैं किन्तु नियमों में संशोधन किया गया है। फिर मैंने पूछा

---

†मूल अंग्रेजी में

था कि "ऐसा करने के क्या कारण हैं" किन्तु उस के लिये कोई कारण नहीं बताये गये हैं। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कारण बताये जा सकते हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : कारण बताये गये हैं किन्तु वे अधिक नहीं हैं। कारण यही है कि अस्थायी रूप से प्रयुक्त हो रहे नियमों में यह निश्चय करने के लिये संशोधन कर दिया गया है कि झंडे का अनावश्यक रूप से प्रयोग न किया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि माननीय गृह-कार्य मंत्री नियमों के अधीन विषय संख्या २—मोटरकारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाना—की ओर निर्देश करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को अपनी कारों पर झंडे लगाने का कोई अधिकार नहीं है जबकि राज्यपाल, भूतपूर्व देशी रियासतों के नरेश, और भारतीय मिशनों के प्रधान अधिकारियों को झंडा लगाने का अधिकार दिया गया है। इस के पीछे क्या सिद्धान्त हैं और क्या प्रधान मंत्री की कार पर झंडा लगाने का कारण वही है जो माननीय गृह-कार्य मंत्री ने व्यक्त किया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी हां। प्रधान मंत्री ने अपनी मोटर कार पर झंडा लगाये रखना पसन्द नहीं किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमान्, हम कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को झंडा लगाने का अवसर उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह मंत्री नहीं बन जाते हैं।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि झंडे का अनुचित रूप से प्रयोग न हो। हम अनुभव करते हैं कि देश में राष्ट्रीय झंडे का प्रयाप्त प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारी आंखों के सामने अन्य अनेक झंडे फहराते रहते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय झंडे को पर्याप्त रूप में फहराया जाये। अतः क्या नियमों में कुछ शिथिलता बरती जायेगी ताकि देश में राष्ट्रीय झंडे का अधिक से अधिक प्रयोग हो।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि अवसरों पर सब व्यक्तियों को राष्ट्रीय झंडे फहराने की इजाज़त है।

†**श्री नाथ पाई** : हम बम्बई में रहने वाले ९ अगस्त को अत्यंत महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। हमने बम्बई के कमिश्नर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आज्ञा मांगी किन्तु उन्होंने दृढ़तापूर्वक मना करदिया। माननीय गृह-कार्य मंत्री के उत्तर से क्या हम यह मान लें कि उपरोक्त अवसर की तरह के दिनों में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी जायेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरा विचार है कि राष्ट्रीय झंडा फहराने का अभिप्राय है देश-भक्ति की भावना व्यक्त करना और कानून के प्रति आदर की भावना दर्शाना ?

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि झंडे का अनावश्यक प्रयोग किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास ऐसे उदाहरण हैं, जिन में झंडे का अनावश्यक प्रयोग किया गया है या प्रदर्शन किया गया है ? यदि नहीं, तो किस कारण से इस विषय में संशोधन की आवश्यकता हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित गो० ब० पन्त : हम ने अपने ही मकानों और अपनी कारों पर लगाना बन्द कर दिया। हम ने समझा कि यह अनावश्यक है। औरों का भी इस तरह से बन्द किया। उस के अलग करने से किसी को नुकसान या तक्लीफ़ नहीं पहुंची।

श्री त्यागी : पैसे बचेंगे।

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

†*७०. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) दिल्ली में बच्चों का अपहरण रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) गत छः महीने में अपहरण के लिये गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या अपहरण करने वाले उपरोक्त व्यक्ति पड़ौसी राज्यों के अपहरणकर्त्ताओं के गिरोह से सम्बन्धित थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) अपहरण रोकने के लिये गुमशुदा व्यक्तियों का विशेष पुलिस दस्ता बनाया गया है।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ३०]**

(ग) गिरफ्तार व्यक्तियों में से तीन पर यह संदेह किया जाता है कि वह दिल्ली और पड़ौसी राज्यों के अपहरणकर्त्ताओं के गिरोह से सम्बद्ध हैं।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या इन मामलों की जांच से यह पता चला है कि अपहृत बच्चों का क्या प्रयोग किया जाता है ?

†**पंण्डित गो० ब०पन्त :** बच्चों के अपहरण के अनेक कारण हैं और यह मामले न्यायालयों के सामने विचाराधीन हैं।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या कुछ ऐसे स्थान भी मालूम हुए हैं जहां उन अपहृत बच्चों को रखा जाता है ; और यदि हां, तो वह स्थान दिल्ली के किस क्षेत्र में पाया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जहां तक मुझे मालूम है कहीं भी इस प्रकार के स्थान नहीं पाये गये हैं।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या लोगों की तलाश करने अथवा समुचित साक्ष्य ढूंढ़ने में कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जी हां, काफी मामले न्यायालय के सामने भेजे गये हैं और कुछ में लोगों को दण्डित किया गया है तथा अन्य पर अभी विचार किया जा रहा है।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से पता लगा है कि १ मई १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९५८ के बीच के छः महीनों में ३६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि अपहरण के कितने मामलों में यह ३६ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित गो० ब० पन्त : १ मई से ३१ अक्तूबर, १९५८ की अवधि में ६९ अपहृत बच्चों में से ५७ अपने माता-पिताओं को वापस लौटाये जा सके थे। अपहरण एवं भगाने के १९५७ में १६५ मामले हुए थे। ३६ में से तीन मामलों में अपराधियों को दंडित किया गया, ३२ व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं और एक मामले में अपराधी अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं, उन के फलस्वरूप पिछले एक दो वर्षों में इस तरह के मामलों की संख्या घटी है या बढ़ी है ?

पंडित गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि घटी होगी। अगर न घटी हो, तो आगे घटनी चाहिये ।

†श्री भ० कृ० गायकवाड़ : अपहृत बच्चों की उम्र क्या थी ?

†पंडित गो० ब० पन्त : उम्र अलग-अलग है। सब समान उम्र के नहीं हैं।

†श्री भ० कृ० गायकवाड़ : अधिकतम और न्यूनतम उम्र बताई जा सकती है।

†पंडित गो० ब० पन्त : स्पष्ट है कि वे कम उम्र के थे।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात के इच्छुक हैं कि कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थीं, उनकी उम्र क्या-क्या थी, इत्यादि ताकि वे भी अपने बच्चों की अपहरण से रक्षा कर सकें ।

†पंडित गो० ब० पन्त : अपराधियों को न्यायालय भेजने के अतिरिक्त पुलिस दस्ते ने ३,३३१ गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़कर उनके माता-पिताओं को सौंप दिया। यह और भी अनेक उपयोगी काम कर रहा है ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आचरण नियम

†*७१. श्री स० म० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा आचरण नियम पृथक् रूप से बना लिये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): यह विषय विचाराधीन है और अभी इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

†श्री स० म० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस प्रयोजन के लिये कोई समिति बनाई गई है ; और यदि हां, तो क्या विभिन्न फेडरेशन और श्रम मंत्रालय इससे सम्बद्ध रहे हैं ?

†पंडित गो० ब० पन्त : कोई समिति नहीं बनाई गई है ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या सरकार गैर औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होने वाले सरकारी सेवा आचरण नियमों में संशोधन एवं रूप-भेद के विषय पर भी विचार कर रही है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : जी नहीं ।

†श्री साधन गुप्त : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि चूंकि हमारा देश प्रजातंत्र है अत : औद्योगिक कर्मचारियों पर राजनीति में भाग लेने के लिये लगाये गये प्रतिबंध समाप्त कर दिये जायें और यदि हां, तो उस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†पंडित गो० ब० पन्त : मुझे आशा है कि औद्योगिक श्रमिकों को राजनीति में पड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। किन्तु जहां तक नियमों का सम्बन्ध है मैंने अभी कहा था कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिये नियमों के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है।

†श्री मोहम्मद इलियास : पुलिस की झूठी रिपोर्ट पर नौकरी से हटाये गये सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : झूठी रिपोर्टों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है और गलत रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

†श्री मोहम्मद इलियास : पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट की कभी जांच नहीं की जाती है। ऐसे अनेक मामले हैं जबकि कर्मचारियों को पुलिस की गुप्त रिपोर्ट पर नौकरी से हटा दिया जाता है। सरकार पुलिस रिपोर्ट की कभी जांच नहीं करती है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को केवल प्रश्न ही पूछना चाहिये तथा सम्मति नहीं देनी चाहिये और न यह कहना चाहिये कि वे किसे उचित समझते हैं।

†पंडित गो० ब० पंत: प्रश्न के स्वरूप से यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य स्वयं निर्णय कर रहे हैं।

†श्री स० म० बनर्जी : मेरी जानकारी यह है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किये जाते हैं और यदि हां, तो उनका वर्गीकृत क्यों नहीं किया गया है ?

†पंडित गो० ब० पंत : तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी निस्संदेह ही सरकारी कर्मचारी हैं।

पूंजी निर्गम नियंत्रण

+

†*७२. { श्री श्री नारायण दास :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्गम नियंत्रण की रियायतों सम्बन्धी सुझावों पर सरकार द्वारा अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुए ह ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार ने इस विषय में अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

†श्री श्रीनारायण दास: क्या मैं इस विषय के सुझावों का यथार्थ स्वरूप जान सकता हूं ?

†श्री मोरारजी देसाई : समय-समय पर अनेक सुझाव दिये जाते हैं। इस बारे में एक परामर्शदात्री समिति है और सुझाव आने पर उनका परामर्श लिया जाता है। अभी तक शायद ही कोई ऐसी राय हो जिसे रद्द कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्री नारायण दास : माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी बातें सरकार के विचाराधीन हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : प्रश्न यह है कि क्या इसे हटा देना चाहिए । अन्यथा जब भी कोई बात रखी जाती है तो समय-समय पर परिवर्तन किये जाते हैं । यदि इन सब परिवर्तनों को व्यक्त किया जाये तो मुझे एक सूची तैयार करनी होगी ?

क्रीड़ा जांच समिति[1]

+

†*७३. { श्री वें० प० नायर :
श्री प्र० के० देव :
श्री बि० च० प्रधान :
श्री रामी रेड्डी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल-कूद की स्थिति आदि की जांच के लिए महाराजा पटियाला की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । यह प्रतिवेदन यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच है कि इस समिति ने, जिन्हें छः महीने के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, प्रतिवेदन इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि उसकी बैठक अभी तक केवल दो बार ही हुई है और इन बैठकों में भी सब सदस्य इसलिए उपस्थित नहीं हो सके कि उनमें से कुछ विदेशों में पहले से ही व्यस्त थे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह सच हो सकता है कि कुछ सदस्य उपस्थित नहीं हो सके । किन्तु इसकी बैठकें हुई हैं तथा एक या दो सदस्य बहुधा अनुपस्थित रहे हैं । इसका यह भी कारण है कि इस समिति में १० या ११ सदस्य हैं । मुझे आशा है कि यह प्रतिवेदन जनवरी के अन्त तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच है कि उपरोक्त समिति द्वारा नियुक्त प्रारूप समिति ने एक अन्तर्कालीन प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जब कि समग्र समिति को उसे देखने का अवसर भी नहीं मिला था ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जब तक सम्पूर्ण समिति इसे नहीं देख लेती है इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Sports Enquiry Committee

†**श्री वें० प० नायर :** जसा निदश पद से मालूम है इस समिति को खेल-कूद के स्तर में कमी के अनेक पहलुओं पर विचार करना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण समिति में वे व्यक्ति सदस्य के रूप में क्यों लिये गये हैं जो १० वर्ष या उससे भी अधिक समय तक खेल-कूद संगठनों के अध्यक्ष रहे हैं जबकि खेल-कदों का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह सर्वथा असंगत प्रश्न है । इस समिति के लिए चुने गये सदस्य सुविख्यात हैं, जैसे, राजकुमारी अमृत कौर, श्री नवल टाटा, जनरल के० एस० तिम्मय्या, श्री जयपाल सिंह और डा० पी० सुब्बरायन—संसद् के दो सदस्य—और दिलीप सिंह जी । इन सब व्यक्तियों ने खेल-कद के विकास में सहयोग प्रदान किया है और इसी आधार पर उन्हें समिति का सदस्य चुना गया है । मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री वें० प० नायर :** इसमें किसी प्रकार का आरोप नहीं है । मैं तो केवल तथ्य का उल्लेख-मात्र कर रहा था ।

†**श्री जयपाल सिंह :** बीच ही में मैं माननीय मंत्री के उत्तर में संशोधन कर दूं । इस समिति की बैठक दो बार नहीं किन्तु तीन बार हो चुकी हैं । प्रारूप समिति ने अन्तर्कालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है किन्तु यह कहना सच नहीं है कि वृहद् समिति को इसकी सूचना नहीं दी गई थी । वस्तुतः हम से उसे देखने के लिए कहा गया था ......

†**श्री वें० प० नायर :** मैं कुछ कह दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि समूची समिति ने प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया था । माननीय मंत्री ने कहा था कि जब तक पूरी समिति उस पर विचार नहीं करती है वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे । श्री जयपाल सिंह का कथन है .....

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री इस बात से सहमत हैं कि समिति के पूरे सदस्य एक बार भी नहीं मिले हैं क्योंकि कुछ सदस्य विदेश चले गये थे ।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं एक और बात कह दूं ? यह कहना सही नहीं है कि वृहद् समिति के पूरे सदस्यों की बैठक एक बार भी नहीं हुई है । यह पहली, दूसरी और तीसरी बार पूरे सदस्यों के साथ मिल चुकी है । नई दिल्ली में दो बार और बम्बई में एक बार समिति के सब सदस्य उपस्थित थे । इसके पश्चात् जनरल तिम्मय्या अमेरिका चले गये; श्री नवल टाटा अमेरिका चले गये और राजकुमारी अमृत कौर भी विदेश में थीं । और जब ये व्यक्ति बाहर गये हुए थे तो स्वाभाविक है कि वे समिति में उपस्थित नहीं रह सकते थे ।

†**श्री प्र० के० देव :** कुछ समय पहले भारतीय शारीरिक शिक्षा कान्फ्रेंस नागपुर में हुई थी । क्या उस कान्फ्रेंस में स्कूल के बच्चों को मुफ्त भोजन देने के अतिरिक्त खेल-कूद के स्तर में वृद्धि का कोई निर्णय किया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री बैरो :** श्री नायर ने एक बात यह भी कही थी कि खेल-कूदों के स्तर में कमी के सम्बन्ध में दो सदस्यों को समिति के समक्ष साक्ष्य देना चाहिए था—और इसका उत्तर नहीं दिया गया है । फिर उन्हें समिति का सदस्य क्यों चुना गया ? खेलों के स्तर का अधःपतन होने के सम्बन्ध में भारतीय हाकी फेडरेशन के चैअरमैन और समिति के चैअरमैन को स्वयं साक्ष्य देना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : आदर की सम्पूर्ण भावना के साथ मैं यह निवेदन कर दूं कि इस सभा में सदस्यों की व्यक्तिगत चर्चा करना उचित नहीं होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : और बात छोड़कर यह बात इस विषय से उत्पन्न नहीं होती है। माननीय सदस्य केवल यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा ।

†श्री नागी रेड्डी : किन्तु यह किस प्रकार हुआ कि जिन व्यक्तियों को साक्ष्य देना चाहिए था वे समिति के सदस्य नियुक्त किये गये हैं ? यह साधारण प्रश्न है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । सामान्य प्रश्न के रूप में कुछ भी पूछा जा सकता है । विशेष प्रश्न तो यह है कि वह अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत कर रहे हैं । हमें इस के उद्गम में नहीं जाना चाहिए कि वे उसकी सदस्यता के पात्र हैं अथवा नहीं । यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । यह असंगत है ।

†श्री वें० प० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति को साक्ष्य लेने का अधिकार था और यदि हां, तो हाकी तथा अन्य खेलों में यह साक्ष्य किनसे एकत्र किया जायेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : समिति ने एक प्रश्नावली जारी की थी और इसे विविध खेल-कद फेडरेशन के पास भेजा गया था और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी समिति ने एकत्र कर ली है ।

दुगडा में कोयला धोने का कारखाना

+

†*७४. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री मुरारका :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस फर्म का क्या नाम है जिसे दुगडा में कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने का ठेका दिया गया है;

(ख) ठेके की क्या रकम है; और

(ग) सिविल इंजीनियरिंग कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). दुगडा में कोयला धोने के कारखाने के ठेके की बातचीत अन्तिम अवस्था में है । यह आशा की जाती है कि सिविल इंजीनियरिंग का प्राथमिक कार्य अगली जनवरी में प्रारम्भ होगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : पिछले बार हमें बताया गया था कि सारी बात का अन्तिम निर्णय अगले कुछ ही दिनों में हो जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि इन तीन महीनों की देर क्यों हो गई ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : प्रविधिक पहलुओं के स्पष्टीकरण में जितना समय लगने की आशा थी उस से अधिक समय लग गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या दुगडा का कोयला धोने का कारखाना दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को धुला हुआ कोयला भेजेगा ? यदि हां, तो क्या यह इस्पात संयंत्र तैयार होने के पूर्व तैयार हो जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विभिन्न इस्पात संयंत्रों को प्रत्येक कोयला धोने के कारखाने से कितना धुला हुआ कोयला भेजा जायगा, इस सम्बन्ध में कोई विशेष अथवा अलग से मात्रा निश्चित नहीं की गई। दुर्गापुर उन इस्पात संयंत्रों में है जिन्हें संभवतः इस कोयला धोने के कारखाने से धुला, कोयला मिलेगा। दुर्गापुर इस्पात परियोजना के लिये उचित प्रकार के कोयले के पर्याप्त संभरण के लिये व्यवस्था की जायेगी।

†**श्री मुरारका** : इस कोयला धोने के कारखाने के प्रभारी व्यक्ति कौन हैं ? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो रूरकेला से प्रभारी व्यक्ति थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : आप का कहना ठीक ही है। कोयला धोने के कारखाने का महाप्रबन्धक वही अधिकारी है जो रूरकेला इस्पात परियोजना का जनरल मैनेजर था।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि उस अधिकारी को रूरकेला में तुलनात्मक रूप से कम सक्षम पाया गया है और उस की बदली कोयला धोने के कारखाने जैसी महत्वपूर्ण परियोजना में कर दी गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह उचित नहीं है कि अधिकारी की अनुपस्थिति में उस पर छींटाकसी की जाय और उस पर आक्षेप लगाया जाये ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मंत्री सभा के अधिकारक्षेत्र पर यह कह कर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि विशेष अधिकारियों की क्षमता अथवा अन्य बातों से संबंधित प्रश्न न पूछे जायें। यह कहना ठीक नहीं है कि चूंकि अधिकारी यहां नहीं हैं अतएव हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। कोई भी सरकारी अधिकारी इस सभा में उपस्थित नहीं रह सकता। अतएव मंत्री महोदय के कहने के अनुसार अधिकारियों के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य कोई औचित्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उन्हें उसे संक्षेप में कहना चाहिये। इस के बाद मैं अपना विनिर्णय दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से एक बार पुनः प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा कर एक बार फिर से नियम पढ़ लें। यदि किसी अधिकारी की अक्षमता अयोग्यता अथवा आचरण के खिलाफ कोई बात उठानी हो तो मंत्री को पूर्व सूचना देनी चाहिये। वास्तव में वे उस का उत्तर देने के लिये बाध्य हैं परन्तु किसी व्यक्तिगत मामले में नहीं वरन् उन सार्वजनिक मामलों में जिन का सम्बन्ध किसी महत्वपूर्ण अधिकारी से हो। यह स्पष्ट है कि माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि वे अभी इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : वे ऐसा कह सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : अधिकारी पर कोई छींटाकसी नहीं हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि अक्षमता के कारण उस की एक स्थान से दूसरे स्थान को बदली कर दी गई है अतः दूसरी जगह भी क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। इस से सम्बन्धित नियम इस प्रकार है :—

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध-रोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिस से कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सकें ।"

मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी सदस्य को आक्षेप नहीं लगाना चाहिये । यदि वे किसी सरकारी नौकर की क्षमता और सच्चाई पर आक्षेप करना चाहते हैं तो उन्हें मंत्री महोदय को पूर्व सूचना देनी चाहिये और तभी वे उस का उत्तर ेंगे ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि सम्बन्धित अधिकारी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता लेकिन उस के बारे में जो कुछ कहा गया है वह न तो मानहानिकारक है और न ही अपराधरोपक । यदि यह कहा जाय कि वह अयोग्य है तो मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि वह योग्य है ।

†**श्री नाथ पाई** : आप ने जो नियम पढ़ा है वह हमारा भविष्य में मार्गदर्शन करेगा । जो प्रश्न पूछा गया है उस में कुछ भी अपराधरोपक नहीं है । प्रश्न सक्षमता के बारे में था और कानूनी तौर पर उस का उल्लेख करना मानहानिकारक अथवा अपराधरोपक नहीं हो सकता । अतएव इस अधिकार का निर्णय आप पर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । ये संगत प्रश्न है । मैंने उन्हें असंगत होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया । यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण परियोजना का प्रभारी है और वह उस कार्य के लिये अयोग्य है तो माननीय सदस्य निश्चय ही यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि वह उसी प्रकार की महत्वपूर्ण परियोजना में दूसरी जगह किस प्रकार योग्य हो सकता है तथा माननीय मंत्री को उस का उत्तर देना चाहिये । परन्तु स्पष्टतः मैं ने यह सोचा था कि माननीय मंत्री को तथ्य नहीं मालूम हैं ; अतएव वे पू सूचना चाहेंगे । मुझे केवल इतना ही कहना था ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : क्या मैं यह बता सकता हूं कि सक्षमता के बारे में राय भिन्न भिन्न हो सकती है ?

†**श्री नाथ पाई** : परन्तु वे मानहानिकारक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य मंत्रालय का प्रभारी नहीं हो सकता । परन्तु वे अन्य सूत्रों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । उन की जानकारी यह है कि एक व्यक्ति अयोग्य पाया गया है । अब यह माननीय मंत्री पर है कि वे यह बतायें कि वह व्यक्ति योग्य है "राय भिन्न भिन्न हो सकती है", ऐसा कहना कोई माने नहीं रखता । मंत्री की राय माने रखती है । वे यह कह सकते हैं कि माननीय सदस्य की जानकारी गलत है । वे कह सकते हैं कि यद्यपि अधिकारी की बदली कर दी गई है तथापि वह योग्य है । प्रश्न द्वारा केवल एक साधारण उत्तर ही चाहा गया था ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक तथ्यों के पहलू का सम्बन्ध है मैं पहिले ही यह जानकारी दे चुका हूं कि कोयला धोने के कारखाने की परियोजना का वर्तमान जनरल मैनेजर वही व्यक्ति है जो रूरकेला इस्पात परियोजना का जनरल मैनेजर था ।

†**श्री नाथ पाई** : उसे बदले जाने का क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, अधीर न हों ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शायद यह कहना उचित न होगा कि जिन स्थानों से किसी व्यक्ति की बदली होती है वे निश्चय ही उन स्थानों पर अयोग्य ही होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**एक माननीय सदस्य** : हम यह नहीं कहते ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रबन्धकारी संवर्ग में परिवर्तन होते ही रहते हैं। कार्य के हित को सर्वोपरि महत्व देते हुए उस व्यक्ति को कोयला धोने के कारखाने की परियोजना का महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया है जो पहिले रूरकेला परियोजना का महाप्रबन्धक था ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उस के बदले जाने का क्या कारण था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में कारण नहीं बताये जा सकते ।

†**श्री बोस** : कोयला धो े के कारखाने की अभिष्ठापित क्षमता क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसा प्रस्ताव है कि वह फी घंटा ५०० से ६०० टन रखी जाय ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या इस विशेष मामले में रूरकेला परियोजना के जनरल मैनजर का तबादला इसलिये कर दिया गया है कि वह इस कार्य के लिये योग्य नहीं था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यही प्रश्न श्री मुरारका ने पूछा था ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमें एक दूसरा व्यक्ति मिल गया जिस के बारे में हम ने यह सोचा कि वह अधिक उपयुक्त रहेगा ।

बिजली की भट्टियों की स्थापना

†*७५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सक्सेना समिति की सिफारिशों के अनुसार लोहे के कबाड़ से इस्पात बनाने के लिये बिजली की भट्टियां स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन विभिन्न राज्यों में बिजली की भट्टियां स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र विचाराधीन है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : सक्सेना समिति की रिपोर्ट बहुत पहिले सन् १९५६ में प्रकाशित हो चुकी है अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन है । हमारी ओर से कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या आसाम और राजस्थान जैसे आभाव वाले क्षेत्रों को अधिमान दिया जायगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मामला अभी भी विचाराधीन है । अतएव इस स्थिति में कुछ बताना उचित नहीं है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : अभी तक कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस की बड़ी भारी सूची है । लगभग ४६ आवेदन पत्र हैं । यदि आप मुझे समय दें तो मैं आप को ब्यौरा बताउंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे केवल संख्या चाहते हैं । संख्या ४६ है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निवेली लिग्नाइट परियोजना की लागत

+

†*७६. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल अनुमानों से निवेली लिग्नाइट परियोजना की लागत कितनी बढ़ गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** उन खनन योजनाओं सहित जोकि चल रही हैं, विभिन्न योजनाओं के लिये अपेक्षित सम्पूर्ण संयंत्र तथा मशीनरी का आर्डर नहीं दिया गया। खदान के भीतर पानी के नियंत्रण, जो कि खुदाई योजना का एक आनुषंगिक भाग है, के संबंध में परीक्षण चल रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि किस प्रकार की मशीनरी मंगाई जाए। इन परिस्थितियों में फिलहाल यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि सम्पूर्ण परियोजना के लागत खर्च कुल कितनी बढ़ती होगी। मोटे तौर यह पर यह विश्वास किया जाता है कि मुख्यतः इस्पात तथा अन्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण तथा जिन देशों से मशीनरी तथा अन्य उपकरण मंगाने हैं वहां की मजूरी की दरों में परिवर्तन हो जाने के कारण तथा भारत में देशी सामग्री की कीमतें बढ़ जाने के कारण भी परियोजना की कुल लागत मूल अनुमान के ६८.९ करोड़ रुपयों से लगभग १० करोड़ रुपये ज्यादा हो जाएगी। इस बढ़ती का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जमीन की ऊपरी सतह खोदने के लिये जर्मनी से जो विशेष प्रकार की मशीनरी मंगाई गई थी उसको निवेली में पाये जानेवाले कड़ी भूमि की तहों के कारण फिर से विशेष रूप से बनवाना पड़ा है।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या मशीनरी को दुबारा इस लिये बनवाना पड़ा है क्योंकि पहिले की डिजाइन ठीक नहीं थीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जैसा कि मैं व्यौरे वार समझाने की कोशिश कर चुका हूं पहिले डिजाइन बनवाने के समय जमीन की सतहों के प्रकार के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं थी और जमीन की तहों की कठोरता की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त हो जाने पर डिजायन को बदलवाना पड़ा है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** माननीय मंत्री ने कहा है कि अनुमानित वृद्धि लगभग १० करोड़ रुपये होगी। मैं जानना चाहती हूं कि इन १० करोड़ रुपयों में विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वास्तव में इसका ठीक-ठीक हिसाब बनाना कठिन है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय महाविद्यालय

†*७७. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय महाविद्यालय की इमारत बनाने के लिये नक्शा तथा अनुमान तैयार कर लिये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नक्शे की अनुमानित राशि क्या हैं ;

(ग) क्या इमारत का निर्माण शुरू हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने महाविद्यालय की इमारत, छात्रावास, कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने तथा फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिये मोटे तौर पर ७३ लाख रुपयों का अनुमान पेश किया है। उस अनुमान की लागत को कम करने की दृष्टि से महाविद्यालय का संचालक बोर्ड उसकी सूक्ष्म जांच कर रहा है। संचालक बोर्ड द्वारा अनुमान का पुनर्रीक्षण हो जाने पर तथा उसकी मंजूरी मिल जाने पर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों का कल्याण

†*७८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १११६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये २.६५ करोड़ रुपयों के अतिरिक्त आवंटन के लिये उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर विचार कर लिया गया है और उसे मंजूर कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मांगी गई सारी राशि राज्य सरकार को दे दी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित २.५५ करोड़ रुपयों तथा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित ३.१८ करोड़ रुपयों के अलावा २.६५ करोड़ रुपयों के अतिरिक्त आवंटन के लिये राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार किया गया था और उसे स्वीकार नहीं किया गया।

केरल की निर्वाचन नामावलियों की जांच

†*७९. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केरल राज्य की निर्वाचन नामावलियों की अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) उस मे क्या पता चला है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग को केरल प्रदेश युवक कांग्रेस समिति, कन्नानूर जिला कांग्रेस समिति तथा कोट्टायम जिला कांग्रेस समिति से इस संबंध में शिकायतें मिली हैं कि निर्वाचन नियमावली के तैयार करने में कुछ अनियमिततायें हुई हैं। तीनों शिकायतें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल, को जांच करने तथा उनके बारे में रिपोर्ट देने के लिये भेज दी गई थीं। जांच का परिणाम निम्नलिखित है :—

केरल प्रदेश युवक कांग्रेस समिति का यह दोषारोपण कि मतदाताओं की सूची में नाम छोड़ दिये गये हैं अस्पष्ट हैं। सरकार की सूचना में कोई विशिष्ट मामले नहीं लाये गये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कन्नानूर जिला कांग्रेस समिति की यह शिकायत कि २१ वर्ष से कम आयु वाले लोगों को शामिल कर लिया गया है, ठीक नहीं है ।

कोट्टयम जिला कांग्रेस समिति की तीसरी शिकायत कि कुछ नामों के मतदाता सूची में शामिल किये जाने पर की गई आपत्ति को वापिस लेने के लिये एक आवेदन-पत्र पर मारपीट की धमकी देकर हस्ताक्षर कराये गये, सही पाई गई; परन्तु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आपत्ति की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, अतएव इसका आपत्तियों के निपटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनका निर्णय उनके गुणावगुणों के आधार पर ही किया गया ।

कोलम्बो योजना

†*८०. { **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सीटल (अमेरिका) में कोलम्बो योजना परामर्शदाता सम्मेलन में जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल गया था उसके सदस्य कौन-कौन थे और उसका नेता कौन था ; और

(ख) इस सम्मेलन में कार्यावलि के किन मुख्य मदों पर चर्चा हुई थी ?

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता तथा सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) श्री ब० रा० भगत वित्त उपमंत्री — नेता

(२) श्री बी० के० नेहरू, आई० सी० एस०,
आर्थिक मामलों के महाआयुक्त, वाशिंगटन—उपनेता

(३) श्री एन० सी० सेनगुप्त, आई० सी० एस० वैकल्पिक,
संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग—नेता और उपनेता

(४) श्री बी० व्ही० राधाकृष्णन्
उप सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग

(५) श्री एस० एस० मराठे,
सहायक आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक कार्य विभाग ।

(६) श्री के० नारायणन् नायर,
उप वित्तिय सहायक,
भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ।

(ख) बैठक के लिये निश्चित अस्थायी कार्यवलि इस प्रकार है :—

(१) कार्य संचालन व्यवस्था ।

(२) अधिकारियों की बैठकों का सिंहावलोकन ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(३) प्रारूप का प्रस्तुत किया जाना वार्षिक प्रतिवेदन :

(क) भाग १, अध्याय १ और २ ।

(ख) भाग २, ग्रामीणक्षेत्र अध्याय ।

(ग) भाग ३, अंशदान और प्रविधिक सहायता ।

(४) राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का प्रादेशिक पहलू ; अनुभव तथा समस्यायें :

(५) प्रविधिक सहायता ; प्रविधिक सहायता की उप समिति की रिपोर्ट ।

(६) कोलम्बो योजना सूचना एकक :
सूचना उप-समिति की रिपोर्ट ।

(७) अगली बैठक की व्यवस्था ।

(८) अन्य कार्यवाही ।

हिमालय के तलहटी क्षेत्र में तेल सर्वेक्षण

*८१. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री दिनांक २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में तथा पंजाब में शिवालिक पर्वत के तलहटी क्षेत्र में इस बीच किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) उन स्थानों में से प्रत्येक के बारे में अब तक किस प्रकार की रिपोर्ट मिली है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है; और

(घ) इस कार्य में और अधिक तेजी लाने और अनुकूल स्थानों पर ड्रिलिंग करने के बारे में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

खान और तेल मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : (क) इस समय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस विषय में अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(घ) होशियारपुर में जो परीक्षणीय ड्रिलिंग हो रही है उसका काम प्रगति पर है । अन्य स्थानों का निर्धारण जो, सर्वेक्षण हो रहे हैं उन पर निर्भर करेगा ।

जम्मू तथा काश्मीर में लिग्नाइट निक्षेप

†*८२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने जम्मू तथा काश्मीर में लिग्नाइट निक्षेपों का जो सर्वेक्षण किया है उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: छिद्रण मशीनों की सहायता से निकोहोम क्षेत्र में लिग्नाइट निक्षेपों की जांच भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही है। प्रतिकूल मौसम होने के कारण छिद्रण का कार्य अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है परन्तु अप्रैल १९५९ में फिर से शुरू कर दिया जायेगा। उसके पूरे हो जाने पर ही जांच के परिणामों का पता चलेगा।

फिर भी यह हिसाब लगाया गया है कि लगभग ३०५ करोड़ टन लिग्नाइट मिलेगा। परन्तु लाभप्रद रूप में निकाले जाने वाले लिनाइट के निक्षेपों की संख्या सीमित है।

दुर्गापुर में फैब्रिकेटिंग शाप

†*८३. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में एक फैब्रिकेटिंग शाप स्थापित करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी ;

(ख) १९५७ और १९५८ में अब तक फैब्रिकेटेड इस्पात के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ; और

(ग) बोकारो तथा अन्य सरकारी परियोजनाओं सहित सम्पूर्ण इस्पात परियोजनाओं के लिये सम्भवतः कितनी फैब्रिकेटेड सामग्री आयात की जाएगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) प्रस्तावित शाप के लिये लगभग २ करोड़ रुपयों की।

(ख) फैब्रिकेटेड इस्पात के निर्माण कार्यों के लिये अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर तीनों इस्पात संयंत्रों के लिये लगभग २५०,००० टन।

यूरोप से युद्धोपकरण की खरीद

†*८४. {
श्री उ० च० पटनायक :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री परूलकर :
श्री र० चं० व्यास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री नल दुर्गकर :
श्री गोरे :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ में एक यूरोपीय सार्थ से खरीदे गये युद्धोपकरण की खरीद के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उससे क्या पता लगा है ;

(ग) क्या सरकार ने उपपत्तियों की परीक्षा कर ली है ;

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) उस युद्धोपकरण की क्या कीमत है जो बेकार साबित हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री मजीठिया)** : (क) से (ङ). अनेकों जांचें हो चुकी हैं। वे पूरी भी हो गई हैं। सम्बन्धित रिपोर्टों पर सरकार ब्यौरेवार विचार कर रही है। रिपोर्ट की परीक्षा पूरी हो जाने पर ही यदि कोई युद्धोपकरण बेकार पाया गया तो उसकी कीमत निर्धारित की जाएगी।

पिघलने वाले कबाड़ लोहे की कीमतें

†*८५. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई सक्सेना समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है कि पिघलने वाले कबाड़ लोहे की कीमतों पर से नियन्त्रण हटा लिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश मंजूर कर ली गई है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार पिघलने वाले कबाड़ लोहे की कीमतों का पुनरीक्षण करने तथा दोनों श्रेणियों के पिघलने वाले कबाड़ लोहे के अन्तर को दूर करने का विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि उस सिफारिश पर गुणों के अनुसार उचित समय पर विचार किया जाएगा। देखिये सरकार का संकल्प संख्या पी० एल० जी० बी---५५ (३३)/५७ दिनांक १३ नवम्बर, १९५७।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नार्थ ब्लाक में आग लग जाना

†*८६. { **श्री वाजपेयी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ अक्तूबर, १९५८ को केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली, के नार्थ ब्लाक में आग लग गई थी;

(ख) उससे कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) क्या आग लगने के कारण जानने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ रेकार्ड की गई फाइलें, दो लकड़ी के वाल-रैक, स्टेशनरी की कुछ वस्तुएं और पुराने पत्रों की कुछ अतिरिक्त प्रतियां जल गई हैं।

(ग) और (घ). मामले की अभी जांच हो रही है।

कन्नड़ उपन्यास "चेन्ना वासव नायक"

†*८७. { **श्री मोहम्मद इमाम :**
श्री अगाड़ी : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने कन्नड़ उपन्यास "चेन्ना वासव नायक" पढ़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनसे अभ्यावेदन किये गये हैं कि वे उसे अन्य भाषाओं में प्रकाशित न करायें; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां, अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है।

(ख) जी, हां।

(ग) साहित्य अकादमी ने निश्चय किया है कि वह उपन्यास का अनुवाद अन्य भाषाओं में नहीं कराएगी।

आयुध कारखानों से चोरी छिपे लाये गये शस्त्रास्त्र

†*८८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कार्यरत डाकुओं से जो शस्त्रास्त्र और गोला बारूद छीना गया है वह उसी प्रकार का है जो खमरिया और जबलपुर के आयुध कारखानों में बनता है; और

(ख) यदि हां, तो उन आयुध कारखानों से शस्त्रास्त्र तथा गोला-बारूद का डाकुओं तक चोरी छिपे पहुंचना रोकने के लिये क्या अतिरिक्त पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये चूना

†*८९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये चूने के किसी स्थायी स्रोत का पता लग गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पहिले के कुछ वर्षों के काम करने की स्थिति में सदैव यह इरादा रहा है कि उड़ीसा राज्य के बरिमिम-पुर हाथीबाड़ी क्षेत्र के वर्तमान संसाधनों से चूना निकाला जाए। जब रूरकेला इस्पात संयंत्र तथा

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दोनों का ही विस्तार हो जाएगा तब यह आवश्यक होगा कि नये साधनों का निश्चय किया जाए। फिलहाल बिहार के शहाबाद जिले तथा उड़ीसा के सम्बलपुर तथा सुन्दरगढ़ जिलों में जांच चल रही है।

दोहरे कराधान को रोकने के लिये करार

†*९०. { **श्री वि० च० शुक्ल :** / **श्री कोडियान :** }

क्या **वित्त** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४ और १०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी धन विनियोजकों को दोहरे कराधान से बचाने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था करने के बारे में यूरोपीय देशों की विभिन्न सरकारों से की जा रही बातचीत अब पूरी हो गयी है और क्या किसी करार पर हस्ताक्षर भी हो गये हैं; और

(ख) यदि नही, तो इस बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

विवरण

इस सम्बन्ध में हुई प्रगति निम्नलिखित है :—

(१) **स्विटजरलैण्ड** : भारत और स्विटज़रलैण्ड के बीच हवाई उपक्रमों पर दोहरे कराधान की रोकथाम करने के लिए करार को विधि का रूप देने के लिए औपचारिक आवश्यक बातें पूरी हो चुकी हैं। भारत के गज़ट, दिनांक १ सितम्बर, १९५८ में प्रकाशित होने के बाद वह करार दोनों देशों में उसी दिन से लागू हो गया है। इस करार की प्रतियां १७ सितम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं।

(२) **डेन्मार्क** : भारत और डेन्मार्क के बीच आय पर दोहरे कराधान की रोकथाम के लिए ३ नवम्बर, १९५८ को नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर एक करार प्रस्तावित किया गया था। अब उसका दोनों सरकारों द्वारा अनुमोदन होना रह गया है। आशा है कि यह काम भी इस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही पूरा हो जायेगा।

ब्रिटेन के साथ भुगतान संतुलन सम्बन्धी स्थिति

†*९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के साथ भारत की भुगतान संतुलन सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यदि स्थिति प्रतिकूल है तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** :(क) अप्रैल-जून १९५८ में, जिसके लिए कि भुगतान संतुलन सम्बन्धी आंकड़े पूर्णरूपेण उपलब्ध हैं, ब्रिटेन के साथ भुगतान संतुलन सम्बन्धी खाते में ५०.५ करोड़ रुपयों का घाटा दिखाया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आशा है कि देश की विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि में कमी को रोकने के लिए हाल ही में की गयी विभिन्न कार्यवाहियों से ब्रिटेन के साथ भुगतान संतुलन सम्बन्धी स्थिति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

नाटकों के रूपों का सर्वेक्षण

†*९२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पाये जाने वाले नाटकों के विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) जी, नहीं। आशा है कि उसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व पूरा हो जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में इंजीनियरिंग कालेज

†*९३. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या कालेज के लिए कोई स्थान चुन लिया गया है और निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(घ) उस पर कितना आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च आयेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (घ). इंजीनियरिंग कालेज की व्योरेवार योजना और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा

†*९४. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विमल घोष : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारियों को विदेश यात्रा के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा को नियमित करने के लिए क्या क्या नियम लागू हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारतीय यात्रियों द्वारा विदेशों में वास्तव में किये जाने वाले खर्च पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) विदेशी मुद्रा व्यापारिक आधारों पर इस शर्त पर दी जाती है कि भारत के रक्षित बैंक अथवा वित्त मंत्रालय को यह विश्वास हो जाये कि व्यापार के लिए विदेश यात्रा करना आवश्यक है।

(ख) विदेशी मुद्रा विभिन्न देशों के लिए न्यूनतम आवश्यक अवधि के लिए निर्धारित राशियों के आधार पर दी जाती है। भारतीय यात्रियों द्वारा विदेशों में वास्तव में किये जाने वाले खर्च पर कोई विशेष नियन्त्रण तो नहीं है, पर हां स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारों पर दी जाने वाली मुद्रा पर नियंत्रण है। इस स्थिति में आवेदनकर्ता को यथासमय वौचरों और बिलों समेत अपने खर्च का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।

सिंगरेनी कोयला खान

†*९५. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री राम कृष्ण : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खानों के विकास में केन्द्रीय सरकार के भाग लेने की शर्तों और निबन्धनों के सम्बन्ध म अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वे निबन्धन और शर्तें क्या क्या हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में इस वर्ष के सितम्बर मास में ही बातचीत प्रारम्भ की गई थी। इस सम्बन्ध में पहले ही पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और निबन्धनों और शर्तों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त सीमा तक फैसला हो चुका है। आशा है कि शीघ्र ही आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में एक करार हो जायेगा।

फैरो-मेंगनीज

†*९६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत से फैरो-मेंगनीज के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है; और

(ख) इस समय भारत किन-किन देशों को फैरो-मेंगनीज का निर्यात कर रहा है; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश में फैरो-मेंगनीज के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) बेल्जियम, बर्मा, यूनान और अमेरिका।

(ग) जी हां, १६०,००० टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

संग्रहालयों का विकास

†*९७. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आठ राज्य सरकारों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में संग्रहालयों के विकास के सम्बन्ध में योजनायें तैयार की हैं;

(ख) क्या किसी और राज्य सरकार ने भी इसी प्रकार की योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) किसी और राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई और प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ?

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तुंग गवेषणा केन्द्र[1]

†*९८. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तुंग गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१**]।

स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) का उत्पादन

†*९९. **श्री वें० प० नायर** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में स्थापित किये जाने वाले तेल शोधक कारखाने में स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) का उत्पादन करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) देश में स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) तैयार करने के लिये क्या क्या अतिरिक्त कार्यवाहियां की जा रही हैं ;

(ग) क्या स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) तैयार करने वाले कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में एक अग्रिम प्रतिवेदन तैयार करने के बारे में किसी सार्थ से कह दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] High Altitude Research Stations.

(ङ) वर्तमान तेल शोधक कारखानों को तेल शोधन के साथ ही साथ स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) तैयार करने के लिये राजी करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जब तक सभी सार्थों से इस बारे में दर प्राप्त नहीं हो जाते और अन्तिम फैसला नहीं कर लिया जाता तब तक ब्यौरे बताना संभव नहीं है ।

(ङ) डिगबोई तेल शोधक कारखाने में स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) पहले से ही तैयार किया जा रहा है । अन्य तेल कारखानों में यह तेल तैयार नहीं हो सकता ।

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड

†*१००. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड के १४वें वार्षिक सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में पुरातत्व मंत्रणा बोर्डों की स्थापना की जाये और विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा संस्थाओं को पुरातत्वीय खुदाई के लिये उत्साहित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) जी, नहीं । परन्तु बोर्ड ने अपने एक पुराने संकल्प पर बल दिया है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध संस्थाओं और शिक्षा केन्द्रों को निश्चित स्वीकृत दिशा में खुदाई करने के लिये मुक्त हाथ से सहायता दी जाये ।

(ख) प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं को खुदाई के लिये अनुदान देने के सुझाव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है और धन उपलब्ध होने पर उन्हें अनुदान भी दिये जा रहे हैं ।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा

†९३. **श्री वि० च० शुक्ल :** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक इंजीनियरिंग सेवा में इस समय प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कितने असैनिक कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) इस समय कितने कर्मचारी अपने वर्तमान ग्रेड में और कितने निचले ग्रेड में स्थायी हैं ; और

(ग) उन्हें वर्तमान ग्रेड में स्थायी न करने के क्या क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामय्या) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

†९४. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उन में से कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ नवम्बर, १९५७ को—

प्रथम श्रेणी के कर्मचारी	१२,५५६
दूसरी श्रेणी के कर्मचारी	१८,५३२
तीसरी श्रेणी के कर्मचारी . . .	७,५१,६३५
चौथी श्रेणी के कर्मचारी	८,२४,६६४
कुल . .	१६,०७,३८७

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मिर्ज़ा गालिब का दिल्ली का मकान

†९५. { **श्री वि० च० शुक्ल** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जा गालिब के दिल्ली के मकान को एक स्मारक का रूप देने के उद्देश्य से उस का अधिग्रहण करने के प्रश्न पर अब अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या फैसला किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कुतुब मीनार में बिजली लगाना

†९६. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार में बिजली लगाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : कुतुब मीनार के भीतरी हिस्से में बिजली लगाने का काम पूरा हो चुका है और मीनार के बाहरी हिस्से पर फ्लड लाइट से रोशनी डालने[1] की योजना अभी बन रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Flood Lighting.

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिये हस्पताल, स्कूल आदि

९७. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें बताई गई हों :

(क) १९५८ में अब तक हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों के लिये कितने हस्पताल, और औषधालय, स्कूल, विश्राम-गृह, बाल कल्याण तथा प्रसूति गृह, वाचनालय तथा खेल के मैदान खोले गये ; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में विकास योजनायें

९८. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें बताई गई हो :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को नियत की गई निधि में से अब तक कितनी रकम व्यय की जा चुकी है ;

(ख) योजना के अन्तर्गत प्रशासन पर (अर्थात् कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ते, और प्रतिकर भत्ते, पैट्रोल आदि) और वास्तविक योजनाओं पर कितना कितना व्यय हुआ ; और

(ग) वर्ष १९५८-५९ के लिये निर्धारित राशि में से अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जल्द से जल्द वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी विभागों में विदेशी

९९. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें बताई गई हों :

(क) भारत के प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रत्येक देश के कितने कितने विदेशी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उन में टेक्निकल और गैर-टेक्निकल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१—क]** ।

हिन्दी की शिक्षा

१००. { श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें बताई गई हों :

(क) सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में अलग-अलग इस समय कितने केन्द्र चल रहे हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) हिन्दी न जानने वाले लगभग कितने कर्मचारी हैं और वे कब तक हिन्दी सीख लेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ख) लगभग ४.५ लाख, इन में सैनिक, औद्योगिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं । ये सभी कब तक हिन्दी सीख लेंगे, यह कहना कठिन है ।

युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक-कार्य

†१०१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध-सामग्री कारखानों में १९५७ में और १९५८ में १ नवम्बर, १९५८ तक व्यक्तियों के लिये असैनिक जिनमें अन्य सरकारी विभाग भी शामिल हैं, कुल कितने मूल्य का कार्य किया गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** :

प्रति वर्ष	असैनिकों के लिये किये गये कार्य का मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५७ . . .	३३०.१२ (अस्थायी)
१९५८ (अगस्त १९५८ तक) . .	२०५.७० (अस्थायी)

प्रतिरक्षा सामग्री

†१०२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों से अब तक कुल कितने मूल्य की प्रतिरक्षा सामग्री खरीदी गयी है और शेष वित्तीय वर्ष में कुल कितने मूल्य की ऐसी वस्तुयें खरीदी जायेंगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** :

उन वस्तुओं की कीमत जिनके लिये ३१-८-१९५८ तक भुगतान किया गया	. २७.५१ करोड़ रुपये
शेष वित्तीय वर्ष में . .	. ५४.४९ करोड़ रुपये

युद्ध सामग्री कारखानों में विदेशी लोग

†१०३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध-सामग्री कारखानों में इस समय कितने विदेशी काम कर रहे हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वे सब ठेके पर काम कर रहे हैं ; और

(ग) उनके ठेके किन तारीखों को समाप्त होने वाले हैं या उनके ठेके पूरे होने की तारीखें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) ११ नौकरी में हैं और ५ अवकाश ग्रहण से पहले की छुट्टी पर हैं ।

(ख) इस समय जो ११ विदेशी नौकरी में हैं उनमें से केवल ४ ठेके पर काम कर रहे हैं । शेष स्थायी कर्मचारी हैं ।

(ग) इन चारों विदेशियों के ठेके क्रमशः : जनवरी १९५९ ; सितम्बर, १९५९; नवम्बर १९५९ और फरवरी १९६० में पूरे होंगे ।

युद्ध-सामग्री कारखानों में औद्योगिक श्रमिक

†**१०४. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध-सामग्री कारखानों के कितने औद्योगिक श्रमिक १९५६-५७ में प्रत्यावर्तित किये गये ; और

(ख) उनमें से कितनों ने अपने प्रत्यावर्त्तन के विरुद्ध १९५७ में और ३० सितम्बर, १९५८ तक अभ्यावेदन किये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १७२९ ।

(ख) अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह अभी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दया की याचिकायें

†**१०५. श्री स० म० बनर्जी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से १ नवम्बर, १९५८ के बीच की अवधि में दया की कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितनी याचिकाओं पर प्राण-दण्ड माफ़ किया गया ; और

(ग) कितनी याचिकायें ठुकरा दी गयीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ जनवरी से १ नवम्बर, १९५८ के बीच की अवधि में प्राप्त हुई दया की याचिकाओं की संख्या १२२ थीं ।

(ख) २६ मामलों में प्राण-दण्ड को आजन्म कारावास के दण्ड में बदल दिया गया ।

(ग) ७६ दया की याचिकायें ठुकरायी जा चुकी हैं और २० अब भी विचाराधीन हैं ।

विदेशों में अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां

†**१०६. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिये कितने विद्यार्थियों को १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक भारत सरकार की छात्र-वृत्तियां मंजूर की गयी हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी छात्र-वृत्तियां दी गयी हैं ; और

(ग) उन विद्यार्थियों पर कितनी राशि व्यय हुई है और कितनी व्यय होने वाली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). १९५७-५८ और १९५८-५९ के विषय में पृथक्-पृथक् अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये चूने का पत्थर

†**१०७. श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये जिस चूने के पत्थर की आवश्यकता होगी वह किस स्रोत से प्राप्त किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये जिस चूने के पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी वह हाथीबाड़ी पूर्ण पानी क्षेत्र से प्राप्त किया जायगा। आशा की जाती है कि पूरी तरह मशीनों से खुदायी का कार्य इस क्षेत्र में १९६० के मध्य तक आरम्भ होगा। इस बीच खुदाई मजदूरों द्वारा की जा रही है। इसकी कमी को पूरा करने के लिये मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी से उनकी बिसरा की चूने के पत्थर की खदान से चूने का पत्थर प्राप्त करने का विशेष प्रबन्ध किया गया है।

शेरशाह सूरी के पिता का मक़बरा

†**१०८. श्री रामकृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐतिहासिक भवन "नरनौल में शेरशाह सूरी के पिता का मक़बरा" जर्जर अवस्था में खड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भवन के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) शेरशाह सूरी के पिता का मक़बरा कोई रक्षित स्मारक नहीं है और उसकी वर्तमान दशा के संबंध में कुछ भी बता सकना संभव नहीं है। पिछली बार जब १९५३ में उसका निरीक्षण किया गया था उस समय उसकी दशा ठीक-सी ही बतायी गयी थी।

(ख) इस मक़बरे को संरक्षण के लिये अस्थायी रूप से चुन लिया गया है।

ताजमहल

†**१०९. श्री रामकृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरे के ताजमहल के परिरक्षण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १९४० के बाद से जब-जब आवश्यक समझा गया सामान्य व विशेष प्रकार की मरम्मतें की गयी हैं और चालू वित्तीय वर्ष में १,०४,५०० रुपये का उपबन्ध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट द्वारा खरीदा गया विमान

†११०. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा खरीदे गये विमान की कुल लागत कितनी है ;

(ख) वह कब खरीदा गया था ;

(ग) उसको कब-कब इस्तेमाल किया जाता है ; और

(घ) उसके चलाने और मरम्मत आदि का वार्षिक व्यय कितना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ५,१९,८९० रुपये । यह विमान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से खरीदा गया था और इसी लिये विदेशी मुद्राओं के रूप में उस पर कुछ भी व्यय नहीं हुआ ।

(ख) अप्रैल, १९५८ में ।

(ग) प्रति सप्ताह औसतन ३० घंटे ।

(घ) अनुमान है कि यह लगभग १ लाख पये होगा ।

स्टील मेल्टिंग शाप्स[1]

†१११. **श्री मुरारका**: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों की भट्टियों (बलास्ट-फर्नेशों) के पानी-कल और स्टील मेल्टिंग शाप्स में शुद्धिकरण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम के अनुसार ही हुआ है ;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) आज तक उस पर कितना व्यय हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). इस्पात कारखानों में कई विभाग होते हैं और ये विभाग कई प्रकार की मशीनों, जल-संभरण, गैस-संभरण और बिजली-संभरण प्रणालियों आदि से मिल कर बनते हैं । इनका व्योरा और वास्तविक प्रगति की बातें ज्यादा करके उन इंजीनियरों के मतलब की हैं जो उस स्थान पर इस काम में लगे हैं । हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सरकार की दिलचस्पी बड़े-बड़े पूरे विभागों में कार्य की प्रगति में है और जब तक व्यौरे की किसी बात पर कम्पनी अथवा सरकार के ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, यह आपसे आप उनके ध्यान में नहीं आती । ऐसा समझा जाता है कि स्टील मेल्टिंग शाप्स या भट्टियों के लिये कोई पृथक् शुद्धिकरण कारखाना या पानी-कल नहीं है । समूचे इस्पात के कारखाने के पानी-कल, जिसमें शुद्धिकरण का कारखाना भी शामिल है, का निर्माण तीनों स्थानों में से प्रत्येक में आरम्भ कर दिया गया है और उसकी प्रगति आमतौर पर संतोषप्रद ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Steel Melting Shops.

सम्भव है कि रूरकेला में ब्रह्मणी नदी पर का वार १९५९ के मानसून से पहले पूरा न हो पाय। लेकिन उसका इस कारखाने के उन कार्य अंशों पर, जो इससे काम लेंगे, प्रभाव नहीं डालेगा ? दुर्गापुर में दामोदर नदी से निकलने वाली पानी की नहर से निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयों को पूरा कर लिया गया है। इनसे इस कारखाने का निर्माण रुक जाने की सम्भावना नहीं है।

इस्पात कारखानों में विदेशी

†११२. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात कारखानों के ठेकेदारों और परामर्शदाताओं के यहां कुल कितने-कितने विदेशी काम कर रहे हैं।

(ख) क्या उनमें से किसी को हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड या सरकार भुगतान करती है ;

(ग) उन्हें रोजगार देने से पहले क्या उनके वेतन के बारे में सरकार से अनुमति ले ली जाती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) ठेकेदारों द्वारा नौकर रखे गये विदेशियों के आंकड़े नहीं रखे जाते। प्रविधिक परामर्शदाताओं ने रूरकेला में ४२, भिलाई में ५५ और दुर्गापुर में ९ विदेशी नौकर रखे हैं।

(ख) इंडियन-जेमेहनशैफ्ट-क्रुप डेमाग के रेज़िडेन्ट इंजीनियर और भारत में काम करने वाले उसके सहायकों के वेतन, भत्ते, यात्रा और चिकित्सा व्यय का भार ७० लाख रुपयों की सीमा तक हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड वहन करता है।

इण्टरनेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने जिन पांच विदेशियों को रख रखा है उनका वेतन वह कम्पनी ही देती है। अन्य चार विदेशियों का वेतन हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड देता है।

(ग) आय-कर सम्बन्धी विनियमों के अधीन किसी विदेशी टेक्नीशियन और उसके भारत-स्थित मालिक के बीच हुए ठेके पर ऐसे सभी मामलों में सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है जिनमें आय-कर से छूट मांगनी हो। जिन विदेशियों का वेतन हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड को देना हो उनकी नौकरी की शर्तों का जिसमें उनके वेतन भी शामिल हैं, हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड से अनुमोदन कराना होता है।

उड़ीसा में स्थान परिवर्त्ती खेती

†११३. **श्री प्र० के० देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जाति क्षेत्रों में स्थान परिवर्त्ती खेती को रोकने के लिये केन्द्रीय अनुदानों में से उड़ीसा सरकार ने १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल कितनी राशि व्यय की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : ७.२१ लाख रुपये।

तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क

†११४. **श्री प्र० के० देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में उड़ीसा के प्रत्येक जिले में तम्बाकू पर कितना उत्पादन-शुल्क बकाया था और कितना जमा हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†११५. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ और १६ फरवरी, १९५८ को हुए राज्य मंत्रियों के सम्मेलन का यह सुझाव, कि सरकार जिन सामान्य गृह-निर्माण सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है उसके १० प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जातियों में से होने चाहियें, संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रियान्वित किया है ;

(ख) अब तक इसे जिन संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया हो उनके और उनके मुहल्लों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

केन्द्रीय अंग्रेजी भाषा संस्था हैदराबाद[1]

†११६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद की केन्द्रीय अंग्रेजी भाषा संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक और कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : हैदराबाद की केन्द्रीय अंग्रेजी भाषा संस्था ने १७-११-१९५८ से कार्य आरम्भ कर दिया है।

वाणिज्यिक शिक्षा का पुनर्गठन

†११७. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्विश्व-विद्यालय बोर्ड, प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त समिति द्वारा वाणिज्यिक शिक्षा के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : वाणिज्य की शिक्षा के समचे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और उसके पुनर्गठन और सुधार के लिये कार्यवाही सुझाने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी है। समिति ने १४ अगस्त, १९५८ को अपनी पहली बैठक की थी और अपना कार्य-क्रम तैयार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Institute of English, Hyderabad.

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-गृह

†११८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विदेशी छात्रों के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-गृह का निर्माण करने में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस गृह में कितने छात्र आ सकेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ३ सितम्बर, १९५८ को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ का उत्तर दिये जाने के बाद से इस सम्बन्ध में और कुछ भी प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) आशा की जाती है कि इस सम्पूर्ण भवन का निर्माण पूरा हो लेने के बाद इसमें लगभग ३०० छात्र रह सकेंगे ।

पंजाब का क्षेत्रीय फार्मूला

†११९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बहादुर सिंह : }

क्या **गृह कार्य मंत्री** १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब क्षेत्रीय समितियां आदेश, १९५७ के अधीन क्षेत्रीय फार्मूले के कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : १८ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर में बताया जा चुका है कि दोनों क्षेत्रीय समितियों ने २६ नवम्बर, १९५७ से अपना कार्य आरम्भ किया था । हिन्दी क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति की अब तक १९ बैठकें हुई हैं और पंजाबी क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति की ९ ।

बाल पुस्तक न्यास

†१२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल पुस्तक न्यास द्वारा अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) १९५९ में किये जाने वाले कार्य की योजना क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री का० ला० श्रीमाली]

विवरण

(क) न्यास ने इस बात की जांच का कार्य आरम्भ किया है कि वह किस प्रकार की पुस्तकें तैयार करें। उसने एक प्रश्नावलि तैयार की थी और उसे शिक्षा शास्त्रियों, विश्व विद्यालयों के कुल-पतियों, स्कूल और कालेजों के प्रधान अध्यापकों, शिक्षा निदेशकों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, लेखकों, कलाकारों आदि के एक प्रतिनिधि अंग के पास भेजा था। उनसे जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनका न्यास अध्ययन कर रहा है।

न्यास में अप्रैल, १९५८ में बच्चों की पुस्तकों की एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की थी। न्यास ने ४० देशों से बच्चों की ४ हजार पुस्तकों का भी एक संकलन तैयार किया है जिसका उपयोग निदेश पुस्तकालय के रूप में किया जा रहा है।

न्यास ऐसे लेखकों और कलाकारों का विवरण भी संकलित कर रहा है जो बच्चों की पुस्तकें लिख सकें और उन्हें चित्रित कर सकें।

(ख) १९५९ के कार्य की योजना इस प्रकार है :

(१) आवंटित हो चुकी भूमि को प्राप्त करना।

(२) न्यास के मुद्रणालय और कार्यालय के लिये उपयुक्त भवनों का निर्माण करना।

(३) तीन से बारह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये प्रावस्था भाजित आधार पर पाठ और चित्रों सहित कम से कम २ दर्जन पुस्तकों के लिये सामग्री तैयार करना।

पंजाब में अफीम की खेती

†१२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अफीम की खेती किस वर्ष से बिल्कुल बन्द होने वाली है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : पंजाब में अफीम तैयार करने के लिये पोस्त की खेती कतई नहीं होती। पोस्त के डोडे और बीज तैयार करने के लिये पोस्त की खेती पर उस राज्य में ३१ मार्च, १९५८ से प्रतिबन्ध लागू है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्राओं का अर्पण :

†१२२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दामानी : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक ने भारत में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों से, जो विदेशी मुद्रायें अर्जित करते हैं, यह कहा है कि वे उसे अर्जन के एक मास के भीतर विनियम नियंत्रण विभाग को अर्पित कर दें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ३१ अक्तूबर, १९५८ तक डालरों और स्टर्लिंग के रूप में कुल कितनी विदेशी मुद्रायें अर्पित की गई हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य-विभाग द्वारा २५ सितम्बर, १९५८ को निकाली गई और ४ अक्तूबर, १९५८ को भारत के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार भारत में या भारत में निवासी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो सभा-पटल पर रखी गई अनुसूची [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७] में वर्णित विदेशी मुद्राओं का भारत में या उस से बाहर के किसी स्थान पर स्वामी हो अथवा विदेशी मुद्रायें रखता हो, या इस के बाद स्वामी बने, अथवा विदेशी मुद्रायें रखे उन्हें स्वयं विदेशी मुद्राओं के अधिकृत व्यापारी को रुपयों के भुगतान के बदले उस दर पर बेचने का प्रस्ताव करना या करवाना होगा जो भारत का रक्षित बैंक इस सम्बन्ध में निर्धारित करे। यह कार्य इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर, या उस व्यक्ति के मामले में जो इस के बाद ऐसी विदेशी मुद्राओं का स्वामी बने या रखे उस के स्वामी बनने अथवा रखने की तिथि से एक मास के भीतर इस कार्य को पूरा करना होगा यह आदेश :

(१) अधिकृत व्यापारियों द्वारा उन के प्राधिकार के क्षेत्र में रखी गई विदेशी मुद्राओं पर ;

(२) भारत के रक्षित बैंक द्वारा व्यापार अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये ऐसी विदेशी मुद्रायें रखने का अधिकार पाये व्यक्तियों पर, उन को दिये गये प्राधिकार की सीमा तक ;

(३) भारत के, अथवा भारत में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो भारत के अधिवासी नहीं हैं भारत के बाहर रखे अथवा चलाये जाने वाले विदेशी मुद्राओं के खातों पर ; और

(४) पौंड स्टर्लिंग में वर्णित किसी खाते में रखी गई किसी भी राशि पर, बशर्ते कि वह खाता ८ जुलाई, १९४७ से पहले से चला आता हो;

लागू नहीं होगा।

(ख) भारत का रक्षित बैंक विनिमय नियंत्रण के जो आंकड़े रखता है उन में इस अधिसूचना के उत्तर में अधिकृत व्यापारियों को बेची गई विदेशी मुद्रायें अलग से नहीं दिखाई जातीं। इसलिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अन्दमान में पुनर्वास

†१२३. { श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५८ में स्यालदा स्टेशन से कुल कितने व्यक्ति अन्दमान भेजे गये ; और

(ख) वहां इन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिये कौन सा ढंग और तरीका अपनाया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) सात सौ इक्कीस व्यक्ति ।

(ख) उपनिवेशन योजना के अधीन बसाये जाने वाले प्रत्येक परिवार को बैलों, बर्तनों, बीजों और खाद खरीदने और मकान बनाने के लिये १७३०) रुपये का ऐसा ऋण दिया जाता है जो बाद में उन से वसूल कर लिया जाता है। इस के अतिरिक्त उन्हें अनुग्रहीत निर्वाह भत्ते और यात्रा व्यय के रूप में १०५०) रुपये का अनुदान दिया जाता है। ऊपर से प्रत्येक परिवार को धान की खेती के लिये ५ एकड़ साफ की हुई भूमि और औद्यानिक तथा चरागाहों के प्रयोजन के लिये बिना साफ की हुई ५ एकड़ पहाड़ी भूमि दी जाती है ।

इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र

†१२४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा कोर्स लेने वाले कितने कितने छात्रों को भारत सरकार से छात्रवृत्तियां अथवा और किसी प्रकार की सहायता मिल रही है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : सीधे भारत सरकार अथवा सरकार से इस योजन के लिये सहायता पाने वाली केन्द्रीय संस्थाओं से छात्रवृत्तियां पाने वाले छात्रों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

डिग्री कोर्स—७१०

डिप्लोमा कोर्स—१

इस के अलावा डिग्री कोर्स के लिये ६९ और डिप्लोमा कोर्स के लिये २४ छात्रवृत्तियों के लिये पाने वालों का चुनाव किया जा रहा है ।

उपर्युक्त छात्रवृत्तियां उन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त दी जाती हैं जो केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को देती है।

क्रोमाइट

१२५. श्री पद्म देव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में क्रोमाइट की कितनी वार्षिक मांग है ;

(ख) क्रोमाइट की कितनी मात्रा प्रतिवर्ष भारत में उत्पन्न की जाती है और कितनी विदेश से आयात की जाती है ; और

(ग) इस में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) १९५८ में १२,८५० टन ।
१९६१ तक....७०,००० टन प्रति वर्ष

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले तीन वर्षों में उत्पादन :—

१९५५ . .	८९,३४९ टन
१९५६ .	५२,६८६ टन
१९५७	७८,५४२ टन

क्रोमाइट का आयात नहीं किया जाता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर

१२६. **श्री पद्म देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया है ; और

(ख) क्या उक्त कालेज के पाठ्यक्रम की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) तथा (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये अनुक्रमणिका संख्या २ ल० टी० १०१२/५८**]

गैर-औद्योगिक कर्मचारियों का स्थायीकरण

१२७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के ८० प्रतिशत गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) सरकार की नीति ऐसे गैर-औद्योगिक पदों में से ८० प्रतिशत को स्थायी बनाने की है जिनकी स्थायी आधार पर आवश्यकता है ८० प्रतिशत गैर-औद्योगिक पदों को स्थायी पदों में बदलने की नहीं ।

(ख) अधिकांश मामलों में कर्मचारियों को स्थायी बनाया जा चुका है। कुछ मामलों में स्थायी पदों पर कर्मचारियों को स्थायी बनाने का काम कुछ प्रशासनिक औपचारिकता के कार्यों, जैसे वरिष्ठता सूचियों का तैयार करना, ऐसे रक्षित स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती करना जिस पर अन्य जातियों के उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया था और इस काम में काफी देर लगती है, स्थायी बनाने के लिये उपयुक्तता की जांच और शारीरिक परीक्षा, जिन की पात्र कर्मचारियों को स्थायी बनाने से पहले पूरा करने की आवश्यकता होती हैं, के कारण रुका हुआ है। दूसरे मामलों में स्थायी आधार पर पदों की आवश्यकताओं का हिसाब लगाया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिरक्षा उत्पादन प्रदर्शनी

†१२८. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५८ में नई दिल्ली में प्रतिरक्षा उत्पादन प्रदर्शनी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च किया गया;

(ग) इस में कितने यूनिटों ने भाग लिया;

(घ) इस प्रदर्शनी को देखने कितने लोग आये और टिकटों से कितनी आय हुई; और

(ङ) क्या सरकार देश के अन्य भागों में भी ऐसी प्रदर्शनियां करने का विचार कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रर्शदनी पर ५७,००० रुपये खर्च हुए ।

(ग) प्रदर्शनी में ९ प्रतिरक्षा संगठनों ने भाग लिया ।

(घ) प्रदर्शनी में ८०,००० लोग आये और टिकटों से १७,४५५ रुपये ५५ नये पैसे की आय हुई ।

(ङ) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

सशस्त्र बलों के लिये नाट्य शाला

†१२९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मथुरा रोड पर प्रदर्शनी के मैदान में प्रतिरक्षा मंत्रालय ने एक नाट्य शाला का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) उसमें कितने व्यक्तियों के बैठने का स्थान है; और

(घ) इसका निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां । यह आडिटोरियम "भारत १९५८ प्रदर्शनी" में प्रतिरक्षा मंत्रालय के 'पैविलियन' का ही अंग है ।

(ख) आडिटोरियम पर लगभग ४ लाख रुपये । इस में बिजली लगाने, शौचालय आदि बनाने, 'साऊंड प्रूफिंग' और फर्नीचर आदि का खर्च भी शामिल है ।

(ग) ५४० ।

(घ) आडिटोरियम के निर्माण का मुख्य कारण एक ऐसे उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान की व्यवस्था करना था जहां सम्मेलन, भाषण और प्रतिरक्षा सेवाओं के प्रदर्शन हो सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व सैनिकों की मंत्रणा समिति

†१३०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से भूतपूर्व सैनिकों की एक मंत्रणा समिति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है;

(ग) समिति की रचना और उसके कृत्य क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). सरकार अभी मामले पर विचार कर रही है। जैसा कि ८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४८ के उत्तर में कहा गया था, इस बारे में कोई निर्णय करने में समय लगेगा ।

भारत में पाकिस्तानीयों का प्रवेश

†१३१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पाकिस्तानियों के बिना पर्मिट प्रवेश को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) १९५८ में, अब तक, कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन बिना किसी पर्मिट आदि के भारत में दाखिल हुए; और

(ग) उन में से कितनों को पर्मिट नियमों का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) (१) सीमा क्षेत्रों में चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है;

(२) चौकियों के साथ चलते फिरते यूनिट रख दिये गये हैं जो सीमा पर कड़ी निगरानी करते हुए गश्त करते रहते हैं;

(३) अनधिकृत प्रवेश की सूचनायें प्राप्त करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

(ख) जुलाई की समाप्ति तक संख्या ८,०४५ थी ।

(ग) इस अवधि में २८१३ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन्हें दण्ड दिया गया ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि

†१३२. **श्री कोडियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को निःशुल्क भूमि दें;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में भूमि का वितरण किया है, और

(ग) कुल कितने एकड़ भूमि का वितरण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) राज्य सरकारों/प्रशासनों को यह मंत्रणा दी गई कि वे भूमि के आवंटन के मामले में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों को प्राथमिकता दें।

(ख) और (ग). इस मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी नीचे दी जाती है :—

(१) अनुसूचित जातियों को भूमि का आवंटन

राज्य	अवधि	एकड़	
बिहार .	मार्च, १९५८ तक	४७,२२०	
राजस्थान . .	अप्रैल, १९५६ से अगस्त, १९५८	*४,२२,४७६	*यह जानकारी केवल १६ ज़िलों की है
बम्बई . .	१९४७–५५	८,५२,९७३	इस में वह भूमि भी शामिल है जो पट्टे पर दी गई है
मध्य प्रदेश . .	१९५४	२,००,०००	यह जानकारी मध्य-भारत प्रदेश में केवल ३ ज़िलों की है।
उड़ीसा . . .	१९५२–५६	२१,६०३	
कुल .		१५,४४,२७२	

(२) अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि का आवंटन

राज्य/राज्य क्षेत्र	अवधि	एकड़
बिहार	उपलब्ध नहीं है	४४,३५०
बम्बई	१९४७ से १९५५	८,९१,५८१
उड़ीसा	१९५४–५५ से १९५५–५६	३५,३६४
त्रिपुरा . .	१९५१–५२ से १९५७–५८	२६,४५३
मनीपुर .	१९५१–५२ से १९५७–५८	५,३३०
	कुल	१०,०३,०७८

अभी अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

†मूल अंग्रेज़ी में

मंत्रियों के दौरे

†१३३ { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में मंत्रियों और उपमंत्रियों के भारत में और विदेशों में दौरो पर कितना खर्च हुआ; और

(ख) इन आंकड़ों का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :

(क)

वर्ष	राशि (रुपये)
१९५५-५६	६·५२ लाख
१९५६-५७	८·२१ लाख
१९५७-५८	५·५७ लाख (लगभग)
कुल	२०·३० लाख

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

†१३४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वोडियार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना काल में समस्त भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने कोई प्रयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). भारत सरकार ने ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की १९६५–६६ तक व्यवस्था करने का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है। इसके ब्यौरे और खर्चे आदि का हिसाब राज्य सरकारों के परामर्श से लगाया जा रहा है।

भारतीय औद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर

†१३५. { श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर के अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार छात्रों को प्रवेश प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर में विस्फोटक पदार्थ

†१३६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ६ अक्तूबर, १९५८ को मनीपुर पुलिस ने इम्फाल से लगभग पांच मील दूर ल्युांगशुंगबम गांव में दो मन से अधिक बारूद बरामद किया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जी हां ।

सोने का तस्कर व्यापार

†१३७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अगस्त से अक्तूबर, १९५८ तक सोने के तस्कर व्यापार के कितने मामलों का पता लगाया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : २८८ ।

पंजाब को लोहे और इस्पात का संभरण

†१३८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५८–५९ में विभिन्न अभ्यंशों के अन्तर्गत पंजाब को लोहे और इस्पात का कुल कितना संभरण किया गया; और

(ख) क्या सम्भरण मांग से बहुत कम था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १–४–५८ से ३०–९–५८ तक पंजाब राज्य को कुल २४,८८३ टन इस्पात, आवंटित किया गया था जिसमें से जुलाई, १९५८ तक ९,२२८ टन भेजा चुका था ।

(ख) जी हां ।

नेपाल को भेजी जाने वाली वस्तुओं का सीमा-शुल्क कर्मचारियों द्वारा रोका जाना

†१३९. **श्री प्र० च० बोस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ अक्तूबर, १९५८ के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुए उस पत्र की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है जो फोर्ड फाउण्डेशन के एक जर्मन इंजीनियर ने काठमांडु, नेपाल से इस बारे में लिखा था कि कलकत्ता में सीमा शुल्क कार्यालय ने कुछ मशीनें ल जाने की अनुमति देने में बहुत विलम्ब कर दिया और मशीनों को क्षति भी पहुंची;

(ख) असल मामला क्या है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जर्मन इंजीनियर ने ये आरोप लगाये हैं :—

(१) कि सीमा शुल्क कर्मचारियों ने उसके निजी सामान को ९ मास तक रोके रखा ;

(२) एक छोटा 'ट्रलग्राइंडर' जो जनवरी, १९५८ में कलकत्ता पहुंचा था वह अक्तूबर, १९५८ में दिया गया ।

(३) कि सीमा शुल्क विभाग नेपाल को भेजी जाने वाली मशीनों को भेजने में विलम्ब करता है ।

इन आरोपों की जांच की गई है और पता चला है कि विलम्ब की जिम्मेदारी सीमा शुल्क विभाग की नहीं थी । जब कभी विलम्ब हुआ तो उसका कारण या तो यह था कि आयात करने वाले के क्लीयरिंग एजेण्ट ने समय पर प्रवेश पत्र नहीं दिया या आयात लाइसेंस नहीं दिखाया था । पत्र में उल्लिखित विलम्ब का यह कारण था कि आयात करने वाले व्यक्ति और उसके एजेंट ने आवश्यक कागजात पेश करने में बहुत अधिक समय ले लिया था ।

(ग) भाग (ख) में बताई गई बातों को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत सेवक समाज

१४०. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक भारत सेवक समाज को सहायक अनुदानों के तौर पर कुल कितनी राशि दी गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अब तक जो जानकारी एकत्र की गई है उसके अनुसार १९५३-५४ से १९५८-५९ तक केन्द्रीय सरकार की निधि में से सहायक अनुदानों के तौर पर कुल ८०,९२,१८० रुपये दिये गये हैं । विभिन्न मंत्रालयों विभागों आदि द्वारा सहायक अनुदानों के तौर पर भारत सेवक समाज को दी गई राशियों का वर्षवार व्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८] अधिकतर अनुदान सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिये ही थे, उदाहरणतः शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में श्रम तथा समाज सेवा कैम्प लगाने के लिये लगभग ६२ लाख रुपये दिये थे ।

उत्कल विश्वविद्यालय

†१४१. श्री पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री २९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल विश्वविद्यालय ने किन परियोजनाओं के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि मांगी गई है ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पर विचार किया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पानी जमा हो जाना

†१४२. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के ग्राम्य क्षेत्रों में पानी जमा हो जाने की समस्या हाल ही में और भी जटिल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कृष्य भूमि में पानी जमा हो गया था ; और

(ग) इस क्षेत्र को पानी से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां। जलागम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण विशेषकर नजफगढ़ के आसपास के क्षेत्र को बहुत हानि पहुंची।

(ख) इस वर्ष लगभग १००० एकड़ भूमि में रबी फसल की बोआई नहीं की जा सकी।

(ग) इस मामले पर विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं। नजफगढ़ नाले में गन्दगी और कड़ा आदि जम गया है उसकी पूरी सफाई की जायेगी और इसकी अन्य सहायक नालियों में से भी रेत मिट्टी निकाल कर उन्हें साफ कर दिया जायेगा ताकि मानसून के बाद नजफगढ़ झील का पानी यथासम्भव शीघ्र यमुना नदी में डाल दिया जाये।

इस्पात पुनर्बेलन कारखाने[1]

†१४३. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४२ के उत्तर को देखते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) इसका व्यौरा क्या है :

(१) अतिरिक्त उपकरण का व्ययादेश;

(२) नमूने में परिवर्तन ;

(३) मजूरी, माल भाड़े, परिवहन और निर्माण व्यय में वृद्धि ;

(४) अतिरिक्त भंडारों की व्यवस्था जिसके कारण रूरकेला के पुनर्बेलन कारखानों को २४ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ;

(ख) इन मूल्यों का परीक्षण किस टैक्नीकल अभिकरण ने किया ; और

(ग) क्या सरकार ने बताये गये मूल्य ही स्वीकृत कर लिये थे या कि उनमें कुछ कमी बेशी की गई थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में बेलन कारखाने के लिये ४८.४४ करोड़ रुपये का प्राक्कलन था। पुनरीक्षत प्राक्कलन में आंकड़े ७२.३६ करोड़ रुपये हैं अर्थात् २३.९२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अगस्त, १९५६ में जर्मनी में बातचीत करते समय इस अन्तर की व्याख्या इस प्रकार की गई :

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Steel Re-rolling Mills.

दोनों प्राक्कलनों का नौतल पर्यन्त निःशुल्क भाग ३२.३७ करोड़ रुपये और ४४.०७ करोड़ रुपये था जिनमें ११.७० करोड़ रुपये का अन्तर था।

(१)	मूल्यों और मजूरी के स्तर में वृद्धि	४.२०
(२)	भट्टियों के मूल्य में वृद्धि *क	.०७४
(३)	बेलन मिलों के मूल्य में वृद्धि *ख	·०३६
(४)	बिजली के उपकरण के मूल्य में वृद्धि *ग	५·७०
(५)	क्रेनों के मूल्य में वृद्धि *घ	०·३६
(६)	इस्पात के ढांचों के मूल्य में वृद्धि *ङ	०·३४

टिप्पणियां

*क स्लैग रिमूवल', 'ऐंकरेज आफ चैम्बर्स' की व्यवस्था करने 'रोलर हार्ट' का विशेष नमूना तैयार करने और आयात किया हुआ होने के कारण रिफैक्टरियों में वृद्धि।

*ख. रोलर टेबलों की अधिक लम्बाई, नमूने में कुछ परिवर्तन, एक और ग्राइंडिंग मशीन, एक और पिण्ड 'बगी', एक अतिरिक्त बायलर होने और 'टिनिंग लाइन' में परिवर्तन।

*ग. सिगनलिंग सिस्टम, मोटर मशीनें और विद्युत उपकरण वह नहीं खरीदा गया था जो कि मूल योजना तैयार करते समय खरीदने का विचार था और व्योरे सम्बन्धी योजना बनाते समय कुछ वृद्धियां की गईं और केबल का मूल्य बढ़ गया। मूल कारण यह था कि तीन प्रसिद्ध निर्माताओं का विद्युत उपकरण खरीद कर उसे अधिक माणक बना लिया गया और उसका संचालन व्यय भी कम कर लिया गया। बिजली की मशीनों और उपकरण में किये गये परिवर्तनों का अनुमोदन इंडियन—जेमीनशेफ्ट के अतिरिक्त इंटरनैशनल केस्ट्रक्शन कम्पनी ने भी किया था।

*घ. तीन अतिरिक्त क्रेन खरीदना, स्लाइडिंग कांट्रेक्ट लाइन की लम्बाई बढ़ाना, 'स्पैन' और भार क्षमता बढ़ाने और 'मोटर रूम वैंटीलेशन' आदि अतिरिक्त उपकरण।

*ङ. बेलन मिल 'बे' की लम्बाई एक 'स्पैन' और बढ़ा देना, 'सोकिंग पिट बे' को बड़ा करना, 'यार्ड गैंट्री' और अतिरिक्त क्षमता के लिये ढांचे का वज़न बढ़ाना।

नये प्राक्कलनों में समुद्री भाड़ा ०.६५ करोड़ रुपये बढ़ गया है क्योंकि सामान अधिक मंगवाया जा रहा है और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार होने के बीच के समय में भाड़ा वैसे भी बढ़ गया था। निर्माण की लागत—जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्र चरल और प्लांट निर्माण, अन्तर्देशीय परिवहन शामिल हैं——बढ़ गई है क्योंकि (१) अन्तर्देशीय परिवहन की व्यवस्था की गई है जो कि मूल प्राक्कलनों में नहीं की गई थी और (२) भारतीय काम की लागत बढ़ गई है। भारत में ही किये जाने वाले संभरण के मूल्य में २.६० करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है। ४.३५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त अलग पुर्ज़े खरीदने की व्यवस्था की गई है।

बताये गये मूल्यों को इंडियन-जेमीनशैफ्ट क्रुप-देमग ने, जो कि रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये टैक्नीकल परामर्शदाता हैं, और इंटरनैशनल कम्पनी ने देखा था। सरकार ने इस मंत्रणा को स्वीकार कर लिया कि ये मूल्य उचित हैं।

यह स्मरणीय है कि जर्मन संभरणकर्त्ताओं को हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की सम पूंजी में विनियोजन के आभार से मुक्त करते समय उद्धृत मूल्यों में लगभग २.९ करोड़ रुपये की छूट प्राप्त की गई थी। उपरोक्त आंकड़ों में मूल्यों की कमी पर भी ध्यान दिया गया।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने पर लागत का प्राक्कल

†१४४. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में १३८ करोड़ रुपये के अन्तिम प्राक्कलन में यह १४ करोड़ रुपये से अधिक राशि सम्मिलित की गई है जो इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी को टैकनीकल सेवा के लिये दी जानी है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस शीर्षक में शामिल हैं ; और

(ग) इसे अलग क्यों नहीं दिखाया गया जब कि करार में इसे अलग दिखाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). दुर्गापुर इस्पात कारखाने के १३८ करोड़ रुपये के प्राक्कलन का व्योरा यह है :

	(करोड़ रुपये)
(१) एफ० ओ० बी० संभरण	७७.३२
(२) नौवहन तथा बीमा . . .	७.०७
(३) टैक्नीकल सेवा शुल्क	१४.१३
(४) साईट वर्क्स जिसमें निर्माण उपकरण भी शामिल है .	१४.४३
(५) भारतीय संयन्त्र और भारतीय कार्य (लक्ष्य मूल्य और केबलों का निर्माण)	२३.११
(६) रेल भाड़ा और इंधर उधर ले जाने पर खर्च . .	१.४८
कुल . .	१३७.५४ अथवा मोटे तौर पर १३८ करोड़ रुपये ।

संविदा में प्रत्येक सैक्सन के अलग-अलग मूल्य नहीं बताये गये हैं । संयन्त्र और उपकरण, टैक्नीकल सेवाओं में खर्च, स्थानीय निर्माण कार्य, भारतीय संयन्त्र और विभिन्न सेक्शनों को कार्य आवंटित करने से प्रत्येक सैक्शन की लागत इस प्रकार होगी :

	(करोड़ रुपये)
कोक ओवन	१८.८८
ब्लास्ट भट्टियां	१८.३४
ढलाई के कारखाने . . .	२३.६७
बेलन मिलें	३२.५३
पहिये, टायर और एक्सल प्लांट	१०.८३
सैंट्रल इंजीनियरिंग	५.७०
विद्युत संयन्त्र	५.५३
सामान्य सेवायें	७.६८
परिवहन	४.६०
स्थानीय निर्माण कार्य	३.३९
जनरल सिवल इंजीनियरिंग और सैंट्रल सेवायें . .	६.५९
	१३७.५४ अथवा मोटे तौर पर १३८ करोड़ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

ऊपर के आवंटन में सामान्य सेवाओं से वे सेवायें अभिप्रेत हैं जो किसी विशेष सैक्शन का अंग न होते हुए सब सैक्शनों में सम्पर्क स्थापित करने के लिये होती हैं जैसे कि आप का वितरण, विद्युत शक्ति वितरण, ब्लास्ट भट्टी और कोक ओवन गैस का वितरण, जल संभरण, जल निस्सारण, मलप्रवाह, आक्सीजन प्लांट आदि । 'जनरल सिवल इजीनियरिंग और सैंट्रल सेवाओं' में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त प्रशासन पदाधिकारी, स्टोर, इमारतें, स्टाकयार्ड, दूर संचार, अहाते की दीवार और मुख्य द्वार पर एक तोलने की बड़ी मशीन भी शामिल है ।

इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के दावे

†१४५. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७४१–क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने ठेके की कीमतों में परिवर्तन संबंधी खंड के अनुसार कुल कितने दावे किये हैं ;

(ख) प्रत्येक दावे की रकम कितनी है ;

(ग) इन दावों के समर्थन में क्या कारण दिये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इन सभी दावों को मंजूर कर लिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). जिस आधार पर दावे किये जा सकते हैं उनका आधार ठेकेनामें में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है । दावों का संबंध आधार कालावधि की अपेक्षा सामग्री तथा मजूरी की लागत होना चाहिये । साधारणत : ये दावे नियमित बिलों की मदों के रूप में शामिल कर लिये जाते हैं । अतएव दावों का निबटारा कम्पनी का रोजमर्रा का काम है । अलग-अलग दावों की संख्या बहुत अधिक है । परन्तु पता लगा है कि अभी तक किये गये कुल दावों की राशि लगभग २० लाख पौंड है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र पर खर्च

†१४७. **श्री नाथ पाई** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई में रूसी मुख्य इंजीनियर तथा अन्य रूसी विशेषज्ञों पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ;

(ख) यदि इस खर्च की कोई अधिकतम सीमा निश्चित की गई है, तो वह कितनी है ; और

(ग) क्या इस खर्च का कुछ हिस्सा विदेशी मुद्रा में है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ९३.४ लाख रुपये ।

(ख) कोई सीमा निश्चित नहीं की गई । परियोजना की वास्तविक जरूरत के अनुसार समय-समय पर रूसी विशेषज्ञों की संख्या निश्चित की जाती है । विशेषज्ञों के प्रत्येक संवर्ग के लिये वेतन तथा नौकरी की अन्य शर्तें तय कर ली गई हैं ।

(ग) भुगतान भारत के रिजर्व बैंक के एक विशेष खाते में रुपयों में किया जाता है । इस खाते में जमा की गई राशि जरूरत होने पर पौंड पावने में बदली जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम

†१४८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने की तारीख से पहिले के दो वर्षों में मृत्यु से संबंधित दावों का निपटान करने के लिये ओरियन्टल सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को औसतन कितना समय लगा है ; और

(ख) जीवन निगम का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व के जीवन बीमा पत्रों पर १ सितम्बर, १९५६ से ३१ अगस्त, १९५८ तक मृत्यु के कारण होनेवाले दावों के निपटान में औसतन कितना समय लगा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १० माह और ६ दिन ।

(ख) १२ माह १६ दिन ।

पिघलने वाले लोहे के कबाड़ का निर्यात[1]

†१४९. **श्री पु० र० पटेल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से ३० अक्टूबर, १९५८ तक हर साल कितने टन पिघलने वाले लोहे के कबाड़ का निर्यात किया गया है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ; और

(ख) क्या लोहे के कबाड़ के व्यापारी तथा निर्यातक संघ ने यह अनुमान लगाया है कि पिघलने वाले लोहे के कबाड़ का निर्यात १० लाख टनों के ऊपर तक चला जाएगा और सरकारी अनुमान क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) निर्यात किये गये लोहे के कबाड़ का टनों में वजन तथा उसका मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]

(ख) यह सच है कि लोहे के कबाड़ की व्यापारी तथा निर्यातक सन्था ने यह अनुमान लगाया है कि पिघलने वाले लोहे के कबाड़ का वर्तमान निर्यात १० लाख टनों के ऊपर तक पहुंचेगा; परन्तु सक्सेना समिति का वर्तमान अनुमान केवल ४,००,००० टन ही है ।

नागा विद्रोही

†१५०. { **श्रीमती मफीदा अहमद** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वि० च० शुक्ल : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने मनीपुर की सरहद पर अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं और अक्तूबर के पहिले सप्ताह में उन्होंने ४थी आसाम राइफल के एक सिपाही को मार डाला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Export of Melting Scrap.

(ख) यदि हां, तो पहाड़ियों के गुप्त स्थानों से विद्रोही गिरोहों को ढूंढ निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय मंत्री (पंडित गो०ब० पन्त)**: (क) और (ख). १ अक्टूबर, १९५८ को आसाम राइफल की ४थी बटालियन का एक सिपाही कालहांग गांव के पास बुरी तरह घायल हो गया था। हाल ही में मनीपुर में नागा विद्रोहियों की कुछ गतिविधियां होने लगी हैं। प्रभावी क्षेत्रों से उनको निकाल भगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मंत्रालयों में सचिवों के पद

†१५१. { **श्री मोहम्मद इमाम :**
श्री जाधव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में आज तक भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथा संयुक्त सचिवों की संख्या कितनी थी और है ;

(ख) इन वर्षों में हर साल कितने संयुक्त सचिवों की अतिरिक्त सचिवों के रूप में पदोन्नति हुई है ; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक मंत्रालय में संयुक्त सचिवों के कितने पद बनाए गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ४१]

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी

†१५२. **श्री राम कृष्ण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी को अपनाने के उपायों का सुझाव देने के लिये छः सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्य विधि मंत्रियों का सम्मेलन

†१५३. **श्री झूलन सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है, १९५७ में राज्य सरकारों के विधि मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसकी सिफारिशों को अपनाने के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ; और

(ख) इन सिफारिशों से सम्बन्धित अन्य सरकारों द्वारा उनको अपनाये जाने की क्या स्थिति है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)**: (क) और (ख). १९५७ में हुये राज्य विधि मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों तथा उनको अपनाये जाने की प्रगति को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]

---

†मूल अंग्रेजी में

खानों में आग

†१५४. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल कोयला खानों के भीतर आग लगने की कितनी घटनाएं होती हैं ; और

(ख) सरकार ने ऐसी आग को बुझाने तथा उसकी रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]

त्रिपुरा में विदेशी जन अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत नोटिस

†१५५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक विदेशी जन अधिनियम, १९४६ के अधीन त्रिपुरा में कितने व्यक्तियों को नोटिस दिया जा चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय ने यह घोषित कर दिया है कि विदेशी अधिनियम, १९४६ के अधीन जिला न्यायाधीश उस प्रकार के नोटिस जारी करने के लिये सक्षम नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सोने का तस्कर व्यापार

†१५६. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में सोने का तस्कर व्यापार करने वाले कितने दलों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है तथा कितने तस्कर व्यापार करने वाले अभिकर्त्ताओं तथा उनके मुख्य व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह बताना सम्भव नहीं है कि सरकार द्वारा की गई तस्कर व्यापार निरोधी कार्यवाहियों के फलस्वरूप पिछले दो वर्षों में सोने का तस्कर व्यापार करने वाले ठीक-ठीक कितने दलों को नष्ट कर दिया गया है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि १ जनवरी, १९५७ से ३१ अक्टूबर, १९५८ तक तस्कर व्यापार करने वाले मुख्य व्यक्तियों, उनके अभिकर्त्ताओं तथा माल ले जाने वाले व्यक्तियों को मिला कर कुल ८२८ ऐसे व्यक्ति पकड़े गये हैं जो लगभग २५० दलों में काम करते थे।

अनुसूचित जातियां

†१५७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिये जो रकम आवंटित की गई थी उसमें से पंजाब में कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) किन स्थानों पर यह रकम खर्च की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). १९५६–५७ में पंजाब सरकार को अनुसूचित जातियों की चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य योजनाओं के लिये निम्नलिखित रकमें बांट में दी गई थीं :—

	रुपये
(क) राज्य योजना के अन्तर्गत स्कीमें	३२,८००
(ख) केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम	३९,०९०

इस आवंटन में से राज्य सरकार ने कितनी रकम खर्च की है और किन किन स्थानों पर खर्च की है, इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही वह प्राप्त हो जाएगी त्यों ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

अस्पृश्यता

†१५८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में केन्द्रीय सरकार ने अस्पृश्यता निवारण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये पंजाब सरकार को जो राशि आवंटित की थी उसमें से पंजाब सरकार ने अब तक कितनी रकम खर्च की है ; और

(ख) वह किन मदों पर खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क). और (ख). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वित्त मंत्री द्वारा अपनी हाल की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं अपनी हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १००६/५८]

कोयला खान संरक्षण और सुरक्षितता अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचना

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** ; मैं कोयला खान (सुरक्षण और सुरक्षितता अधिनियम, १९५८ की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन निकाली गयी २९ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९९० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १००७/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये इस्पात के संधारण मूल्यों में परिवर्तन के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन।

(२) सरकारी संकल्प, संख्या एस० सी० (ए)-२ (२४६)/५७, दिनांक, १३ अक्तूबर, १९५८।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत यह बताने वाला वक्तव्य कि ऊपर (१) और (२) में बताये गये दस्तावेजों की एक-एक प्रति उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखी जा सकी।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १००८/५८]

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचना

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक, १७ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९१ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों का चुनाव) नियम, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल० टी० ८६७/५८]

(२) दिनांक १४ जून, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७९ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार नियम, १९५८।

[पुस्तकाल में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० ८६८/५८]

क्विलोन और त्रिवेन्द्रम् जिलों में लिगनाइट की खोज के परिणाम

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा केरल राज्य के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम् जिलों में की गई लिगनाइट की खोज के परिणामों के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १००९/५८]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक, १३ सितम्बर, १९५८ की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७९०।

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) भारतीय पुलिस सेवा वेतन, नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक, १३ सितम्बर, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या ७६१।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० ६३७/५८]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**श्री दातार** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १६५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक, १८ अक्तूबर, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या २५०।

(२) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १६४२ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक, २५ अक्टूबर, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या ६३४।

(३) भारतीय असैनिक सेवा (गैर योरूपीय सदस्य) भविष्य निधि नियम, १६४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ अक्तूबर, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या ६७५।

(४) भारत सचिव सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १६४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ अक्तूबर, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या ६७६।

(५) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ अक्तूबर, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या ६८२।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०१०/५८]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह (भटिण्डा)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना

†**श्री आसर** (रत्नागिरि) : नियम १६७ के अधीन मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, से कुछ फाइलों का कथित गायब हो जाना"

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इस विषय में तथ्य यह हैं। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की ही भांति वित्त मंत्रालय के सामने भी पिछले वर्षों में स्थान की कमी की समस्या रही है,

---

†मल अंग्रेज़ी में

[श्री मोरारजी देसाई]

जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय के अभिलेखों की अनेक अलमारियां बरामदों में रखी जाती हैं और रखी जा रही हैं। सरकारी इमारतों से अनधिकृत ढंग से फाइलों के ले जाने को रोकने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय ने, जहां भी आवश्यक है, सुरक्षिगण बैठा दिये हैं। केन्द्रीय सचिवालय भवन के नार्थ ब्लाक में सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षिगण बैठा दिये गये हैं और कोई भी फाइल या अन्य सरकारी सम्पत्ति समुचित प्राधिकार के बिना भवन से बाहर नहीं ले जाई जा सकती। इस प्रकार के भी विनिदेश दे दिये गये हैं कि गोपनीय पत्र तालाबन्द अलमारियों में रखे जायें, जिसकी चाबी सम्बद्ध सेक्शन अफसर के पास रहे और उस तालाबन्द अलमारी को अवर्गीकृत पत्रों के रखने के लिए इस्तेमाल में न लाया जाये।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय सम्बन्धी काम करने वाली वित्त मंत्रालय की ब्रांच नार्थ ब्लाक की निचली मंजिल में है। इस ब्रांच के अभिलेख, जिस कमरे में यह ब्रांच है, उसी के सामने रखी अलमारियों में रखे जाते हैं। ऐसा लगता है कि संभवतः ८ अक्टूबर १९५८ और २३ अक्टूबर १९५८ के बीच के समय में, एक अलमारी में रखे सभी अभिलेख चोरी हो गये, यद्यपि इस बात का निश्चित पता या इसकी रिपोर्ट ४ नवम्बर, तक नहीं हो पायी थी। जहां तक वर्तमान जानकारी है, खोई फाइलों की संख्या ३५ है। इन फाइलों में १९५३ से १९५८ के बीच हुई भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड की बैठकों की कार्यावलि तथा कार्यवाही की प्रतियां तथा वर्ष १९५१ और १९५३ के लिए भाखड़ा-नंगल परियोजना के प्राक्कलन थे। कोई गोपनीय फाइल नहीं खोई है। फाइलों की चोरी की सूचना, छानबीन के लिए, पुलिस को दे दी गयी है। पुलिस छानबीन कर रही है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विभागीय जांच भी बैठा दी गयी है और जांच समाप्त होने तक के समय के लिए एक पदाधिकारी को मुअत्तिल कर दिया गया है।

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिए भारत रुमानिया करार के बारे में वक्तव्य

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : क्या मैं वक्तव्य को पढ़ कर सुनाऊं। सुनाने में ५ मिनट का समय लगेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे सभा-पटल पर रख दिया जाये। जब माननीय मंत्रियों को बड़े वक्तव्य देने हों, तो वे उन्हें संक्षिप्त रूप में बता कर वक्तव्य को सभा-पटल पर रख दिया करें।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

जैसा कि सभा को विदित है कि मार्च १९५८ में जब रूमानिया के प्रधान मंत्री भारत आये थे तो उन्होंने कुछ सहायता देने का आश्वासन दिया था उस सिलसिले में रूमानिया सरकार के साथ बातचीत करने की प्रस्थापना को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। रूमानिया सरकार द्वारा इस देश में एक टेकनिकल तथा आर्थिक शिष्टमंडल नियुक्त किया गया था और उसने पूंजी तथा

†मूल अंग्रेजी में

संचालन व्यय के बारे में ब्योरे दिये। अग्रेतर स्पष्टीकरण शीघ्रता से प्राप्त करने तथा आसाम में एक तेल शोधन कारखाना स्थापित करने के लिए बातचीत करने हेतु यह निश्चय किया गया था कि जून-जुलाई १९५८ में एक भारतीय दल को रूमानिया भेजा जाये।

इस शिष्ट मंडल ने भारत सरकार के विचार के लिए रूमानिया सरकार द्वारा तैयार किये गये एक करार के परारूप तथा अन्य आवश्यक ब्योरे वहां से प्राप्त किये। इस प्रारूप करार पर अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया गया और जब मैं बुखारेस्ट में था तो मैंने करार में कुछ अत्यावश्यक परिवर्तन करने के लिए रूमानिया सरकार की सहमति प्राप्त कर ली थी। मैं रूमानिया गणतंत्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह भारतीय रुपयों, स्वर्ण समतुल्यता, एकस्व, अधिकार-क्षेत्र, आदि के रूप में किये गये मूल भुगतान की अपरिवर्तनशीलता सम्बन्धी खण्डों के बारे में हमारे सुझावों से सहमत हो गयी।

इस करार की मुख्य विशेषतायें संक्षेप में नीचे दी जाती हैं :—

(क) रूमानिया की गणतंत्र सरकार आसाम में बनने वाले तेल शोधन कारखाने के निर्माण के लिए सामान, टेकनिकल तथा अन्य सेवा के रूप में ५२,३८०,९०० रु० के मूल्य का दीर्घ कालीन ऋण देने के लिए सहमत हो गयी है। इस पर २·५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज होगा। प्राप्त ऋण के १५ प्रतिशत का भुगतान ६ किस्तों में होगा पहली किस्त करार पर हस्ताक्षर होने के तीन दिन बाद शुरू होगी और अन्तिम किस्त तेल शोधन कारखाने के बन जाने, चालू हो जाने तथा पूर्ण उत्पादन देने के बाद दी जायेगी। कुल ऋण के शेष ८५ प्रतिशत का भुगतान १० किस्तों में होगा जिसमें पहली दो किस्तें ३१ दिसम्बर, १९६१ को शुरू होंगी और अन्तिम ३१ दिसम्बर, १९६५ को दी जायेगी। इस करार के अधीन रूमानिया सरकार को जो धन दिया जाना है उसे रूमानिया सरकार यथासंभव भारतीय सामान के रूप में लेगी और उसके बाद जो ऋण बचेगा वह, यदि वह चाहेगी, तो १ अप्रैल, १९६१ के बाद परिवर्तनशील मुक्त मुद्रा के रूप में दी जायेगी।

(ख) करार की शर्तों के अधीन रूमानिया सरकार :—

(१) पेट्रोलियम शोधनशाला का स्वरूप निर्धारित करेगी;

(२) शुद्धीकरण कारखानों तथा सहायक संस्थापनाओं के लिए मशीन तथा सामान का संभरण करेगी;

(३) इस बात का ध्यान रखेगी कि वह जो मशीनें और सामान देती है वह सामान तथा कार्यकुशलता की दृष्टि से रूमानिया की आधुनिकतम टेकनिकल स्टैण्डर्ड के अनुकूल हो;

(४) भारत में नियुक्त रूमानिया के इंजीनियरों तथा प्रविधिक व्यक्तियों द्वारा इस बात का ध्यान रखेगी कि शोधनशाला के निर्माण के लिए प्रविधिक अधीक्षण तथा निर्माण-कार्य के लिए टेकनिकल सहायता मिले;

(५) रूमानिया की शोधनशाला में भारत के प्रविधिकों को शोधनशाला के स्वरूप, उसके निर्माण तथा संचालन का प्रशिक्षण देगी;

(६) शोधनशाला को चालू करेगी;

(७) किसी विदेशी एकस्व के उल्लंघन के मामले में भारत सरकार की क्षतिपूर्ति करेगी।

[श्री के० दे० मालवीय]

(ग) भारतीय सरकार इस सम्बन्ध में :

(१) शोधनशाला का स्थान चुनने के लिए उत्तरदायी होगी;

(२) शोधनशाला का स्वरूप निर्धारित करने के लिए स्थानीय प्रकृति की जानकारी तथा अन्य आंकड़े इकट्ठा करने तथा उसे रूमानिया के दल के पास भेजने के लिए उत्तरदायी होगी;

(३) शोधनशाला के निर्माण तथा स्थापना के लिए सभी आवश्यक अस्थायी सुविधायें प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(४) निर्माण सामग्री का सभरण करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(५) यद्यपि रूमानिया सरकार सामग्री देने के लिए सहमत हो गयी है फिर भी ऋण की कुल मात्रा में कमी करने के लिए भारतीय साधनों से सामग्री का संभरण करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(६) करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ३० दिनों के भीतर एक प्रविधिक सहायता संविदा तैयार करना तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(७) निर्माण मशीनों सहित सभी सामग्री व मशीनों को भेजने तथा उन्हें संभाल कर रखने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(८) शोधनशाला के निर्माण के लिए आवश्यक सामान व मशीनों को भण्डार करने व संभाल कर रखने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(९) रूमानिया के इंजीनियरों की सहायता तथा उनके अधीक्षण के अधीन शोधनशाला बनाने तथा स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में पहला तेल शोधन कारखाना स्थापित करने में हमें रूमानिया सरकार का जो सहयोग मिलेगा वह अन्य परियोजनाओं में अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा ।

इस साधन से आसाम तेल क्षेत्र के विकास तथा अपरिष्कृत तेल का शोधन एक बड़ी परियोजना है । इसके उपभागों में तेल का उत्पादन तथा दो पाइप लाइनों द्वारा, जिन्हें दो स्तरों में बनवाया जायेगा, अपरिक्रृष्त तेल को लगभग ७.५ लाख टन वार्षिक तेल को शोधन के लिए आसाम शोधन शाला तक तथा लगभग २० लाख टन वार्षिक तेल को शोधन के लिए बिहार की एक शोधन शाला तक ले जाया जायेगा । रूमानिया गणतंत्र के साथ करार हो जाने पर आसाम तेल शोधनशाला धीरे-धीरे अपना स्वरूप धारण करेगी और १९६१ तक उसमें कार्य शुरू हो जायेगा । बिहार शोधनशाला के निर्माण के लिए सहायता की बात अभी विचाराधीन है और शीघ्र ही इस संबंध में एक निर्णय किया जायेगा । जैसा कि सभा को पता है कि ये शोधनशालायें पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में होंगी और अपरिष्कृत तेल का उत्पादन तथा उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाना आयल इण्डिया प्राइवेट (लिमिटेड) को सौंपा जायेगा जो कि एक सहकारी योजना के अधीन बर्मा आयल कम्पनी आसाम आयल कम्पनी के सहयोग से बनेगी और जिसमें भारत सरकार के एक तिहाई अंश होंगे । सरकार ने समुचित और तेजी का कदम उठाया है ताकि यह सरकारी क्षेत्र परियोजना निश्चित समय में स्थापित हो जाये । इसी प्रकार मुझे आशा है कि आयल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अभी तक तदर्थ निर्देशक बोर्ड के अधीन काम करती रही है और जो शीघ्र

ही निगमित कर दी जायेगी, भी प्रभावी कदम उठायेगी ताकि अपरिष्कृत तेल का उत्पादन २५ लाख टन वार्षिक या इसके लगभग हो और निश्चित समय के अनुसार बरौनी में पाइपलाइन बन जाये ।

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक*

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं विधेयक को पुरस्थापित करती हूं ।

विष (संशोधन) विधेयक

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विष अधिनियम, १९१९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक मूलतः विवाद रहित है । यह बहुत सरल है । सामान्य संशोधन की मांग की गयी है ।

विष अधिनियम, १९१९ जो इस समय चालू है भाग 'ख' राज्यों पर लागू नहीं था । शेष देश पर लागू था । जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया तो उस समय विभिन्न राज्यों में जो विधियां चालू थीं वे, उन राज्यों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में चालू हो गयीं । कई भाग (ख) राज्य इस समय बड़े-बड़े राज्यों के अंग हैं । इसके परिणामस्वरूप कुछ कठिनाइयां और गलतफहमी पैदा हो गयी है । एक ही राज्य के एक बड़े भाग में १९१९ का अधिनियम लागू है जब उस भाग में जो पहले भाग (ख) राज्य का क्षेत्र था उस राज्य का पुराना अधिनियम अभी तक लागू है । अत : इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक में यह कहा गया है कि १९१९ का अखिल भारतीय अधिनियम, जिसे १९५६ में संशोधित किया गया था, देश के सभी राज्यों में लागू हो केवल जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर और इस राज्य पर केवल वही भाग लागू हो जो विष के आयात संबंधी हो । विधेयक का शेष भाग उस राज्य पर लागू नहीं होगा क्यों कि विधियों के विस्तार के अधीन हम वैसा नहीं कर सकते ।

अत : यह एक साधारण सा विधान है और मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २ दिनांक १९-११-५८ में प्रकाशित

†श्री वे० प० नायर : (क्विलोन) : इस विधेयक पर बोलते हुये मुझे केरल की दुर्घटना का स्मरण आ रहा है। मेरा अनुमान है कि यदि केरल में ऐसी दुर्घटना न हुई होती तो शायद सरकार का ध्यान इस अधिनियम में संशोधन करने की ओर आकृष्ट न होता। ऐसा लगता है कि व्यापारियों द्वारा विष रखने आदि के संबंध में सरकार पर्याप्त सावधान नहीं है। जिस समय लगभग १९१९ में यह मूल विधेयक पारित हुआ था उस समय स्थिति कुछ भिन्न थी। केवल डाक्टर आदि ही विष रखते हैं अत : उस समय की स्थिति के अनुकूल ही सरकार ने विधान बनाया था। आज अनेक उद्योगों में ठोस, गैस तथा तरल रूप में विषों का प्रयोग हो रहा है। कृषि में भी विषों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। अत : आज यह बहुत आवश्यक है कि हम विष संबंधी विधान के उपबन्धों पर अच्छी प्रकार विचार करके उनमें संशोधन करें। आज डी० डी० टी० का प्रयोग बहुत किया जा रहा है। ठीक है, यह बहुत अच्छा कृमिनाशक है पर पशुओं पर इसके विष का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अन्य कई उद्योगों द्वारा भी आये दिन विषों के संबंध में विज्ञापन होते रहते हैं। कई बार अखबारों में भी मांग पेश की गयी कि विष संबंधी विधान में समुचित संशोधन किया जाये पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

इस विधेयक को लाने में केवल राज्य पुनर्गठन को ही ध्यान में नहीं रखना है पर ऐसी अनेक बातें हैं। जिन्हें ध्यान में रखना परम आवश्यक है। केरल में खाद्य सामग्री में विष निकालने से जो दुर्घटनायें हुई हैं उनके संबंध में जांच आयोग ने पहली सिफारिश यह की है कि विषों के रखने, लाने ले जाने, प्रयोग आदि का नियंत्रण एक विस्तृत विधान द्वारा किया जाना चाहिए। आज अनेक प्रकार के विषों का प्रयोग हो रहा है और बड़ी असावधानी से हो रहा है अत : मेरा निवेदन है कि इस संबंध में सरकार एक विस्तृत विधान प्रस्तुत करे। भाग (ख) राज्यों पर इस विधान को लागू करने मात्र से स्थिति में कोई सुधार होने की आशा नहीं है। फोलीडोल की दुर्घटना का आप को पता ही है। फोलीडोल एक भीषण विष है जिसका २ मिलीग्राम घातक सिद्ध हो सकता है। आप जानते हैं कि कितनी असावधानी से उसे भेजा गया था। खाद्य सामग्री के साथ---जिसके कारण केरल दुर्घटना हुई।

आज स्थिति बदल गयी है। हम प्रत्येक दिन के जीवन में अनेक प्रकार से तरह-तरह के विषों का प्रयोग करते हैं। हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अत : अन्त में मैं माननीय मंत्री से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वह तुरन्त ही एक विस्तृत विधान प्रस्तुत करे जिसके द्वारा विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा विषों के संबंध में गलत प्रचार तथा गलत प्रयोग रोका जा सके।

†श्री आचार : (मंगलौर) : पिछले सत्र में इस प्रश्न पर उस समय पूरी चर्चा हो चुकी थी जब स्वास्थ्य मंत्रालय और केरल तथा मद्रास के विषैले भोजन के मामलों के जांच आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत थे। उस समय भी फोलीडोल विष ही चर्चा का विषय था। उस समय इस प्रकार की विषैली वस्तुओं के आयात का खतरा हमने देखा क्योंकि इनका ठीक प्रकार से आयात नहीं हुआ। पहले जर्मनी से इस प्रकार के विष अलमूनियम के डिब्बों में आते थे। परन्तु इस नियम में कुछ परिवर्तन कर दिया गया और लकड़ी के डिब्बों में मंगाया जाने लगा जिसके कारण यह खाद्यान्नों में मिल गया और केरल में इतने लोग मर गये। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब हम विष के बारे में अधिनियम बनाने जा रहे हैं तो एक विस्तृत अधिनियम स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर बनायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैंने श्री वें० प० नायर के भाषण को ध्यान से सुना मुझे वास्तव में इसका बड़ा खेद है कि केरल में ऐसी घटना हुई जिसमें इतने लोगों की जानें गईं। उस मामले की जांच के लिए नियुक्त समिति का प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखा जा चुका है। परन्तु इस समय हमें एक बड़ा छोटा सा संशोधन करना है और उसके सम्बन्ध में मुझे आशा है कि श्री वें० प० नायर को कोई आपत्ति नहीं है।

जो गंभीर स्थिति आज उत्पन्न हो गई है उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई संकल्प अथवा गैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने की सूचना नहीं दी है जिसके द्वारा वर्तमान विधि अथवा नियमों में परिवर्तन का सुझाव हो। इस मामले पर जो भाव उन्होंने प्रकट किए हैं उस बारे में मेरा ख्याल था कि वह स्वयं अपनी ओर से कुछ पहल करेंगे। संभवतया वह जानते हैं कि १६१६ के विष अधिनियम का १६५६ में संशोधन किया गया था। वह पर्याप्त विस्तृत था। कोई भी विष अथवा विष समझा जाने वाला पदार्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है। राज्य सरकार को केवल यह घोषणा करनी होती है कि अमुक पदार्थ विष है, फिर शेष नियम स्वयं लागू हो जाते हैं। यदि केरल राज्य में इस प्रकार की घटनायें बढ़ गई हैं तो वहां की राज्य सरकार जो आवश्यक कार्यवाही ठीक समझे वह कर सकती है। राज्य सरकार पर ऐसा करने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है। वास्तव में यह एक केन्द्रीय अधिनियम होते हुए भी राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे अधिसूचनायें जारी करें तथा नियम बनायें। यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर नहीं है।

श्री नायर यह भी जानते होंगे कि विष समवर्ती सूची में रखे गये हैं और यदि राज्य सरकारें इस में और कुछ रखना चाहती हैं, जैसे नियमों को कठोर बनाना या विधि को कठोर बनाना तो वह आवश्यक संशोधन कर सकती हैं। ऐसा करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है।

†**श्री वें० प० नायर** : केन्द्रीय सरकार आयात के परमिट देती है तथा राज्य सरकारों को इस का कोई पता नहीं रहता कि आयात किये हुए पदार्थ में क्या क्या है। जब इस प्रकार की दुर्घटनायें हो जाती हैं तभी सरकारों को इस के सम्बन्ध में पता लगता है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जो कुछ आयात किया जाता है उस के बारे में राज्य सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है—नियम बना सकती है या कोई वस्तु जो विष नहीं है उस को विष घोषित कर सकती है। मैं समझता हूं कि श्री नायर जानते हैं कि इस का पता लगाने कि विष क्या है, कोई जांच नहीं की जा सकती है। १६१६ के अधिनियम, जिस का १६५६ में संशोधन हुआ है, राज्य सरकारों को पूरी स्वतंत्रता देता है, परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि मामले की जांच की जानी चाहिये और यदि अधिनियम में परिवर्तन आवश्यक समझे जायें तो वह किये जाने चाहियें।

जैसाकि मैंने बताया वर्तमान विधेयक सीधा सा विधेयक है। मैं नहीं जानता कि जिन बातों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया गया है उन का वास्तव में विधेयक से कोई सम्बन्ध है। मेरे विचार से इस विधेयक पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं बता चुका हूं कि यदि कहीं पर स्थिति ठीक नहीं है तो राज्य सरकारें नये नियम बना सकती हैं, नई विधि बना सकती हैं।

ऐसा मालूम होता है कि इस मामले की ओर श्री नायर का ध्यान जितना गया है उतना किसी राज्य सरकार का नहीं गया है। और जब राज्य सरकारों को ही अधिक चिन्ता नहीं है तो समस्या की गंभीरता के लिये वह हम पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। परन्तु फिर भी जो कुछ बुराइयां हैं उन को दूर किया जायेगा। इस विधेयक के लिये सभा में मतैक्य ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विष अधिनियम, १९१९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†अध्यक्ष महोदय : सभा में अब विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३—(धारा ३ का संशोधन) संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति १२ में

"In section 3 " ["धारा ३ में "] के पश्चात " and clause (b) of section 3 " ["और धारा ६ के खण्ड (ख)"] शब्द जोड़े जायें ।

(पंडित गो० ब० पन्त)

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ क—(नया)

†श्री विश्व नाथ रेड्डी (राजमपेट) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†(पंडित गो० ब० पन्त): वह मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं । ऐसा शायद नहीं किया जा सकता है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया कि इस विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम की अवधि बढ़ाई जा रही है, मूल अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है । इसलिये यह संशोधन नियमानुकूल नहीं है ।

†श्री वे० प० नायर : मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि इस का पता लगाना बड़ा कठिन हो गया कि क्या नियम बनाये गये हैं । पुस्तकालय में ढूंढने पर भी हमें पता नहीं लग सका कि त्रावनकोर कोचीन राज्य में कौन सी अधिनियम लागू हैं । ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिये जिस से महत्वपूर्ण नियमावलि हम को उपलब्ध हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे मामलों में, जिन में नियम बनाने का अधिकार प्रशासन को दिया गया है, नियमों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । मैं ने उन्हीं सिफारिशों के अनुसार ऐसा किया है । मैं समझता हूं माननीय मंत्री को इस संशोधन को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति बनी थी तभी हम ने सरकार से अनुरोध किया था कि जब भी कभी नियम बनाने के अधिकार किसी को दिये जायें उस विधेयक में यह खण्ड भी रखा जाना चाहिये कि वह नियम सभा पटल पर रखे जाने चाहियें । परन्तु यही मूल अधिनियम १६१६ का है । अब केवल मंत्री महोदय पर ही निर्भर करता है कि यदि वह सहमत हों तो मूल अधिनियम में ऐसा रूपभेद कर दिया जाये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : समस्या जितनी आसान दिखाई देती है उतनी आसान नहीं है क्योंकि नियम राज्य सरकारों द्वारा बनाये जायेंगे । हम राज्य विधान सभाओं पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकते । राज्य विधान सभायें, अपनी सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के बारे में जैसी व्यवस्था चाहें कर सकती हैं । हम कह सकते हैं कि सरकारें अपने द्वारा बनाये गये नियम सरकार अपनी विधान सभाओं में रख देंगी और यदि सरकारें नहीं चाहेंगी तो नियम नहीं रखे जायेंगे । सच यह है कि १६१६ के अधिनियम के द्वारा राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिये गये हैं तथा कुछ जिम्मेदारियां उन पर डाली गई हैं । हम यहां पर ऐसी विधि नहीं बना सकते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम राज्य विधान सभाओं के पटल पर रखे जायें । यदि यह हमारे विधान के सम्बन्ध में होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अपितु मैं उत्सुक होता कि अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं होने पर भी नियमों को सभा पटल पर रखा जाये ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि केन्द्र ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि विष का कोई आयातकर्त्ता किसी वस्तु के बारे में जिस में विष हो यह बताये कि वह विष क्या है और उस का कितना असर होता है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता हूं मैं केवल इतना कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार यदि कोई नियम बनायेगी तो उस की प्रति अवश्यमेव सभा पटल पर रख दी जायेंगी और संसद् चाहे तो उसे स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे अथवा उस में कोई संशोधन करे । हमें संसद् का निर्णय मान्य होगा ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : विधेयक का विषय राज्य सूची में नहीं है तथा समवर्ती सूची में है ; इसलिये इस विषय के सम्बन्ध में जो विधान पारित किया जायेगा उस से राज्य सरकारों को संविधान के अधीन सहमत होना पड़ेगा । इसलिये यदि आप विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो यह निश्चित हो जायेगा कि नियम राज्य विधान सभाओं के समक्ष रखे जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे तथा माननीय सदस्य उन पर विचार कर सकेंगे ।

दूसरी बात के बारे में मैं निर्णय देना अनावश्यक समझता हूं क्योंकि यदि यह सभा समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधान पारित करती है और विभिन्न राज्यों को नियम बनाने की शक्ति देती है तो फिर इस सभा को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उन नियमों को सभा पटल पर रखा जाये ताकि वह उन की जांच कर सकें । इसलिये इस समय हमें इस विधेयक के क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिये । मैं समझता हूं इस संशोधन पर अब जोर नहीं दिया जायेगा ।

नया खंड ३क सभा की अनुमति से वापस लिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूचित, खंड १, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**श्री वें० प० नायर** : मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में आने के पश्चात् इन विषों पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है इसलिये यह आवश्यक है कि भारत सरकार इन के बारे में कठोर उपबन्ध बनाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर कोई व्यापक विधेयक लाना सोच रही है, यदि हां, तो कब तक ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं ने बताया कि हम सारे मामले पर विचार करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय बिजली (संशोधन) अधिनियम, १९१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस में ३० सदस्य अर्थात् सरदार हुकम सिंह, श्री पेण्देकान्ती वेंकटासुब्बय्या, श्री विनायक राव कोरटकर, श्री माणिक लाल मगनलाल गांधी, श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी, श्री श्रीनारायण दास, श्री शिवराम रंगो राने, श्री रामप्पा बालप्पा बिदारी, श्री सम्बन्दम्, श्री अय्याकण्णु, श्री पांगरकर, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री उइके, श्री अब्दुल लतीफ, श्री पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री भगवान दीन मिश्र, श्री राम शंकर लाल, श्रीमती कृष्णा मेहता, श्री सु० हंसदा, श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री ग० ध० सोमानी, श्री तंगामणि, श्री वासुदेवन् नायर, श्री श्रद्धाकर सूपकार,

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री इगनेस बेक, श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल, श्री वैष्णव चरण मलिक, श्री प्रेमजी आसर, श्री ब्रजराज सिंह और श्री जयसुखलाल लालशंकर हाथी इस सभा के हों, और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों ;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा, राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये ।"

श्रीमान्, इस विधेयक के द्वारा वर्तमान बिजली अधिनियम, १६१० का संशोधन किया जा रहा है । इस विधेयक के बारे में कोई मतभेद नहीं है । आज की तुलना में १६१० में बिजली का उत्पादन और खपत बहुत कम थी । १८८७, १८६३, १६०३ तथा १६१० में जो अधिनियम पारित किये गये थे वह उस समय की दशा के अनुरूप थे । १८८७ का अधिनियम केवल जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के उपायों के लिये बनाया गया था । उस समय बिजली का उत्पादन करने के संयंत्र अधिक नहीं थे । उस समय वितरण के लिए इतनी लाइनें अथवा पन बिजली के बिजली घर नहीं थे । इसलिए उस समय का अधिनियम जान माल की सुरक्षा के लिए बनाया गया था । इसके पश्चात् १६१० में जो अधिनियम पारित किया गया उसमें भी सुरक्षा के उपायों को बढ़ाया गया परन्तु उसमें वह शर्तें भी रखी गईं जिन पर अनुज्ञप्तियां दी जा सकती थीं । परन्तु उस समय भी स्थिति भिन्न प्रकार की थी । सभा की जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं कि १६१० में १६ संयंत्र थे जबकि १६५७ में ४५१ संयंत्र थे । सरकारी क्षेत्र में १६१० में १५,००० किलोवाट बिजली उत्पादित होती थी जबकि अब १६,८३,००० किलोवाट उत्पादित होती है । गैर-सरकारी क्षेत्र में १६,००० किलोवाट होती थी जो अब १२,०३,००० किलोवाट होती है । उस समय कुल उत्पादन ३१,००० किलोवाट था जो अब २६ लाख किलोवाट है ।

हमारे देश में बिजली का उत्पादन तथा खपत बढ़ती जा रही है और यह आवश्यक है कि परिवर्तित परिस्थितियों के कारण अधिनियम में संशोधन किया जाये । जैसा कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया गया है संशोधन चार पांच प्रकार के हैं ।

एक संशोधन यह है कि उपभोक्ताओं को गैर-सरकारी अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में जो अधिकार दिये गये हैं वह राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अधिकारों से भिन्न प्रकार के हैं । जहां भी राज्य सरकारें बिजली का वितरण अथवा संभरण करती हैं वहां वही शर्तें लागू न होतीं जो गैर-सरकारी अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होती हैं इसलिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को, चाहे बिजली राज्य सरकार से मिलती हो चाहे गैर-सरकारी उपक्रमों से मिलती हो, समान समान अधिकार मिलें ।

दूसरा संशोधन उपभोक्ताओं के लाभ के लिए यह है कि उनको बिजली के कनेक्शन लेने का अधिकार दिया गया है । इस समय ऐसा नियम है कि यदि वितरण लाइन किसी स्थान से गुजरती हो और यदि छः अथवा अधिक व्यक्ति बिजली लेने के लिये आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दें और एक

[श्री हाथी]

निश्चित रकम की अदायगी की गारण्टी करें दें तो वहां बिजली मिल सकती है अन्यथा नहीं। इस विधेयक के द्वारा ६ की संख्या को घटा कर २ कर दिया गया है। जिसका अर्थ हुआ कि किसी स्थान के २ व्यक्ति आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर के बिजली लगाने की मांग कर सकते हैं।

तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि कभी कभी बड़े शहरों में किरायेदारों को मकान मालिक मकान से निकालने के लिए बिजली नहीं देते हैं। कभी कभी किरायेदार नयी लाइन लेने के लिए खर्चा अपने सिर लेने पर भी मकान मालिक बिजली नहीं लेने देते हैं। परिणामस्वरूप किरायेदारों को असुविधा होती है। और उसको मकान खाली करना पड़ता है। उसके लिए हमने एक संशोधन रखा है। यह तो ठीक है कि किरायेदार, बिजली के तार लगाने वाले लोगों आदि को पूरा ध्यान रखना होगा कि मकान को हानि न पहुंचे।

दुर्घटना होने तथा आग लगने पर बिजली निरीक्षक दुर्घटना के कारणों की जांच करता था कि आग क्यों लगी अथवा दुर्घटना क्यों हुई। परन्तु इस में एक कमी थी कि निरीक्षक लोगों को गवाही देने के लिए नहीं बुला सकता था। फलस्वरूप जांच में देरी हो जाती थी अथवा उनको पर्याप्त गवाही नहीं मिल पाती थी जिसके आधार पर वह किसी निर्णय पर पहुंच पायें। इसलिए आवश्यक था कि गवाही आदि लेने के बारे में निरीक्षक को कुछ अधिकार दिये जायें। बिजली उपक्रमों के विस्तार से केन्द्रीय सरकार के बहुत से बिजली घर बनेंगे जिसका निरीक्षण होना आवश्यक है। इन बिजली घरों के निरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार को निरीक्षक नियुक्त करने होंगे।

अत्यावश्यक सेवाओं के लिए बिजली के संभरण के सम्बन्ध में भी एक संशोधन है। कभी कभी गैर-सरकारी अनुज्ञप्तिधारी अत्यावश्यक सेवाओं के लिए प्राथमिकता नहीं देते हैं। संशोधन में व्यवस्था रखी गई है कि अत्यावश्यक सेवाओं को अधिक वोल्ट की बिजली दी जाये।

अभी तक यह व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति बिजली लेना चाहता है तो पहले सौ फीट तक तार लगाने का व्यय उपक्रम अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाना पड़ता है तथा मकान तक की शेष दूरी का व्यय उपभोक्ता को देना पड़ता है। इसलिए जब उपक्रम को राज्य सरकार अथवा बोर्ड अपने कब्जे में लेता है या उसका अन्य प्रकार से हस्तान्तरण होता है तो इन लाइनों के खर्च और प्रतिकर के बारे में विवाद उठ सकता है। इसे किस आधार पर दिया जाना चाहिए इसके लिए कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है इसमें ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि उपभोक्ता ने जो कुछ व्यय किया हो वह अनुज्ञप्तिधारी को न मिले। यदि पहले सौ फुट के लिए अनुज्ञप्तिधारी ने व्यय किया है और शेष दूरी का व्यय उपभोक्ता ने स्वयं किया है तो अनुज्ञप्तिधारी को सौ फीट का ही प्रतिकर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट व्यस्था नहीं रखी गई थी। अब इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था रखी जा रही है।

कभी कभी सड़कों पर बिजली लगाने का व्यय अधिक हो जाता है। यद्यपि गैर-सरकारी अनुज्ञप्तिधारी के खम्भे आदि लगे रहते हैं परन्तु उन पर बिजली नहीं लगाने दी जाती थी। यह मामले छोटे छोटे जरूर हैं परन्तु हमारा अनुभव है कि किसी के अधिकार का उल्लंघन किए बगैर राज्य सरकारें अथवा स्थानीय संस्थायें सड़क पर बिजली लगाने के लिए इन खम्भों को इस्तैमाल में ला सकती हैं। यह संशोधन है तो बहुत मामूली परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा बहुत कठिनाई उठाने के कारण, इनके सम्बन्ध में व्यवस्था करना बड़ा आवश्यक था।

अनुज्ञप्ति दिये जाने की शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को समझौते के अधीन एक निश्चित समय में कुछ काम करने होते हैं। परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी उस निश्चित समय के अन्दर उन कामों को नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को जब्त करने का कोई अधिकार सरकार को

नहीं था और इसीलिए अनुज्ञप्तिधारी उन कामों को नहीं करते हैं अथवा विलम्ब से करते हैं। इसके कारण बहुत से झगड़े उठ खड़े होते हैं। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा समझौते के अनुसार काम न किए जाने पर प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार दिया जा रहा है।

यही कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं। यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है तथा माननीय सदस्यों को इसमें सुधार करने का पूरा अवसर मिलेगा। । जैसा कि मैं आरम्भ में बता चुका हूं हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि बिजली के विस्तार के साथ साथ उपभोक्ताओं को अधिक सुविधायें मिलें तथा किसी भी प्रकार के बहाने बना कर कोई भी बिजली का उपभोग करने में बाधा न डाले। देश की उन्नति का इससे पता लगता है कि उसने कितनी बिजली खर्च की है। इसीलिए औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू कामों के लिए अधिक बिजली खर्च होने के कारण उसी के अनुसार हमें विधानों में भी परिवर्तन करने हैं। कुछ वर्ष पूर्व हमारे यहां केवल छः पन बिजली घर तथा एक दर्जन डीज़ल से चलने वाले बिजली घर थे। सरकारी क्षेत्र में इतनी बिजली की लाइनें नहीं थीं। इतने बिजली घर नहीं थे। मैसूर राज्य में बिजली ले जाने वाली लाइनें केवल तीस चालीस मील में थीं। देश में बिजली का उत्पादन अधिक होने के कारण तथा उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाने के कारण अधिनियम में कुछ संशोधन करने आवश्यक समझे गये।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सभा ने हाल में जो एक बिजली (संशोधन) अधिनियम पारित किया है, जिसमें बिजली बोर्ड बनाये जाने की व्यवस्था है, उससे यह विधेयक भिन्न है। वह देश में बिजली के समन्वित विकास के बारे में था। यह विधेयक मुख्यतः अनुज्ञप्तिधारियों की शर्तों के बारे में है और इसमें यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों के अधीन अनुज्ञप्ति भंग की जा सकती है, उनको ले लेने के पश्चात् प्रतिकर किन शर्तों पर दिया जा सकता है; गैर-सरकारी उपक्रमों अथवा अनुज्ञप्तिधारियों और उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं राज्य सरकारों का उन पर कितना नियन्त्रण होगा आदि। हमने यह भी व्यवस्था रखी है कि अनुज्ञप्तिधारियों के साथ होने वाली शर्तों के मामले में सभी राज्यों में बनाये गये बिजली बोर्डों से परामर्श लिया जाना चाहिए।

यह कुछ संशोधन हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने सभा में बताया है। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : **श्रीमान्, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आपको पता है कि बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। जब पाटिल साहिब इस विभाग के प्रभारी थे तब मैं उनके पास गया था और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि वे बिजली कर्मचारियों की सहायता करेंगे किन्तु उन्होंने कोई सहायता नहीं की।**

†अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले प्रस्ताव सभा के समक्ष रखने दें और फिर आप बोल सकते हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को समिति में रखा गया है क्या उनमें से किसी को हड़ताल के बारे में कुछ पता है? क्या इन लोगों को पता है कि कल मेरे पास श्री लक्ष्मी नारायण आये थे और उन्होंने कहा था कि वह पुनः हड़ताल करेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : सभा को यह सब विदित है। माननीय सदस्य समिति में अपना साक्ष्य दें।

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश) : श्रीमान्, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि माननीय सदस्य इस विधेयक को अविवादास्पद समझते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

पहले तो विद्युत् के राष्ट्रीयकरण के मामले को ही एक ओर कर दिया गया है । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या हम यहां राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया निर्धारण करने लगे हैं ।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है । इस अवसर को सरकार किस कारण से प्रयोग नहीं करना चाहती ।

अब हमें राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करना चाहिए । हम इस विधेयक में संशोधन करके कुछ अधिमान्यतायें निर्धारित कर रहे हैं अर्थात यदि किसी गैर-सरकारी विद्युत् संभरण कारखाने की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाये तो सब से पहले राज्य विद्युत् बोर्ड को उसे खरीदने का अवसर दिया जायेगा । यदि वह न ले तो राज्य सरकार तथा उसके पश्चात् स्थानीय निकाय को अवसर दिये जायेंगे । यह कोई लाभप्रद व्यवस्था नहीं है । हमें राज्य विद्युत् बोर्ड के लिए यह बात अनिवार्य बना देनी चाहिए कि वह ही इसे ले । यह व्यवस्था राष्ट्रीयकरण की ओर प्रथम पग के समान होगी ।

इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यदि राज्य विद्युत् बोर्ड के पास इतने पैसे न हों तो वह क्या करे ? इस का उपचार भी हो सकता है । हमें एक नीति बना लेनी चाहिए कि जब ऐसा अधिग्रहण करना हो तो कभी भी नकद मुआवज़ा न दिया जाये बल्कि भुगतान ब्याज वाले बन्धकों में किया जाये । बम्बई सरकार ने यही नीति अपना रखी है ।

किन्तु यह विधेयक तो इस प्रकार के स्पष्ट उपबन्ध से पूर्णतया रिक्त है । इसमें एक के बाद दूसरे को ऐसे कारखाने के लेने का अवसर दिया जायेगा । यही त्रुटि इस विधेयक को निकम्मा बनाती हैं । यह एक बड़ी भारी त्रुटि है ।

दूसरी बात यह है कि मैं यह विरोध नहीं करता कि गैर-सरकारी उपक्रम इस क्षेत्र में प्रवेश न करें कुछ वर्षों तक हम उसे सहन कर सकते हैं । हमारे लिए राष्ट्रीयकरण की आकस्मिक विधि बनाना संभव भी नहीं है । किन्तु हम इस दिशा में अभी से अग्रसर तो हो ही सकते हैं और हमें होना भी चाहिए ।

पहले तो हमें लाभ की मात्रा पर धीरे धीरे नियंत्रण लगाना चाहिए । सरकार ने अनुज्ञप्तियों में संशोधन करने की शक्ति ली है अतः उसे देशहित के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीयकरण के लिए आग्रह करने का हमारा सब से बड़ा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता को लाभ पहुंचे किन्तु उपभोक्ताओं को इस समय कोई सुविधा नहीं है ।

इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री संशोधन द्वारा किरायेदारों को बिजली लगवाने की जो सुविधायें देना चाहते हैं वे इस स्थिति में लाभदायक न होंगी । यदि कोई किरायेदार, मालिक मकान की स्वीकृति के बिना ऐसी सहमति देगा तो उस पर निष्कासन का दावा चल सकेगा क्योंकि कोई भी किरायेदार मकान मालिक की अनुमति बिना मकान में कोई परिवर्तन नहीं करा सकता । इस कारण यदि सुविधा देनी ही है तो उस उपबन्ध में यह भी स्पष्ट कीजिये कि किराये सम्बन्धी अधिनियमों के उपबन्धों के होते हुए भी किरायेदार स्वीकृति दे सकेगा और अन्य उपबन्धों का उस पर प्रभाव न होगा । तब तो सुविधा प्राप्त होगी अन्यथा नहीं ।

उपभोक्ताओं की बहुत सी कठिनाइयां होती हैं । मुझे उनकी कठिनाइयों का अनुभव है । यह ठीक है कि आपने सदस्यों की संख्या घटा कर ६ से २ कर दी है किन्तु कठिनाई तो बनी रहेगी ।

†**श्री हाथी** : सदस्यों की संख्या ६ से २ कर दी गई है । वहां तो कारखाने वाले दो वर्ष तक के लिए प्रत्याभूति की रकम मांगते हैं । हम ने व्यवस्था की हैं कि विद्युत् संभरण की लागत का १५ प्रतिशत ही प्रत्याभूति की राशि होना चाहिए । पहले प्रत्याभूति की राशि भिन्न होती थी ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार लागत की प्रत्याभूति लेने के नियम इन परिस्थितियों के प्रतिकूल हैं । यह पुराना हो चुका है । अब इसकी कोई पूछ नहीं होनी चाहिए । इससे नये लोगों को बड़ी कठिनाई होती है । हमें उपभोक्ताओं पर कम से कम भार डालना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले लेने वाले व्यक्ति पर इतना भार नहीं डालना चाहिए । यह क्या न्याय हैं ।

†**श्री हाथी** : इस प्रश्न पर विचार करना होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संयुक्त समिति में इस बात पर विचार किया जाये और निर्धन लोगों को अधिक सुविधायें प्रदान करने के उपबन्ध बनाये जायें ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : यह अधिनियम आज से अर्धशताब्दी पूर्व का है । पुरातन है । हमें प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । यह प्रत्याभूति का सिलसिला आज के युग में उचित प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार की बातों से छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों को बहुत कठिनाईयां होती हैं ।

दूसरे यहां जो बिल भेजे जाते हैं वह भी अधिक होते हैं । यहां नई दिल्ली के सामान्य उपभोक्ताओं को तो बिजली विभाग सचमुच तंग करता है ।

इस कारण यह उपबन्ध भी आपको करना चाहिए कि यदि कोई उपभोक्ता कारखाने वालों को शिकायत का पत्र पंजीबद्ध करा कर भेजे तो वे उसका उत्तर दें और बिल ठीक ढंग से भेजें । यदि उपभोक्ता तथा कारखाने वालों में बिजली के उपभोग की मात्रा पर कोई विवाद उठे तो उसे सुलझाने के लिए भी सीधी सी व्यवस्था होनी चाहिए । यहां के मीटर देखने वाले लोग बड़ी गड़बड़ी करते हैं ।

केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड में ही सरकारी पदाधिकारियों की संख्या अधिक रहती है । इस में उपभोक्ताओं का कोई प्रतिनिधि नहीं होता । उन का प्रतिनिधि भी होना चाहिए ।

विधेयक के पृष्ठ ११ को देखने से विदित होगा कि सरकारी संस्थापनों को विद्युत् देने के लिए अधिमान्यता देने की वहां व्यवस्था प्रस्तुत है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता । कई संस्थापनों में सरकार वाणिज्यिक रुचि रखती है अतः ऐसे मामलों में उन्हें बिजली के लिए प्राथमिकता देना उचित नहीं है । सरकारी समवाय तथा गैर-सरकारी समवाय में मतभेद नहीं होना चाहिए ।

सामूहिक रूप से यह सारा प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः सरकार को इस पर बड़े ध्यान से विचार करना चाहिए तथा विधेयक को प्रगतिशील बनाने का प्रयास करना चाहिए ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**]

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : अब सरकार १९१० के मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहती है । यह नीति का प्रश्न है । आज से ४७ वर्ष की परिस्थितियों तथा आज की परिस्थितियों में धरती आकाश का अन्तर है । वह विधेयक उस समय तो व्यापक था किन्तु अब व्यापक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टी मेनन]

स्वतंत्रता के पश्चात भी एक अधिनियम पारित किया गया था किन्तु उस समय बिजली का महत्व इतना न बढ़ा था जितना कि यह आज बढ़ गया है। आज तो आर्थिक व्यवस्था की सारी विचार-धारा ही बदल गई है।

सब लोग जानते हैं कि बिजली देश की आर्थिक प्रगति के लिए कितनी आवश्यक है। हमारा देश २०० वर्ष तक दासता की जंजीरों में रहने के कारण बहुत पीछे रह गया है और अब हम उसी कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहां उस समिति का उल्लेख भी हुआ जिसने बिजली के सारे प्रश्न की जांच की है।

समिति को कहा गया था कि वह सिफारिशें करने से पूर्व विदेशों के विद्युत् सम्बन्धी कानून देख ले और तब इस पुरातन अधिनियम में सारवान संशोधनों का सुझाव दे। किन्तु प्रतिवेदन देख कर हमें बहुत निराशा होती है कि उन्होंने कोई भी सुधार का सुझाव नहीं दिया है। अब सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में वह अपनी निश्चित नीति का निर्धारण कर ले।

इस विधेयक में संशोधन करने का प्रश्न १९२८ में भी उठा था किन्तु तब १९३९ में युद्ध आरम्भ हो गया और वह मामला वहीं रह गया। किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत न किया और न ही इस ने इस का कोई युक्तियुक्त कारण बताया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे देश के अन्दर बहुत से नये कारखाने स्थापित होने हैं। बहुत प्रगति होनी है। यदि विद्युत् के सम्बन्ध में हम कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं करेंगे तो हमें कोई लाभ नही होगा।

यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। बर्मा शैल वालों ने अपने लन्दन कार्यालय को लिखा है कि १९६९ तक देश में तेल की खपत बढ़ती जायेगी और अधिक तेल की मात्रा आयात करनी होगी। भारत सरकार बिजली उत्पादन की बातें करती है और तीसरी योजना की अवधि तक भी उसकी बातें केवल बातें ही रहेंगी। अब सरकार को देख लेना चाहिए कि विदेशी व्यापारी सरकारी योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या जिस दस्तावेज का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं वास्तविक है। उन्हें इस बात पर पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैं तो इस जाकारी को ठीक समझता हूं। मैं इस दस्तावेज को यहां इसी कारण रख रहा हूं कि सरकार उसकी तथ्यता की जांच कर ले। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब आप इसे सभा-पटल पर रख दें।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैं सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। इसका शीर्ष है "व्यापार सम्बन्धी १९५९–१९६३ के (अन्तिम) तथा १९६८ के अग्रिम अनुमान"। मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। मैं इसे महत्वपूर्ण समझता हूं। जब एक ऐसी समवाय के ये विचार हों हमें अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को दृढ़ नीति अपनानी चाहिए।

†**श्री हाथी** : यह पत्र किस ने किस को लिखा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बर्मा शैल वालों ने अपने लन्दन मुख्यालय को लिखा था। माननीय सदस्य का उद्देश्य यहां यह है कि गैर-सरकारी समवाय किस रीति से सरकारी नीति को देखते हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: इस समय जैसा कि श्री भरूचा ने कहा सरकार ने यह भी घोषणा नहीं की कि क्या वह बिजली के क्षेत्र में गैर-सरकारी उपक्रम को धीरे धीरे उत्साहन करते जाएंगे या इस क्षेत्र में गैर-सरकारी उपक्रम को प्रोत्साहन देंगे। इस विधेयक को देख कर तो यही प्रतीत होता है कि सरकार ने मूल भूत नीति सम्बन्धी बातों की ओर ध्यान न दे कर केवल मात्र साधारण कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही संशोधन प्रस्तुत किये हैं। अब यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जायेगा अतः सरकार को चाहिये कि नीति सम्बन्धी बातों पर भी निर्णय करे अन्यथा क्या लाभ होगा ।

दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है। जहां तक प्रतिकर देने का सम्बन्ध है माननीय मंत्री न कहा है कि सरकार या कोई भी निकाय जो विद्युत संस्थापन को लेगा वह बाजार मूल्य के स्तर का मुआवजा देगा। यह बात ऊपर से तो उचित प्रतीत होती है किन्तु इस से तो लेने वाला लुट जायगा। आज से १०/१५ वर्ष पहिले जो मशीनें खरीदी गयीं उन का मूल्यब हुत कम था किन्तु आज उन्हीं का मूल्य, कई कारणों से बहुत बढ़ गया है। इस कारण मुआवजा देने वाले को तो बड़ा घाटा रहेगा। वह लागत से १०/१५ गुना अधिक धन दे कर लेगा। इसी के दूसरे पक्ष में जटिल समस्या यह है कि मूल्यांकन करने वाला पदाधिकारी न्यायोचित मूल्य का निर्धारण किस रीति से करेगा। दूसरा प्रतिकर का तरीका यह हो सकता है कि विनियोजन की दर्ज राशि दी जाये किन्तु इस से भी बहुत सी कठिनाइयां सामने आ रंगी। कोई भी एक कारखाने को तब तक न ले सकेगा जब तक कि वह अधिनियम में उपबन्धित रीत्यानुसार प्रतिकर न दे दे। इस प्रकार इस सारे विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

दूसरे इस प्रकार की विधियों का स्वरूप बड़ा ही अनोखा है। सरकार यहां लाभ की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस के विचित्र परिणाम निकलते हैं। जबकि अन्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिक बोनस ले सकते हैं। यहां इन श्रमिकों को बोनस नहीं मिल सकता। इस प्रश्न पर अनेक बार विचार भी किया गया है ।

†**श्री हाथी** : हम ने बोनस सम्बन्धी संशोधन १९४८ के अधिनियम में संभवतया किया तो था ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात् एक संशोधन किया गया था। किन्तु इस का कोई परिणाम नहीं निकला है। लाभ के वितरण की सीमा से भी श्रमिकों के वेतन तथा बोनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने आदि के सम्बन्ध में बहुत सी बातें मित्र श्री भरूचा ने कह दी हैं। हमें सिंचाई के लिये बिजली देने में प्राथमिकता देनी चाहिये। देहात में भी बिजली संभरण पर थोड़ी रियायत देनी चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक पर समिति बड़ा व्यापक विचार करेगी तथा यदि संभव हुआ तो इसे एक संहिताबद्ध विधेयक का रूप दे ही देगी।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली, रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिजली संशोधन बिल हमारे सामने है उस के सिलसिले में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो लोगों की निजी कम्पनियों से कठिनाई उठानी पड़ रही हैं उस के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नवल प्रभाकर]

मेरा निर्वाचन क्षेत्र नरेला है। वहां पर एक निजी बिजली कम्पनी है जिस को सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है। पर उस की रेट बहुत ऊंची है। जबकि यहां दिल्ली में साढ़े तीन आने प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है तो नरेला में जो एक छोटा सा कसबा है दस आने प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है। यह जो इतना भारी अन्तर है वह मेरी समझ में मिटना चाहिये। भाखरा से जो बिजली दिल्ली को आती है वह नरेला के पास से गजरती है। वहां पर दिल्ली बिजली सप्लाई अंडरटेकिंग ने एक खम्भा भी खड़ा कर दिया है किन्तु कुछ कानूनी दिक्कतें ऐसी आ गई हैं जिन की वजह से नरेला के लोगों को दिल्ली की तरह सस्ती बिजली नहीं मिल पाती और यह जो निजी कम्पनी है वह वहां के लोगों को तरह तरह से परेशान करती रहती है। कभी वह कम्पनी अदालत से इंजंक्शन आर्डर ले लेती है और कभी और बाधायें खड़ी कर देती है जिन के कारण वहां पर सस्ती बिजली नहीं पहुंच पाती ।

कम्पनी की ओर से वहां पर कुछ नाजायज कारंवाई भी होती है। मैं वहां गया तो मैं ने देखा कि वहां पर हर कंज्यूमर को कम से कम एक खास कीमत तो देनी ही पड़ती है। चाहे एक कंज्यूमर दो यूनिट ही बिजली जलाये पर उसे वह खास कीमत तो देनी ही होगी। जहां तक मुझे खयाल है वह कम से कम कीमत दो रुपया दस आना है। अब अगर एक कंज्यूमर दो यूनिट बिजली जलाता है तो भी उस को दो रुपया दस आना तो देना ही होगा, यानी उस को एक यूनिट बिजली एक रुपये और पांच आने की पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि यह जो अन्तर है यह हटना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि दिल्ली के आसपास के जो कसबे हैं वहां पर दिल्ली से बिजली जानी चाहिये और यह जो निजी कम्पनियां हैं इन को तुरन्त हटा देना चाहिये। इस कम्पनी से वहां पर बड़ा भारी असन्तोष है। इस सम्बन्ध में पहले राज्य सरकार को भी मैंने कई बार लिखा था पर इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। अब कारपोरेशन बन गया है और अब बिजली के वितरण का काम कारपोरेशन के हाथ में चला गया है। कारपोरेशन से भी इस बारे में काफी लिखापढ़ी हुई है। कारपोरेशन बिजली देना चाहता है किन्तु जो कानूनी दिक्कतें हैं उन के कारण लोगों को बिजली नहीं मिल पाती। तो मैं चाहता हूं कि इस बिल में कोई ऐसा प्रावीजन होना चाहिये कि ये निजी कम्पनियां जो अड़ंगाबाजी लगाती हैं उन का रास्ता बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिये और जनता को जो लाभ मिल सकता है उस का रास्ता खोल देना चाहिये।

यहां पर दिल्ली में जो बिजली दी जाती है तो उस सिलसिले में मीटर की सिक्योरिटी के नाम से एक खास रकम जमा करवायी जाती है। और यह देखा गया है कि यह सीक्योरिटी की रकम इतनी होती है कि इस से एक नया मीटर ही खरीदा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि यदि यह रकम देने के बजाय कोई उस रकम से अपना मीटर खरीद कर लगाना चाहे तो उस को ऐसा करने की पूरी छूट होनी चाहिये। जो बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनी है वह यह देख ले कि यह मीटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यहां पर दिल्ली में कंज्यूमर को रुपया जमा करना पड़ता है और साथ ही ६ आना महीना मीटर का किराया भी अलग से देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि या तो मीटर का किराया ही ले लिया जाया करे या यह रकम ही ले लें। परन्तु हो यह रहा है कि मीटर की सिक्योरिटी के नाम पर भी एक रकम ली जाती है और प्रति मास उस के लिये किराया भी लिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि यदि कोई आदमी अपना मीटर नहीं लगा सकता तो उस हालत में बिजली कम्पनी या जो संस्था बिजली वितरण करती है वह या तो उस का किराया ले ले या सीक्योरिटी की रकम ले ले। इस बिल में इस तरह का कोई प्रावीजन होना चाहिये।

म एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह कि यहां पर दिल्ली में घरेलू उपयोग के लिये बिजली बहुत कम मिलती है। मैं चाहता हूं कि वह ज्यादा मिलनी चाहिये। आसपास की जो कालोनीज

हैं उन में भी बिजली की बहुत कमी है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को अधिक से अधिक बिजली मिलनी चाहिये ।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। दिल्ली में बड़े बड़े दफ्तर हैं, जहां सारे दिन बिजली जलती है, पंखे चलते है, हीटर जलते हैं। किन्तु रात के समय यह बिजली बिल्कुल खाली रहती है। तो मेरा एक विनम्र सुझाव यह है कि दिल्ली में जो करीब ३०० गांव हैं उन को रात के समय यह बिजली दे दी जाया करे। इस से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है और इस से पैदावार बढ़ाने में भी बहुत सहायता मिल सकती है, और जो बिजली के खर्च न होने से नुकसान होता है वह भी नहीं होगा। तो मैं चहाता हूं कि इस बिल में कोई इस तरह का भी प्रावीजन कर दिया जाये कि रात के समय दिल्ली के किसानों को बिजली मिल सके ताकि वे अपने कुवों से सिंचाई आदि करने का काम में उसे ला सकें। यह सुझाव मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी लोगों ने दिया था। उन का कहना है कि यदि रात को यह बिजली उन को मिल जाये तो उस से वे अच्छी तरह सिंचाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और अगर सम्भव होगा तो इस बिल में इस प्रकार का प्रावीजन कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन अगर रात को बिजली गांवों में खर्च हो गई तो अगले दिन दफ्तरों के लिये नहीं रहेगी।

श्री नवल प्रभाकर : जितनी बिजली दफ्तरों में दिन में खर्च होती है उतनी रात में नहीं होती लेकिन बिजली की मशीन तो बराबर चलती रहती है और उस की जितनी शक्ति है उतनी बिजली पैदा करती रहेगी। अगर उस का खर्च नहीं होगा तो वह बेकार पड़ी रहेगी और उस में नुक्सान रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह का प्रावीजन किया जा सके तो किया जाना चाहिये।

यही सुझाव मुझे देने था। मैं आशा करता हूं कि उन पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री महन्ती** (ढेकानाल) : बिजली अधिनियम १९१० में संशोधन का सुझाव पेश करने के लिए १९५३ में सरकार ने एक मंत्रणा समिति नियुक्त की थी और १९५६ में सरकार ने अपना प्रतिवेदन दिया। पर सरकार इतने विलम्ब के बाद १९५८ के अन्त में संशोधन प्रस्तुत कर रही है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विलम्ब का कारण सभा को बतायेगी। मैं इस समय अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है। पर कुछ बातें मैं संयुक्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि उपभोक्ता के हितों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। बिजली के लिए उपभोक्ताओं को बहुत अधिक दाम देना पड़ता है। सम्बलपुर बिजली कम्पनी हीराकुड में उत्पन्न बिजली १० नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लेती है और उपभोक्ताओं को ५३ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देती है। अतः मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति कुछ ऐसा उपबन्ध अवश्य रखे जिससे जनता को बिजली इतनी महंगी न मिले और मध्यवर्ती लोग इतना लाभ न कमाने पावें।

दूसरी बात यह है कि राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड होने चाहियें। मैं जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों में अभी भी राज्य बिजली बोर्ड नहीं हैं और ऐसे राज्यों में यह विधेयक कैसे कार्यान्वित होगा। इन बोर्डों में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होनी भी आवश्यक है। सरकारी विभागों में राज्य का आधिपत्य होता है। अतः ऐसे राज्यों में बिजली बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें ताकि उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

गैर-सरकारी उपक्रमियों के बिजली कारखाने यदि सरकार लेगी तो सरकार क्षतिपूर्ति देगी। क्षतिपूर्ति की दर उचित बाजार दर रखी गयी है। यह ठीक नहीं है। उचित बाजार दर निर्धारित कैसे की जायेगी। ऐसी अवस्था में अनेक स्थानों पर मुकद्दमेबाजी होगी और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायायलय के वकील खूब पैसा पैदा करेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में समुचित उपबन्ध किया जाये ताकि मामले न्यायाधिकरण को न सौंपे जायें और मुकदमेबाजी न हो।

विधान में कही गयी यह बात भी ठीक नहीं है कि धारा २२क के अधीन बिजली समवाय बिजली देने में राज्य की संस्थाओं को अधिमान्यता दें। राज्य की संस्थाओं के अधीन तो गेस्ट हाउस, होटल तथा सरकार कार्यालय भी आ जायेंगे। यदि राष्ट्रीय उपक्रमों के लिये ऐसा होता तो ठीक भी था पर सरकारी सभी संस्थाओं के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि जनता के हितों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। और यह भेदभाव हटाया जाना चाहिए।

हम जानते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। रूरकेला और भिलाई जैसे इस्पात कारखानों से बेरोज़गारी नहीं दूर होगी। इसके लिये छोटे-पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा और उनके लिए सस्ते दामों पर बिजली की व्यवस्था करना आवश्यक होगा तभी बेरोजगारी दूर होगी। सरकार को केवल सरकारी बाबुओं (सरकारी कार्यालयों) का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए बल्कि सामान्य जनता के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी तो हमें उन्नति की आशा करनी चाहिए।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी): आज जब बिजली अधिनियम १९१० में संशोधन किया जा रहा है तो हमें अनेक महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। इन हाल के वर्षों में इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। काफी समय से गांवों की जनता को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत आतुर है। उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में नल कूपों का उपयोग हो भी रहा है। पर वर्तमान विधेयक में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि गांवों की जनता को अधिक से अधिक बिजली कैसे उपलब्ध कराई जाये। रोजगार बढ़ाने तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम बिजली सम्बन्धी नीति निर्धारित करते समय गांवों का हित अपने सामने अवश्य रखें।

श्री महन्ती ने भी इस बात का उल्लेख किया कि आज कई बिजली कम्पनियां हमारी परियोजनाओं से बहुत सस्ती दरों पर बिजली ले रही हैं पर जनता को बहुत ज्यादा दामों पर बिजली देती हैं। ये बिजली कम्पनियां बहुत लाभ कमा रही हैं। खेती तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सस्ते दामों पर बिजली का दिया जाना बहुत आवश्यक है। कुछ स्थानों पर तो इन बिजली कम्पनियों की हालत इतनी खराब है कि वे जनता को समय पर बिजली नहीं दे पातीं। सारे उद्योगों को इससे हानि होती है तथा जनता को कठिनाई होती है।

कलशियम कार्बाइड जैसे पदार्थों के उत्पादन से बिजली की काफी आवश्यकता होती है और इसके लिये सस्ते दर पर बिजली मिलनी चाहिए। अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों को सस्ते दर पर पर्याप्त बिजली मिले।

बिजली समवायों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में श्री भरूचा ने अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं। मैं उनसे सहमत हूं। मैं यह नहीं कहता कि एक साथ सभी बिजली समवायों का राष्ट्रीयकरण कर दिया

†मूल अंग्रेज़ी में

जाये पर धीरे-धीरे इन समवायों का राष्ट्रीयकरण किया ही जाना चाहिए कि धीरे-धीरे बिजली उद्योग सरकार के अधीन हो जाये। बिजली कारखानों के संचालन की कुशलता पर मैं अधिक ध्यान देने के पक्ष में हूं। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्षमता बढ़ने के बजाय कम हुई है। अतः इस विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय केवल छः या सात राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड हैं। राज्य के अधीन बिजली बोर्ड का कार्य ठीक प्रकार नहीं चल सकता। इस प्रकार उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा। अतः बोर्ड अवश्य बनने चाहियें तभी उपभोक्ताओं का हित होगा।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हाथी जी ने बताया है यह विधेयक बहुत देर में आया है। इस विधेयक को लाने से पहले हमने तीन और विधेयक पास किये थे जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी कि इस विधेयक की आवश्यकता थी। हमने सिक्कों के बारे में एक विधेयक पास किया था फिर नाप तौल के बारे में एक विधेयक पास किया था और ये विधेयक ऐसे थे जिनको कि आम लोग आज तक नहीं समझ पाये हैं, आज भी उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब उनको किलोमीटर इत्यादि की जानकारी करने में जो दिक्कत पैदा होगी, उसका सामना करना पड़ेगा। इसके पहले भी इसी सबजेक्ट पर एक कमेटी का गठन शायद १९५३ में हुआ था अब इस विधेयक के बारे में आप एक ज्वायेंट कमेटी बनाने जा रहे हैं और उस कमेटी के विचारार्थ मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा। इसको पहले पास किया जाना चाहिये था, ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

इस विधेयक को देखने से पता चलता है कि आप मूल विधेयक में आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं, पुराने अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रह हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा होता अगर उसको खत्म कर दिया जाता और नए रूप से विधेयक लाया जाता। वह पुराने आधार पर बना था, पुरानी बातों को लेकर उसको बनाया गया था। आज हम बिजली के युग में चल रहे हैं। पुराने युग में बिजली कुछ ही लोगों के लिए होती थी या सरकारी कामों के लिए होती थी। आम लोगों को बिजली मिलना बहुत मुश्किल होता था और वह बिल्कुल अप्राप्य हुआ करती थी। लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से हर एक सूबे में कुछ न कुछ बिजली के कारखाने चाहे वे हाइडल हों या थर्मल, बन गये हैं और उनको बढ़ाया भी जा रहा है। आज बिजली का काफी प्रयोग भी किया जा रहा है आज गांवों में भी बिजली का उपयोग होना शुरू हो गया है और हम चाहते भी हैं कि गांवों के लोग बिजली से लाभ उठावें, वहां का व्यवसाय भी बढ़े और वे अधिक अन्न भी पैदा करें, उनकी खेती बढ़े। हर तरह से बिजली देश का एक महान् अंग होने जा रही है।

बिजली किस तरह से लोगों को सुलभ हो, इस ओर भी गवर्नमेंट का ध्यान गया है। आज जो गवर्नमेंट यह बिल लाई है, उसको इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर वे सुविधायें सुलभ नहीं हैं जो कि सुलभ होनी चाहियें। आज इस बिल में काश्तकारों के लिए वे सुविधायें सुलभ करने की कोई चेष्टा नहीं की गई है जो उनको सुलभ की जानी चाहियें थीं। आज हम रबी आन्दोलन चलाते हैं, खरीफ आन्दोलन चलाते हैं, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलनों का श्रीगणेश करते हैं और साथ ही साथ बिजली भी अधिक मात्रा में पैदा कर रहे हैं। हम यह भी चाहते हैं कि लोग बिजली का उपयोग करें और बिजली की मदद से सिंचाई करें। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज गोरखपुर में बिजली की दर इतनी अधिक है कि जो खेतिहर है वह आपके नलकूपों से पानी नहीं लेता है चूंकि बिजली की दर बहुत अधिक है। यहां पर अभी केरल और उड़ीसा में जो रेट बताया गया है उसको सुन कर मुझे हैरानी हुई उन लोगों को वही अधिक मालूम पड़ती ह जबकि हमारे यहां उससे कई गुणा अधिक है। मैं भी आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां खेती के लिए जो बिजली दी जाती थी दो चार महीने पहले उसकी दर आठ आना यूनिट थी। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बतलाता हूं कि चार एकड़ धान में एक पानी लेने के लिए मुझे १२१ रुपये का चार्ज देना पड़ राह है। अब

[श्री सिंहासन सिंह]

आप समझ सकते हैं कि इस दर से कौनसा खेतीहर आपकी बिजली से चल रहे नलकूपों से पानी ले सकता है। चार एकड़ धान की खेती के लिए पानी लेने के लिये १२१ रुपया देना पड़ा है। मैंने जब भाव पूछा तो मुझे बताया गया कि एक रुपये में ११,००० गैलन पानी देते हैं। इस हिसाब से एक यूनिट में ५५३३ गैलन पानी हुआ। इस तरह से आठ आना यूनिट हुआ। इस भाव पर कौन पानी ले सकता है, कोई भी नहीं। अब दर कम हुई है और १६,००० गैलन एक रुपये में दिया जाएगा। अब इस १६,००० गैलन को बांटा जाय तो ५५३३ गैलन नलकूप से एक यूनिट बिजली में निकला है। यानी पांच आना या सवा पांच आना फी यूनिट बैठता है। इस दर पर भी लोग नहीं ले सकते हैं। आप यह शिकायत करते हैं कि बिजली का पूरा उपभोग नहीं हो रहा है। अभी पाणिग्रही साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के उपभोग में कमी हो गई है। यह बात तो स्वतः प्रमाणित है कि उपभोग में कमी हुई है। गोरखपुर में थर्मल प्लांट बना हुआ है १५,००० किलोवाट का। वहां पर चार प्लांट लगे हुए हैं लेकिन उनमें से एक ही अभी तक चल पा रहा है, तीन बंद पड़े हैं। सरकार की शिकायत है कि कोई बिजली लेने वाला नहीं है, लोगों की शिकायत है कि कोई बिजली देने वाला नहीं है। इसी असमंजस में हम पड़े हुए हैं। एक तरफ तो बिजली देने वाला कोई नहीं और दूसरी तरफ बिजली लेने वाला कोई नहीं है। लोग बिजली की मांग करते हैं और उनको बिजली नहीं मिलती है। समझ में नहीं आता कि क्या बात है। आज जो बड़े बड़े खेतिहर हैं वे चाहते हैं कि वे अपने ट्यूबवैल्स को बजाय डीजल एंजिन के बिजली से चलायें, उनको बिजली नहीं मिलती है। उनकी दरख्वास्तें सालों पड़ी रहती हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। गोरखपुर में एक व्यक्ति जो कि देवरिया का था लखनऊ तक गया कि उसको उसके ट्यूबवैल के लिए बिजली दी जाय, नहीं मिली। जब बिजली खेतीहर लोगों के लिए और देहातों में रहने वाले लोगों के लिए लगाई जा रही है या मुहैया की जा रही है तो फिर जब खेतीहर बिजली मांगता है और उसको नहीं दी जाती है तो उसका उपभोग कौन करेगा? गांवों और कस्बों में लोग बिजली चाहते हैं उनको नहीं मिलती है।

बाकी रही दर की बात। हमारे भाई ने नौ पैसे और तीन पैसे की शिकायत की है। हमारे उत्तर प्रदेश में दर में कमी हो जाने के बाद भी—पूर्वी क्षेत्रों में, जिन के बारे में यह कहा जाता है कि वहां अन्न की बड़ी कमी है और जिसकी तरफ हमारी केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान गया है और शायद वह साढ़े सात करोड़ रुपया पूर्वी जिलों के उत्थान के लिए व्यय भी करना चाहती है ताकि वे स्वावलम्बी हो जायें—आज ३६ नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है जो कि छः आने के करीब जा कर बैठती है। यह तो गवर्नमेंट द्वारा जो बिजली दी जाती है उसकी दर है। लेकिन जो प्राइवेट लाइसेंसी है, उसके द्वारा जो बिजली दी जाती है उसकी दर नौ आना फी यूनिट है गोरखपुर में। नौ आना फी यूनिट के हिसाब से आप ही बताइये कि कौन बिजली लेगा। सिवाय बड़े बड़े आदमियों के दूसरा कोई भी इस रेट पर बिजली नहीं ले सकता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बिजली होते हुए भी वह खर्च नहीं हो पा रही है। दिल्ली में जहां पर कि हम रहते हैं हमको साढ़े तीन आने फी यूनिट पंखे और बिजली के देने पड़ते हैं और जो पावर है उसके लिए हमें केवल डेढ़ आना फी यूनिट ही देना पड़ता है। इसके मुकाबले में मैंने आपको बतलाया है कि १६,००० गैलन पर साढ़े पांच आने फी यूनिट के हिसाब से हमको वहां देना पड़ता है। समझ में नहीं आता है कि यह जो रोग है यह कहा है और इसका क्या इलाज है। मुझे नहीं पता कि इस रोग का इलाज भी किया गया है या नहीं। मैं तो समझता हूं कि कुछ भी इसका इलाज नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि ज्वायंट कमेटी विचार करे कि अगर खेतीहर लोग मांग करते हैं कि उनको पानी के लिए बिजली दी जाए तो उनको प्राथमिकता दी जाए। यहां पर जो प्राथमिकता दी गई है वह सरकारी दफ्तरों को दी गई है। आज अगर कहीं पर कोई सरकारी

दफ्तर खुल जाता है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी, खेतीहार को नहीं। मैं चाहता हूं कि इस प्राथमिकता के सवाल पर भी कमेटी विचार करे। अगर आप चाहते हैं कि अधिक अन्न पैदा किया जाए और अगर वह बिजली सप्लाई करने से हो सकता है, तो आपको सस्ते भाव पर बिजली देनी होगी। यदि आपने ऐसा किया तो हमारी जो अन्न की आवश्यकता है वह पूरी हो सकेगी या उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और आपको बाहर से कम अन्न मंगाना पड़ेगा या बाहर से अन्न मंगाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मीटरों की खराबी के बारे में यहां पर शिकायत की गई है। यहां पर कहा गया है कि इंस्पैक्टर जा कर जांच करने के बाद जब से वह खराबी पैदा हुई हो तब से कुछ कमी बेसी की जाएगी। इस तरह का कुछ तरीका आज तक रहा है। हमारी शिकायत है कि कम्पनियों द्वारा जो बिजली दी जाती है वहां पर इसके लिए पहले दस रुपया जमा कराना पड़ता है और अगर दस रुपया जमा नहीं कराया जाता है तो जो मीटर की खराबी है वह उसी तरह से चलती रहती है और चार्ज पड़ता रहता है। इसमें किसी तरह से कंज्यूमर को कोई सुविधा नहीं मिली है। इधर तो कंज्यूमर को सुविधा है कि दरख्वास्त दे, नोटिस दे, इंस्पैक्टर आवे, जांच करे। लेकिन कम्पनी को सीधे अगर वह दरख्वास्त करता है कि हमारा मीटर खराब है, आकर देख लो तो उसको पहले तो दस रुपया जमा कराने पड़ते हैं और अगर खराबी निकल आए तब तो दस रुपए उसको मुजरा दे दिये जाते हैं और अगर खराबी न हो तो ज़ब्त कर लिये जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि न वह दस रुपये जमा करता है और न जांच होती है। मैं चहाता हूं कि इस पर भी विचार होना चाहिए।

इसमें एक अच्छी बात है। इसमें कहा गया है कि अगर दो आदमी बिजली चाहें तो लाइन बन सकती है। पहले छः आदमियों के दरख्वास्त देने पर यह हो सकता है। रबी आन्दोलन में हमने देखा है कि उसमें भी यह है कि अगर छः आदमी दरख्वास्त दें तभी खाद मिलती है अन्यथा नहीं। अब खाद लेने वाला पहले छः आदमियों की खोज करे तब जा कर खाद की सुविधा से फायदा उठाये और अगर उसको पांच और आदमी नहीं मिलते हैं तो वह इस सुविधा से लाभ नहीं उठा सकता है। इसमें छः की लायाबिलिटी और रिसपांसिबिलिटी साथ होती है। इसी तरह से खेतीहर को जब बिजली की ज़रूरत होती है तो उसको एक या दो आदमी अब खोजने होंगे और उसको बिजली मिल जायेगी अन्यथा नहीं। छः से दो जो किये गये हैं, यह स्वागतयोग्य है। इससे अगर कम हों तो उसके खर्चे पर यह चीज़ होगी। यह जो किया गया है, यह खुशी की बात है।

मैं कमेटी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह देखे कि बिजली सस्ते भाव पर कैसे सुलभ की जा सकती है। अब आप हाइल से या थर्मल से बिजली पैदा करना चाहते हैं और यह आपको सस्ती भी पड़ती है। जब ऐसी बात है तो इसके महंगे होने का क्या कारण है। आपने जो विभाजन काम का किया हुआ है वह खर्चीला है। एक ही नल कूप पर काम करने के लिए दो अलग-अलग इंजीनियर हैं, एक बिजली का और दूसरा पानी का। नलकूप बनाने वाला एक इंजीनियर है और दूसरे काम के लिए दूसरा। एक पर एक एस० डी० ओ० है और दूसरे पर दूसरा। पैट्रोल दोनों के लिए अलग-अलग है। एक ही कुंए पर दो व्यक्ति अलग-अलग काम करते हैं।

अब बिजली के अलग एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं और नहर और नलकूप के अलग एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं हालांकि दोनों ने वही इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया है और उनको कोमैन नौलेज है और वह खुद बिजली बना सकते हैं और उस काम को भी कर सकते हैं और इस तरह से अलग सैट आफ़ आफ़िसर्स को न रख करके आप खर्चे को कम कर सकते हैं। और इस तरह आज जो डबल खर्चा होता है वह बंद किया जा सकता है।

[श्री सिंहासन सिंह]

मैं उत्तर प्रदेश की बाबत आपको बतलाऊं कि पहले हमारे वहां दो चीफ़ इंजीनियर्स होते थे जब कि आज ६ चीफ़ इंजीनियर्स हैं। आज हो यह रहा है कि जो नीचे के ऐक्चुएल काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी यह शिकायत है कि हम तो काम करते मरे जाते हैं लेकिन हमारी संख्या बढ़ाने के बजाय हमारे ऊपर के अफ़सरान यानी सुपरवाएज़री स्टाफ़ की तादाद में बढ़ोत्री होती जाती है। जो हमारे कर्मचारी लाइन बनाने वाले हैं उनकी यह शिकायत है कि हम तो लाइन बनाते बनाते मरे जाते हैं और हमारी संख्या जहां १ थी वहां २ कर दी गई है लेकिन इसके विपरीत जो हमारे सुपरवाइज़र्स होते हैं इंस्पैक्टर्स और सुपर इंस्पैक्टर्स उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और वे इतने अधिक हो गये हैं कि हम उन्हीं की आमद के सिलसिले में देख रेख करने में रह जाते हैं। और ऐक्चुएल काम नहीं कर पाते। इसलिए कुछ सुपरवाइज़री स्टाफ़ में कमी की जानी चाहिए और ऐसा करने से खर्च में कमी होगी। नीचे के कर्मचारियों की जो कि वास्तव में काम करने वाले होते हैं उनकी संख्या आप अलबत्ता बढ़ायें ताकि अधिक काम हो सके।

इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव यह है कि बिजली और पानी ये दोनों विभाग एक ही मंत्री के अधीन रहने चाहिये। यह बड़े हर्ष की और प्रशंसा की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले पहल इस दिशा में पग उठाया है और अभी वहां पर जो मन्त्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया है उसमें पावर और इर्रीगेशन ये दोनों विषय एक ही मंत्री को सौंपे गये हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि यहां केन्द्र में पहले ही पावर एंड इर्रीगेशन एक मंत्रालय के अधीन हैं। ये विषय एक के ही हाथ में होने चाहियें क्योंकि इन दोनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है और इसलिए यह दोनों चीजें एक ही मंत्री के पास रहनी चाहियें।

इन सुझावों के साथ में संयुक्त प्रवर समिति से अपील करूंगा कि इसमें उचित परिवर्तन करे ताकि लोगों को आसानी से और सही रेट पर और कम क़ीमत पर बिजली मिल सके।

हमारे गोरखपुर और देवरिया में २७ मिलें हैं जिनमें कि हर एक के पास बिजली मौजूद है और अपने अपने क्षेत्र को वह डवलेप कर सकती थीं। मैंने उसके लिए प्रयत्न भी किया और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सरिया शुगर मिल सरदारनगर गोरखपुर वाले पौने दो आने फी यूनिट की दर से बिजली देने को तैयार थे जब कि वही बिजली सरकार अपने यहां साढ़े तीन आने फ़ी यूनिट के हिसाब से पैदा करती है लेकिन उनसे बिजली सरकार ने नहीं ली और आज वह ३००० क्लोवाट बिजली बेकार पड़ी है। उसका उपयोग होना चाहिए। जहां कहीं से हमें बिजली मिल सके या जो हम पैदा कर सकते हों उसका सदुपयोग करें। हमारे गोरखपुर और देवरिया में ऐसी मिलें हैं जो कि बिजली पैदा करती है और उस बिजली का आप सदुपयोग करके अच्छी फ़सल पैदा कर सकते हैं लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते। मुझे मालूम है कि एक मिल ने यह आफ़र दिया कि वह डेढ़ आने और पौने दो आने फ़ी यूनिट की दर से बिजली सप्लाई करने को तैयार है लेकिन हमने यह देखा कि उसका फ़ायदा नहीं उठाया गया और नतीजा यह हुआ कि न तो उस की बिजली गई और न ही गवर्नमेंट की बिजली उस क्षेत्र में गई जहां कि उसकी ज़रूरत थी और वह क्षेत्र अभी भी अनडेवलप्ड पड़ा हुआ है।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें और जहां पर बिजली पर्याप्त मात्रा में और सही क़ीमत पर उपलब्ध हो उसका सदुपयोग करें और उस बिजली को बेकार पड़ा न रहने

गंगा बाँध परियोजना के बारे में प्रस्ताव

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गंगा बांध परियोजना के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा २ सितम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

यह वक्तव्य २।। महीने पूर्व सभा-पटल पर रखा गया था और हम सभी लोग आतुर थे कि इस पर विचार किया जाये क्योंकि इस परियोजना के साथ सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने बड़ी ढीली तथा टालू नीति का प्रदर्शन किया है।

कई माननीय सदस्यों को आश्चर्य होता है कि पश्चिमी बंगाल के सदस्य गंगा बांध परियोजना के विषय को प्रत्येक उपयुक्त अवसर पर क्यों उठाते हैं। इसका उत्तर यही है कि यह परियोजना हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सभी, चाहे हम किसी भी दल या समूह में हों, इस सम्बन्ध में आतुर हैं कि इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये।

गंगा बांध का मामला पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। पिछले १०५ वर्षों से यह योजना विचाराधीन है पर पिछले कुछ वर्षों में—स्वतंत्रता मिलने के बाद—इस विषय की ओर काफी ध्यान दिया गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार के बार-बार कहने के बाद भी कुछ कारणों से पहली और दूसरी योजना में इस परियोजना को सम्मिलित नहीं किया जा सका। श्री गोखले के सभापतित्व में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी। इस समिति में हालैण्ड का भी एक विशेषज्ञ था। उसके विचार भी इस परियोजना की कार्यान्विति के पक्ष में थे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे पानी सम्बन्धी विवाद हैं और पाकिस्तान इस सम्बन्ध में आपत्ति करेगा। साथ ही हम वार्सिलोना अभिसमय के सदस्य हैं अतः हमें कठिनाई है। दूसरी योजना शुरू होने के समय भी पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की थी और अपनी योजना में भी उसने ३० करोड़ रुपये की व्यवस्था गंगा बांध परियोजना के लिए रखी थी पर फिर भी केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की प्रस्थापन को दबा दिया।

पाकिस्तान तो हमारी हर बात में टांग अड़ाता है। उसकी चिन्ता हम कहां तक करेंगे ? और अब तो हम वार्सिलोना अभिसमय के सदस्य भी नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि गत छः या सात वर्षों तक हम ने क्यों कोई कार्यवाही नहीं की।

एक जर्मन विशेषज्ञ डा० हेनसेन ने भी विस्तृत छानबीन करके अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए]

डा० हेनसेन ने अपने प्रतिवेदन में जिन ९ बातों का उल्लेख किया है उनमें से एक बात यह है कि भागीरथी-हुगली की गिरती हुई स्थिति को सुधारने के लिए गंगा बांध योजना ही एक हल है। पर अभी तक भी सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, यह मैं नहीं जानता।

माननीय मंत्री के वक्तव्य में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है कि सभा में इस विषय पर क्या चर्चा हुई और माननीय उपमंत्री ने वाद-विवाद का क्या उत्तर दिया। उस में सिर्फ यही कहा गया है कि चूंकि १९५४ में भीषण बाढ़ें आई थीं अतः परियोजना में परिवर्तन करना होगा। बाढ़ें तो आती ही रहेंगी पर इस परियोजना को क्यों टाला जा रहा है। सरकार स्वयं कई बार यह स्वीकार कर चुकी है कि भागीरथी-हुगली की समस्या कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है; कलकत्ता की समस्या कोई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी]

प्रान्तीय समस्या नहीं है; भारत की सारी औद्योगिक अर्थ व्यवस्था तथा इस्पात कारखानों का सारा भविष्य इसी बात पर निर्भर है कि कलकत्ते के पत्तन को सुधारा जाये। अतः मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वह बताये कि इस सम्बन्ध में उसने क्या निर्णय किया है। इस परियोजना के पूर्ण होने में १० या १२ वर्ष का समय लग जायेगा, यदि काम अभी से आरम्भ कर दिया जाये। यह सब जानते हुए सरकार किस बात का इन्तजार कर रही है ? सरकार जनता को यह क्यों नहीं बताती कि वह शीघ्र ही इस परियोजना को शुरू करने जा रही है ? यदि सरकार बंगाल की रक्षा करना चाहती है, यदि वह कलकत्ता पत्तन को बचाना चाहती है तो इस के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।

†**सभापति महोदय** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता—मध्य) : यह विषय पूरे देश की अर्थ व्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गंगा बांध योजना की कहानी तो आपको बताई ही जा चुकी है। भारत भौमिकीय सर्वेक्षण के निदेशक, डा० बेनी प्रसाद ने १९३५ में ही कह दिया था कि यदि ठीक समय पर उचित कार्यवाही न की जायेगी, तो भागीरथी नदी मात्र एक झील बन कर रह जायेगी।

गंगा बांध योजना के निर्माण के साथ पूरे कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के पांच जिलों—बर्दवान, बीरभूम, नादिया, मुर्शिदाबाद और चौबीस परगना—की खुशहाली का सवाल जुड़ा हुआ है। अब अधिकांश विशेषज्ञों की भी यही राय है कि इन क्षेत्रों की समस्या का हल गंगा बांध के निर्माण से ही किया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मत है कि इस बांध के निर्माण के लिए वर्ष के सब से अधिक शुष्क महीनों में भी गंगा नदी से पानी नहीं निकालना पड़ेगा। इसलिए अब इसके निर्माण पर पड़ोसी देशों को कोई भी आपत्ति नहीं रह जायेगी।

साथ ही, एक समस्या यह भी है कि कलकत्ता में पीने के पानी में नमक की मात्रा बढ़ गई है, इससे जनता को ही नहीं, रेलवे इंजिनों को भी कठिनाई होती है। फिलाडेल्फिया और सनफ्रांसिस्को में भी एक बार ऐसी ही समस्या आ खड़ी हुई थी। इसका हल यही है कि कलकत्ता शहर को जिस स्थान से नदी का पानी मिलता है, उसी स्थान पर कई जलाशय बना दिये जायें। लेकिन अभी सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है।

गंगा बांध योजना के निर्माण से कलकत्ता पत्तन की भी समस्या का हल हो जायेगा। बांध योजना पूरी होने के बाद, पत्तन अधिकारियों को नदी की रेत हटाने के लिए हर वर्ष इतना अधिक व्यय नहीं करना पड़ेगा।

यदि फरक्का में गंगा बांध बनाया जाये, तो कलकत्ता को बिहार और उत्तर प्रदेश से मिलाने वाली एक बड़ी नहर बनाई जा सकती है, जिसमें वर्ष भर जहाज़रानी हो सकती है। उससे बाढ़ों का संकट भी टल जायेगा और साथ ही मध्य बंगाल की उपजाऊ भूमि के जल-निस्सारण की व्यवस्था भी सुधर जायेगी। उससे भागीरथी नदी के पानी का खारापन भी कम हो जायेगा।

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् ने इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से एक संकल्प भी पारित किया है, जिसमें सरकार की दृष्टि का भी उल्लेख किया गया है।

श्री स० का० पाटिल ने हाल में डायमण्ड हार्बर से कुछ दूर हुगली पर एक और पत्तन बना कर कलकत्ता पत्तन की समस्या हल करने की बात कही है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने भी यही सुझाव दिया है कि कलकत्ता के आसपास बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्रों की समस्या हल करने के लिए एक

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा पत्तन और बनाया जाये । इससे समस्या का हल नहीं होगा । कलकत्ता और देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह जरूरी है कि कलकत्ता पत्तन को इस योग्य बनाया जाये, वहां पानी इतना गहरा किया जाये कि वहां बड़े-बड़े जहाज आ-जा सकें । इसलिए इस समस्या का वास्तविक हल गंगा बांध योजना का निर्माण करना ही है । यदि पास के किसी अन्य देश---पाकिस्तान---की किसी आपत्ति के कारण, विश्व बैंक गंगा बांध योजना को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो बड़ा ही बुरा होगा । इसीलिये मैं कहता हूं कि विश्व बैंक की नया पत्तन बनाने की योजना तो ठीक है, लेकिन गंगा बां योजना को भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए ।

इसमें तमाम कठिनाइयां तो हैं, लेकिन हमें एक स्पष्ट निर्णय करना ही पड़ेगा । पता नहीं सम्बन्धित मंत्रालय इसके बारे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं ।

देश के विभाजन के समय, विभाजन परिषद् की समझ यही थी कि मुर्शिदाबाद जिला इसीलिए भारत में सम्मिलित किया जा रहा है कि फरक्का में गंगा बांध योजना का निर्माण होगा । इसीलिए खुलना जिला पाकिस्तान को दिया गया था । राडक्लिफ आयोग भी इसे भली भांति समझता था । इसलिए अब पाकिस्तान उस पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता । बांध के निर्माण से पाकिस्तानी क्षेत्रों का भी तो बाढ़ से बचाव हो जायेगा । इसीलिए, मैं कहता हूं कि गंगा बांध योजना का प्रश्न टाला नहीं जाना चाहिए ।

लेकिन श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का यह कहना भी सही है कि बांध के निर्माण में लगभग दस वर्ष लगेंगे । तब तक क्या होगा ? विशेषज्ञों की राय है कि हम उस समय तक नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की छोटी-मोटी योजनायें कार्यान्वित कर सकते हैं ।

साथ ही, हम उतने समय के लिए एक गंगा नदी बोर्ड भी स्थापित कर सकते हैं । वह बोर्ड चम्बल, गंडक, सोन और कोसी परियोजनाओं के कार्य में सह-कार्य कर सकता है । इससे गंगा नदी के पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा ।

रूप नारायण नदी के प्रवाह को भी नियंत्रित करना अत्यावश्यक है । इससे हुगली नदी की नौवहन-योग्यता और जल निस्सारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है ।

साथ ही दामोदर घाटी निगम परियोजना में भी कुछ सुधार करने पड़ेंगे । दामोदर घाटी निगम के कार्य संचालन में कुछ रूपभेद किये जाने चाहिएं । दामोदर परियोजना का जल भागीरथी नदी में पहुंचाना चाहिए, तभी उसमें से बंगाल की खाड़ी से आने वाली रेत को बहाया जा सकता है । इसके बिना भागीरथी नदी का जीवन खतरे में पड़ रहा है ।

बंगाल की खाड़ी की बनावट कुछ ऐसी है कि वहां से आने वाली सारी रेत भागीरथी के मुहाने पर जमा हो जाती है और कलकत्ता की तरफ़ आगे बढ़ने लगती है । इसलिए हमें बंगाल की खाड़ी के तट का अच्छी तरह से गहरा अध्ययन करना चाहिए ।

यह समस्या केवल कलकत्ता की नहीं, बल्कि पूरे देश की है । सरकार कुछ राजनीतिक कारणों से कलकत्ता की ओर उचित ध्यान नहीं देती । फिर भी मेरा अनुरोध है कि सरकार को दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए । कलकत्ता पत्तन के जरिये देश को विदेशी मुद्रा मिलती है । कलकत्ता को इस प्रकार अनदेखा नहीं किया जा सकता ।

इसलिये सरकार को गंगा बांध योजना की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करना चाहिये । सरकार को स्पष्ट बताना चाहिये कि वह इन सभी के सम्बन्ध में क्या करने जा रही है । सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

[श्री ही० न० मुकर्जी]

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : माननीय मंत्री ने कहा है कि गंगा बांध योजना कोई नयी योजना नहीं है। इसका इतिहास १८५३ तक पहुंचता है। १८६३ और १८९५ में ही भारतीय इंजीनियरों ने हुगली नदी की दशा बिगड़ती जाने की बात कही थी। १९१३–१४ में ही, सर्वेक्षण के बाद, यह पता लग गया था कि रेत के कारण हुगली नदी का तट धीरे-धीरे पीछे हटता जा रहा है।

सरकार को इन सभी सर्वेक्षणों की जानकारी है। खास तौर से १९१९ के बाद से सरकार को पक्की तौर पर मालूम है कि हुगली नदी में रेत जमती जाने के कारण कलकत्ता पत्तन की नौवहन गम्यता कम होती जा रही है। लेकिन यदि सरकार को उसकी चिन्ता थी, तो उसने अब तक उसके लिये क्या किया है? सरकार ने श्री ए० बैब्स्टर के प्रतिवेदन के बाद भी, १९४६ से अब तक क्या किया है? कलकत्ता पत्तन से आयात से अधिक निर्यात व्यपार ही होता है। इसलिये उसकी समस्या समूचे देश की समस्या है।

हमें बड़ी खुशी है कि सरकार को इसकी चिन्ता है। लेकिन इसके लिये जरूरी यह है कि सरकार एक-दो विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहे और इसके सम्बंध में एक अन्तिम निर्णय करले। बहुत से विशेषज्ञों का परामर्श लेने से पूरी योजनायें घपले में पड़ जाती हैं।

हम इस सभा में १९५२ से गंगा बांध योजना की समस्या पर चर्चा करते आ रहे हैं। इतना तो स्पष्ट है कि इसके निर्माण के लिये धन की कमी अधिक आड़े नहीं आयेगी। मुख्य कठिनाई यही है कि इसके लिये पाकिस्तान द्वारा पैदा की जाने वाली कठिनाई का हल किया जाय। इसके सर्वेक्षण १९४७ से पहले किये गये थे उनमें उस समय पाकिस्तान भी शामिल था। इसलिये अब उसे इस योजना के निर्माण पर क्या आपत्ति हो सकती है?

१९५७ में डा० हैन्सैन ने इसके बारे में सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था। सरकार को उस प्रतिवेदन की सभी बातों की जांच करानी चाहिये और जल्द से जल्द इस योजना का निर्माण शुरू कर देना चाहिये, क्योंकि निर्माण में भी १०–१५ वर्ष तो लगेंगे ही। इस बीच में सरकार को ६ नवम्बर के **हिन्दुस्तान टाईम्स** के इस सुझाव पर भी विचार करना चाहिय कि दामोदर नदी से एक नहर निकाल कर उसे पाल्दा जल केन्द्र तक पहुंचाना चाहिये, जिससे कि कलकत्ता पत्तन को कुछ लाभ पहुंच सके।

श्री स० का० पाटिल ने हाल्दी नदी योजना पर विचार करना आरम्भ कर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके सम्बंध में शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा। साथ ही, उन्हें रूपनारायण और दामोदर नदियों के जल की सहायता से हुगली नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने की योजनाओं पर भी विचार करना चाहिये। तभी हाल्दी के स्थान पर, गांवखली में एक दूसरा पत्तन स्थापित किया जा सकेगा, जो कलकत्ता से अधिक समीप रहेगा।

भारतीय इंजीनियरों को इन समस्याओं की ओर विश्व बैंक के विशेषज्ञों की अपेक्षा, कहीं अधिक ध्यान देना चाहिये। सरकार को इसके आरम्भ होने में अधिक विलम्ब नहीं होने देना चाहिये।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं विरोधी दल के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक गंगा बांध योजना का प्रश्न है, उनके और सरकार के बीच में कोई मतभेद नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंगा बांध के निर्माण का कार्य शीघ्र से शीघ्र आरम्भ करने की चिन्ता मुझे भी बहुत अधिक है। देश भर की परियोजनाओं में आज सब से अधिक महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय यह गंगा बांध योजना ही है। इस समस्या का हल करने के लिये विरोधी दल और सरकार दोनों ही समान रूप से चिन्तित हैं। दोनों में मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है। श्री मुकर्जी ने तो यहां तक कहा है कि सरकार कलकत्ता की उपेक्षा जान बूझकर कर रही है। कलकत्ता से घृणा करके, भारत में कोई भी सरकार एक मिनट के लिये भी नहीं चल सकती। इसलिये ऐसे सारे लांछन गलत हैं। कलकत्ता राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सब से महत्वपूर्ण पत्तन है।

गंगा बांध योजना एक बहु-प्रयोजनीय परियोजना है। मुझे उसकी इतनी अच्छी जानकारी है, कि मैं उसके बारे में घण्टों बोल सकता हूं। मैं उसे बहु—परियोजनीय योजना इसलिये कह रहा हूं कि उससे हमारे कई प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उसका सब से महत्वपूर्ण पहलू तो नौवहन ही है। लेकिन उसका संबंध कलकत्ता के जल-संभरण से भी है, क्योंकि कलकत्ता में सुलभ पीने की पानी का खारापन दूर करना अत्यावश्यक है। कलकत्ता के जल संभरण की व्यवस्था में सुधार करना भी इतना ही जरूरी है।

इससे कुछ कम महत्वपूर्ण है—बाढ़ों का नियंत्रण। इस बाढ़-नियंत्रण से भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिंचाई-व्यवस्था में भी सुधार होगा। इसलिये भारत और पाकिस्तान की भी इस सम्बंध में कोई दो रायें नहीं होनी चाहियें। कम से कम भारतीय विशेषज्ञों की राय तो यही है, अब पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है, यह दूसरी बात है। इस प्रकार, महत्व की दृष्टि से सिंचाई का स्थान चौथा है। और ऐसी अन्य परियोजनाओं की भांति ही, इस परियोजना से भी हमें विद्युत् भी मिलेगी।

लेकिन, इतनी महत्वपूर्ण होने पर भी हम इसका निर्माण अभी ही शुरू क्यों कर नहीं देते? और इतना ही नहीं; मैं तो कहता हूं कि इस परियोजना से एक और बड़ा फायदा यह होगा कि पश्चिमी बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी भाग में अधिक नजदीकी सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। यदि यह गंगा बांध का निर्माण शुरू कर दिया जाये और यदि वास्तव में यह फरक्का परियोजना पूरी हो जाये तो हम एक नहर निकालकर उसका जल त्रिस्ता तक ले जा सकते हैं और उससे ब्रह्मपुत्र को भी मिला सकते हैं, और तब हमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक जाने-आने के लिये ४५० मील का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। उतरी और दक्षिणी भाग में सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायेगा इसलिये गंगा बांध योजना पूर देश की योजना है।

यह योजना समूचे देश के लिये अत्यावश्यक है। इसलिये विरोधी दल के माननीय कम से कम इतना तो समझ ही गये होंगे कि इसका निर्माण आरम्भ करने में कुछ कठिनाइयां अवश्य ही होंगी। इस विलम्ब का कारण न तो धन की कमी है और न यहां के विशेषज्ञों का मतभेद। श्री सामन्त ने विदेशी विशेषज्ञों का उल्लेख किया था। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि विदेशों के विशेषज्ञों की राय भी हम से मिलती-जुलती ही है। वे भी इस बात से सहमत हैं कि इस योजना से—फरक्का बांध बनने से पाकिस्तान के नौवहन और बाढ़-नियंत्रण दोनों ही को काफी लाभ होगा विश्वबैंक के विशेषज्ञों की राय भी हम से भिन्न नहीं है।

डा० हैन्सन भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस से दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने इसे नौवहन की समस्या बताया था। श्री सामन्त ने कहा था कि भगीरथ ने बड़ी साधना के बाद भागीरथी को इस धरती पर अवतरित कराया था, इसलिये उसे सूखने नहीं देना चाहिये और न उसका पानी खारा होने देना चाहिये। इन चीजों के बारे में तो कोई दो रायें हैं ही नहीं।

[श्री स० का० पाटिल]

श्री ही० ना० मुकर्जी ने मेरे कुछ भाषणों का भी उल्लेख किया था। उन्होंने शायद यह समझा है कि यदि एक दूसरा सहायक पत्तन बनाया जायेगा तो फिर गंगा बांध योजना की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जायेगा, या शायद यह कि गंगा बांध योजना के निर्माण के बाद शायद सहायक पत्तनों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी। उनका ऐसा सोचना ग़लत है। चाहे कितने ही सहायक पत्तन बन जायें, गंगा बांध योजना फिर भी जरूरी ही बनी रहेगी। उसको तो टाला ही नहीं जा सकता। हम सहायक पत्तन बनाने की बात इसी लिये सोच रहे हैं कि गंगा बांध योजना का निर्माण होने तक हमें इस समस्या का हल करने के लिये कुछ तो करना ही पड़ेगा। सहायक पत्तनों के निर्माण से केवल नौवहन की समस्या का ही हल किया जा सकता है, अन्य समस्याओं का नहीं, जब कि गंगा बांध योजना एक बहु-प्रयोजनीय परियोजना है। श्री सामन्त ने भी इसका उल्लेख किया था। कभी वह गांवखली परियोजना का समर्थन करते थे। मैं इस समय उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। पता नहीं हाल्दी नदी का सभी दस्तावेज़ों और नक्शों में हाल्दियां कैसे हो गया है। पता नहीं नदियों की मेरी सूची में उसका नाम कैसे छूट गया है। असल चीज यह है कि हम सहायक पत्तन का निर्माण कलकत्ता का महत्व कम करने के लिये नहीं बल्कि उसे बढ़ाने के लिये ही करना चाहते हैं। सभी की ऐसी राय है। हमें यह भविष्य में करना ही पड़ेगा। हमने गांवखली परियोजना के बारे में विचार किया है, लेकिन उसके सम्बंध में कोई भी निर्णय इसीलिये नहीं किया कि उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा: हम विचार करने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं; यह इसलिये कि कलकत्ता में आजकल सभी मौसिमों में आने जाने वाले जहाजों का डुबाव २२ या कहीं-कहीं २६ फीट से अधिक नहीं हो पाता, जो बहुत कम है। प्रोफेसर मुकर्जी ने यह ठीक ही कहा था। ७,००० टन भार वाले जहाज़ भी इस नदी में हमेशा नहीं चल सकते। हाल्दी नदी की भी यह हालत है कि उसमें २५ और ३० फीट तक ही डुबाव मिलता है। यह भी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि विदेशों से आने वाले तैलवाहक और बड़े-बड़े जहाज़ों के लिये कभी-कभी ३५ फीट के डुबाव की जरूरत पड़ती है। इन सभी परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। गांवखली परियोजना को तो छोड़ दिया गया है, क्योंकि उससे कोई सुधार नहीं होगा। अब हाल्दी नदी या मुहाने की परियोजनायें ही शेष रह जाती हैं। मुहाने की योजना में तीन गुना खर्च पड़ेगा, हालांकि उससे समस्या का पूरी तौर पर हल हो जायेगा। उससे हमें ४० फीट का डुबाव मिल जायेगा और वह बड़े से बड़े जहाज़ों के लिये भी पर्याप्त होगा।

मैं श्री मुकर्जी और अन्य सभी मित्रों की इस आशंका का पूर्ण निराकरण कर देना चाहता हूं कि सरकार कलकत्ता की जानबूझ कर उपेक्षा करना चाहती ह। सरकार इतनी मूर्ख नहीं है। वह जानती है कि कलकत्ता पत्तन में ४२ घाट हैं और जो २०० करोड़ रुपयों के मूल्य के हैं। सरकार उसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकती। कलकत्ता एक बेहुत ही उपयोगी पत्तन है, जो एक करोड़ टन लदान का भार वहन करता है। कलकत्ता के महत्व को कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

हम गंगा बांध योजना इसीलिये चाहते हैं कि उससे पश्चिमी बंगाल ही नहीं बल्कि समूचे देश की इन सारी समस्याओं का एक कारगर ढंग से हल किया जा सकता है। लेकिन फिर उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है। श्री त्रि० कु० चौधरी ने बारसिलोना पैक्ट का उल्लेख किया था। उनका यह सोचना गलत है कि हम उसी के कारण रुके हुए हैं। अब तो वह पैक्ट ही नहीं रहा है।

नदी के ऊपरी और निचले क्षेत्र के तट सम्बन्धी अधिकारों का भी उल्लेख किया गया था। हां यह अवश्य रोड़ा बन रहा है। और यह सिर्फ़ इसी में नहीं बल्कि अन्य ऐसी सभी समस्याओं के हल में रोड़ा बन रहा है। हुआ यह है कि विभाजन के बाद हर नदी का ऊपरी क्षेत्र हमारे हिस्से में आया

और बिचला क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में। सिंधु नदी में भी यही हुआ। नहरी जल के मामलों में भी ऊपरी क्षेत्र हमारे हिस्से में है और निचला क्षेत्र पाकिस्तान के। हम किसी बात से भय नहीं खाते, और न हम अपनी निर्भयता दिखाने के लिये कोई बल प्रदर्शन या कुछ और करना चाहते हैं। हम तो अपनी समझ से उचित और न्यायपूर्ण ढंग से ही चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे कार्य से पाकिस्तान को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हमारे देश के लिये जो भी उचित और न्यायपूर्ण है, वही पाकिस्तान के लिये भी उचित और न्यायपूर्ण है। भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों की भी यही राय है कि गंगा बांध के निर्माण से पाकिस्तान के नौवहन और उसकी सिंचाई में भी सुधार होगा। इसलिये यह सोचना ग़लत है कि इस योजना के दो पहलू हैं। यह तो दोनों ही के लिये समान रूप से लाभप्रद है। अब तो इसका सिर्फ एक ही पहलू है कि यह योजना शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित की जाये।

असल में यह समस्यायें पैदा कैसे हुईं ? इन सब में शताब्दियां लगी हैं। पहले भागीरथी नदी में रेत बिल्कुल भी नहीं था। उसकी सभी नहरों में काफी पानी रहता था। लेकिन अन्य देशों से भिन्न, हमारे देश की हिमालय से निकलने वाली नदियों में रेत बह कर आती रहती है। पिछले कुछ सौ वर्षों में हिमालय से आने वाली रेत की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। और इसीलिये पिछले तीन-चार सौ वर्षों में रेत ने जम कर अब बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है।

श्री सामन्त ने पूछा था कि १९२७ में और १९३३ में क्या हुआ। यह सरकार उन दिनों क्या कर सकती थी ? इस सरकार ने तो १९४७ में शासन सम्भाला था। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हम इस योजना को अवश्य ही कार्यान्वित करेंगे।

इस सम्बन्ध में हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि कभी-कभी इस समस्या के बारे में, बहुत अधिक बात करना हानिकारक होता है। लेकिन, मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम इस परियोजना का निर्माण यथा शीघ्र आरम्भ करेंगे। हम थोड़ा विलम्ब इसीलिये कर रहे हैं कि हम इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये पहले से उसकी सभी कठिनाइयों के बारे में सोच लेना चाहते हैं। हम उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहते हैं।

यह भी सोचना गलत है कि धन या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हम इसका निर्माण शुरू नहीं कर रहे हैं। यह योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि विदेशों से एक पाई की भी सहायता न मिले, तो भी हमें भूखे रह कर भी इसका निर्माण करना ही है। हमारे देश के जीवन के लिये यह योजना अत्यावश्यक है। इसलिये मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि न तो सरकार ही इस योजना को टालने की सोच रही है। और न विदेशी विशेषज्ञ ही इसके बारे में सहमत नहीं हैं। दूसरा पत्तन बनाने से भी इसके महत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ कठिनाइयां हैं, जिनके कारण इसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम इसे पूरा अवश्य करेंगे।

मैं सभा को एक और भी बात बता दूं कि इस योजना के निर्माण में जितना ही विलम्ब होता जा रहा है, इसकी लागत उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही है। फिर भी इसमें विलम्ब हो रहा है और इससे हमें समझ लेना चाहिये कि इसके कारण कुछ दूसरे ही हैं। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। हमें उसकी पूरी चिन्ता है। हम यथाशीघ्र इसे शुरू करेंगे।

विभिन्न माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं। यहां मैं उन सब का उल्लेख नहीं कर सकता एक विदेशी विशेषज्ञ ने इसका हल यह बताया कि हम स्वेज की तरह ही एक नहर बना दें। मैंने इस एक दम नये सुझाव पर विशेषज्ञों के साथ बैठ कर घण्टों बातें की हैं। यदि इस तरीके से भागीरथी के स्थान की पूर्ति एक गहरी नहर से की जा सके और इस तरह कलकत्ता पत्तन में सभी मौसिमों में ३० फीट गहरे डुबाव की क्षमता पैदा की जा सके, तो बहुत ही अच्छा होगा। नदी का स्थान एक कृत्रिम, आधुनिक नहर ले लेगी। यह भी एक परियोजना है।

[श्री स० का० पाटिल]

दूसरी परियोजना यह है कि फरक्का में एक पुल बनाया जाये । अभी एक ओर से दूसरी ओर जाने में बड़ा घुमाव पड़ता है । लेकिन अभी तक इन परियोजनाओं पर पूरा विचार नहीं हो पाया है । अभी कहा नहीं जा सकता कि कौनसी परियोजना सबसे अच्छी रहेगी । लेकिन, सरकार इसी समस्या पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने में लगी हुई है । इस सम्बन्ध में पुनरीक्षण होता रहे, इसीलिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने एक बहुत ही सक्षम अधिकारी इसके लिये नियुक्त कर दिया है । अवसर आते ही हम गंगा बांध योजना का निर्माण शुरू कर देंगे । समय कम है, इसलिये मैं अधिक ब्यौरे में नहीं जा सकता । लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सभी समस्यायें समूचे देश और इसलिये समूची सरकार की समस्यायें हैं, केवल पश्चिमी बंगाल की नहीं । इसमें सरकारी और विरोधी दलों का कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है । इसलिये, इसमें चाहे जितनी भी बाधायें आयें, हम इसे पूरा करने के लिये व्यक्त-संकल्प हैं । हां, कुछ बड़े कारण अवश्य हैं, जिनके कारण यह विलम्ब हो रहा है । सरकार इसमें थोड़ा भी समय बरबाद नहीं करना चाहती । समय आने पर गंगा बांध बनेगा और हमारी सैकड़ों समस्याओं का हल भी होगा ही । सरकार अपने वचनों को पूरा करेगी । मैं सरकार की ओर से यह आश्वासन देता हूं । सरकार पूरी ईमानदारी से यह आश्वासन देती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : परिवहन तथा संचार मंत्री की बात से यह ज्ञात होता है कि गंगा बांध परियोजना को क्रियान्वित न कर सकने का कोई गोपनीय कारण है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस परियोजना से देश को लाभ होगा, पश्चिमी बंगाल को लाभ होगा, यह परियोजना आवश्यक है और इसे पूर्ववर्तिता प्रदान की गई है लेकिन इतने पर भी कोई कारण नहीं बताया गया है कि यह परियोजना क्रियान्वित क्यों नहीं की जा रही है । न यही बताया गया है कि वह कब प्रारम्भ की जायेगी । एक कारण यह बताया गया है कि टैक्नीकल बातों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है । वस्तुतः कई बड़ी परियोजनायें अंग्रेजों के समय प्रारम्भ की गईं और उन्होंने तत्सम्बन्धी टैक्नीकल जानकारी तैयार की थी । गगा बांध से सम्बन्धित टैक्नीकल जानकारी हमें उनसे प्राप्त हुई है । तब यह बहाना बनाना अनुचित है कि हमें टैक्नीकल जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

१६५४ में सिंचाई और विद्युत् की परामर्शदात्री समिति में, जिसमें मैं भी उपस्थित थी श्री नंदा ने बताया था कि जांच का कार्य १६५१–५२ में समाप्त हो चुका है । तत्पश्चात् यह बताया गया कि भारी बाढ़ों के कारण नदी का बहाव बदल गया है जिसके फलस्वरूप इसकी पुनः जांच करनी होगी । तब से आज चार वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी भी यह बताया जा रहा है कि टैक्नीकल जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है । इसी कारण श्री चौधरी को सरकार की सदाशयता पर सन्देह हुआ है । श्री हेनसेन ने इस बात की चेतावनी दी है कि कलकत्ता से समुद्री मार्ग खराब होता जा रहा है और कुछ वर्षों बाद वहां से यातायात बिल्कुल ठप हो जायेगा ।

इस वर्ष अगस्त से कलकत्ता बन्दरगाह के अधिकारियों ने एस्प्लेनेड घाट को बन्द कर दिया है । क्योंकि वहां बहुत रेत भर गई थी । नदी का सर्वाधिक व्यस्त अंश जो अहीरतल्ला घाट और पोर्ट पाईंट के बीच है वहां भी बहुत रेत भर गई है । यदि रेत निकालने का कार्य शीघ्रता से नहीं किया गया तो हमें बहुत हानि होने की सम्भावना है ।

हुगली नदी के पानी में नमक भी बढ़ता जा रहा है । २० वर्ष पूर्व यह केवल १० लाख में ७० अंश था । अब यह बढ़ कर ६३० हो गया है । यह पानी पीने लायक ही नहीं रहा है । यदि हम इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही नहीं करेंगे तो कलकत्ता की समस्त जल संभरण व्यवस्था के भंग हो जाने का खतरा है ।

इस बात से सभी सहमत हैं कि फराका बांध के बनने से सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। वस्तुतः उत्तरी और दक्षिणी बंगाल के बीच संचार साधनों का तभी विकास हो सकता है। वस्तुतः गंगा बांध के दूसरे प्रक्रम अर्थात् ब्रह्मपुत्र व निस्ता नदियों को मिलाने से हमें अपने सामान को पाकिस्तान के मार्ग से लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी यह बहुत आवश्यक है।

उक्त बातों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें यह निश्चित रूप से बताया जाना चाहिये कि यह परियोजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा रही है या नहीं। क्योंकि इस सम्बन्ध में पहिले ही बहुत देर हो चुकी है अतः यह बहाना बनाना निरर्थक है कि टैक्नीकल जानकारी उपलब्ध नहीं है। आशा है इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री स्पष्ट उत्तर देंगे।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसार) : गंगा बांध के महत्व को स्वयं मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं। २ सितम्बर, को पटल पर रखे गये वक्तव्य में भी यह स्वीकार किया गया है कि केवल गंगा बांध के द्वारा ही कलकत्ता के बन्दरगाह को बचाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल की याताभोगा, जलांगी, इच्छुमती, यमुना इत्यादि नदियों में भी रेत भर गई हैं। और सिंचाई के प्रयोजन के लिये उनका उपयोग करना असम्भव हो गया है इन नदियों में आये दिन बाढ़ आती रहती है। कलकत्ता नगर में जल निस्सारण प्रणाली बहुत त्रुटिपूर्ण है। थोड़ी देर की वर्षा में ही वहां की गलियां पानी से भर जाती हैं। पहिले ऐसा नहीं होता था। अतः इस दृष्टि से भी यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है।

निस्सन्देह यह परियोजना बहुत विषद है और इसमें ५०—६० करोड़ रुपये व्यय होंगे। अतः इस सम्बन्ध में सारी टैक्नीकल बातों की विस्तृत जानकारी तथा निश्चित प्राक्कलन होना अनिवार्य है तथापि मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्रता करें। विलम्ब होने का चाहे कोई भी कारण हो, उसे सभा से गोपनीय रखना अनुचित है सभा को सभी बातों व कारणों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये।

यह कहा गया है कि इस परियोजना की समाप्ति में १० वर्ष लगेंगे। लेकिन क्या दस वर्षों तक कलकत्ता बन्दरगाह और नगर की अवस्था ऐसी ही रहेगी, क्या तब तक कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के संचार साधनों, यातायात साधनों इत्यादि का कोई विकास नहीं किया जायेगा। अतः इस अवधि में कुछ न कुछ करना है। केवल इस परियोजना के द्वारा ही उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच स्थायी तथा सच्चे संचार साधन सुलभ हो सकते हैं अतः मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में सभा को निश्चित आश्वासन देंगे और इस परियोजना पर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (बाराबंकी) : सभापति महोदय, गंगा राज के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी हैं। मैं शिपिंग के प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

पुराने जमाने में हमारे भारतवर्ष में सबसे भारी पोर्ट ताम्रलिप्ति और नागी पत्तनम् के थे आज से २३०० वर्ष ताम्रलिप्ति समुद्र के पास था लेकिन आज ३५ मील का फासला समुद्र और ताम्रलिप्ति में हो गया है, इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र है वह सौ वर्ष में २ मील के हिसाब से दक्षिण की तरफ जा रहा है। अर्थात् गंगा से इतना ज्यादा बालू आता है कि गंगा के कारण बंगाल की खाड़ी का समुद्र दक्षिण की तरफ हटता जाता है। इसी प्रकार आज जो कलकत्ता का पोर्ट है उसकी भी कुछ समय बाद वही दशा होगी जो कि ताम्रलिप्ति की हो गयी। यह एक प्राकृतिक चीज है जिसको कि हम और आप रोक नहीं सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथसिंह]

यह सही है कि गंगा बराज के द्वारा थोड़ा ज्यादा पानी आवेगा। इसका यह अर्थ होगा कि उससे नदी का स्तर कुछ ऊंचा हो जायेगा लेकिन अगर आप गंगा बराज द्वारा नदी को १५ फीट ऊंचा करके लायेंगे तो आपको दूसरी ओर भी ध्यान देना होगा। इस प्रकार पानी ऊंचा करने का परिणाम यह होगा कि गंगा के किनारे जो शहर हैं या जो खेती गंगा किनारे होती है वह डूब जायेगी। इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिये।

दूसरी बात हमें यह कहनी है कि आजकल कलकत्ता के पोर्ट पर १० हज़ार टन के जहाज बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। करीब ३–४ दिन का वाका है कि एक साढ़े ८ हज़ार टन का जहाज बालू में फंस गया था। अगर गंगा बराज द्वारा १०–१५ फुट पानी ऊंचाकर देंगे तो १० से १५ हज़ार टन के जहाज कलकत्ता पोर्ट में आ सकेंगे। परन्तु आजकल ज्यादा बड़े जहाज बनाने की टेंडेंसी है क्योंकि उनका कास्ट आफ आपरेशन बहुत कम होता है। आजकल जो जहाज़ बन रहे हैं वह ६० या ७० हज़ार टन के हैं जिनको पोर्ट में आने के लिये ६० फुट गहरा पानी चाहिये। अगर हम गंगा बराज को बना भी लें तो हम उन बड़े जहाजों को कलकत्ता पोर्ट में नहीं ला सकेंगे। हम को प्रकृति से युद्ध करना है और प्रकृति इस पक्ष में है कि आज नहीं तो सौ बरस बाद कलकत्ता के पोर्ट की वही अवस्था होगी जो कि ताम्रलिप्ति की हुई थी। २३०० वर्ष में ताम्रलिप्ति से समुद्र ३५ मील दूर हट गया है। कलकत्ता के पोर्ट से भी समुद्र सौ वर्ष में दो मील के हिसाब से दूर हट रहा है। इस हिसाब से २३०० वर्ष में कलकत्ता से समुद्र कम से कम ६० मील दूर हो जायेगा। लेकिन यह एक प्राकृतिक चीज है। इस बालू को आप रोक नहीं सकते। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस स्कीम को चालू करने से पहले इस बात पर गौर कर लिया जाये कि अगर गंगा बराज द्वारा नदी का स्तर दस पन्द्रह फुट ऊंचा कर दिया गया तो किनारे के बसे हुए कितने शहरों को और खेती को नुकसान होगा। इस कारण आन्दोलन भी हो सकता है। तो हमको इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए। मेरा तो सुझाव यह है कि कलकत्ता से तीस चालीस मील दक्षिण में पोर्ट बनाया जाये। इसके लिए सामन्त जी भी बहुत दिनों से सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। वह कहते हैं कि गेओंखाली में यह पोर्ट बनाया जाये। अगर गेओंखाली को ठीक न समझा जाये तो उससे और दक्षिण में हट कर पोर्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि हम कलकत्ता के पोर्ट की रक्षा कर लेंगे तो मैं कहता हूं कि यह नहीं हो सकता। चाहे आज हो या सौ बरस बाद हो यह पोर्ट समाप्त होगा। गंगा बराज बना कर भी आप ज्यादा से ज्यादा दस हजार टन वाले जहाजों को ला सकते हैं। पर आप ६० और ७० हजार टन के जहाजों को फिर भी पोर्ट में नहीं ला सकेंगे। गंगा बराज से तो दस पन्द्रह फुट पानी ही ऊपर हो सकता है। पर ये बड़े जहाज इतने पानी में नहीं आ सकेंगे। आप गंगा बराज बना कर ज्यादा से ज्यादा २० हजार टन तक के जहाज पोर्ट में ला सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं।

इतना ही मुझे निवेदन करना था।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : परिवहन तथा संचार मंत्री महोदय ने गंगा बांध परियोजना के मामले को स्पष्ट करते बहुत अच्छा किया है कि यह मामला सरकार और विरोधी दल के संघर्ष का नहीं है। यदि सभी तरफ़ इस तरह की भावना होती तो बहुत अच्छा होता। हालांकि इस परियोजना के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात की हमें कमी महसूस होती है कि सभी तरफ इस प्रश्न के प्रति पूर्ण जागरुकता नहीं पाई जाती। दामोदर घाटी निगम जैसी परियोजना में से कमियां निकाली जा सकती हैं जबकि उससे हम बहुत लाभ उठा रहे हैं। गंगा बांध परियोजना से भी पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों अथवा समस्त देश को काफी लाभ पहुंचने की सम्भावना हो सकती है। इससे तो हम अपने पड़ौसी पाकिस्तान को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। अतः इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद भी हम यह जानते हैं कि सरकार इस योजना की ओर ध्यान नहीं

दे रही। अब परिवहन मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि इस परियोजना को निश्चित रूप से लिया जा रहा है। इस पर भी उन्होंने यह नहीं बताया कि किन कारणों से निर्माण कार्य रुका रहा है। मैं इतना कहूंगा कि यह परियोजना हमारे राष्ट्रीय हित के लिए बड़ी आवश्यक है, अतः इसे किसी देश के बाहर की शक्ति के इशारे पर रोका नहीं जाना चाहिए। यदि गंगा बांध परियोजना को रोका गया तो इससे कलकत्ते का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा, जो कि देश के हित की बात नहीं होगी। मैं एक यह बात भी कहूंगा कि हमें श्री रघुनाथ जी की तरह २३०० वर्ष बाद की बात न सोच कर आज की बात पर विचार करना चाहिए। उस समय तक हम काफी वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कर सकेंगे।

परिवहन मंत्री ने जो कारण बताये हैं वे, आज की अवस्था में, सन्तोषजनक दृष्टिगोचर नहीं होते। यदि सरकार कोई कारण नहीं बताना चाहती तो उसे स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि सब बातों के बावजूद गंगा बांध परियोजना का कार्य आगे बढ़ाया जायेगा। मुझे यह आशा है कि जो कुछ रुकावट थी वह हट जायेगी और इस बांध परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा।

†**सिंचाई तथा विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी)** : मेरे सहयोगी माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसके पश्चात् मुझे कुछ और कहने और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सरकार गंगा बांध के मामले में पूरी सतर्क है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाना चाहिए। इस परियोजना द्वारा हम कलकत्ता पत्तन का सुधार करना चाहते हैं, और वह राष्ट्रीय महत्व का पत्तन है। और हुगली की ह्रास हो रही स्थिति का जो प्रभाव पत्तन पर पड़ रहा है उससे सरकार अपरिचित नहीं है। इस समय देश का ५० प्रतिशत व्यापार इसी पत्तन के द्वारा होता है। यहीं से ही चाय, पटसन और अन्य चीजों का निर्यात होता है। अब इस्पात के संयंत्रों के लग जाने के कारण माल का लदान १०० लाख टन से बढ़ कर १२० से १५० लाख टन तक पहुंच जायेगा। अतः इस पत्तन का महत्व तो सब को मालूम है और उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय सहयोगी के वक्तव्य से सभी सन्देह और भय दूर हो गये होंगे। सरकार इससे अधिक निष्ठा का परिचय नहीं दे सकती।

जब प्रस्तावक महोदय ने प्रारम्भ में कुछ बातें कहीं तो मेरी इच्छा कुछ कहने की हुई थी, परन्तु अपने माननीय सहयोगी के वक्तव्य के पश्चात् मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर इस परियोजना में देर क्यों हो गयी है और जो बात १८५३ में सोची गयी थी वह आज तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुई। मैं उनकी इस उत्सुकता को समझता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उत्सुकता केवल उन तक ही सीमित नहीं। यह प्रयत्न केवल कलकत्ता, और पश्चिमी बंगाल का ही नहीं, सारे देश का है और सरकार उस परियोजना के सम्बन्ध में सचेत है। शायद इससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट, नहीं होंगे क्योंकि वे तो यह जानना चाहते हैं कि इतने वर्ष क्या होता रहा है। मेरे पास इसका पूरा इतिहास है कि हम १९१५ से १९५७ तक क्या क्या करते आये हैं। यदि मेरे पास काफी समय हो तो मैं यह बता सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष में क्या क्या किया गया, क्या क्या पग उठाये गये, और कौन सी विभिन्न प्रकार की जांचे की गयीं और इस दिशा में वर्तमान अवस्था क्या है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसे परिचालित भी किया जा सकता है। मैं इससे भी आगे चल कर माननीय सदस्यों का विश्वास प्राप्त करना चाहता हूं और जांच की प्रगति के बारे में प्रत्येक दो मास की प्रगति का विवरण सभा को बता सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

अब स्वभाविक प्रश्न यह है कि जिस परियोजना की बात १९५३ में आरम्भ हुई, कारण क्या है कि अब तक उस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ब्रिटिश इंजीनियर इस सम्बन्ध में काफी खोज की हुई सामग्री छोड़ गये थे, और उसका हम लाभ उठा सकते हैं। हमने उसका लाभ उठाया है। इस सम्बन्ध में मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करता हूं कि १९४६ में एक प्रमुख इंजीनियर, श्री ए० वैबस्टर ने कहा था "परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व, काफी--सर्वेक्षण, प्रयोग और सामग्री संग्रह कर लेना आवश्यक होगा"। आगे उसने कहा है, यह बात अनुचित नहीं होगी, यदि मैं यह कह दूं कि इस बांध को पूर्ण होने में शायद २० वर्ष लग जायें।" यह बात १९४६ में कही गयी थी। उस समय जब यह बात कही गयी उतनी सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जितनी कि आवश्यक थी।

१९५० में, केन्द्रीय जल विद्युत् उद्योग ने जांच का कार्य अपने हाथ में लिया। १९५१, ५२-५३ और ५४ तक जांच चलती रही। इस जांच के आधार पर नमूने के प्रयोग भी किये गये। १९५४ में जब सिंचाई तथा कृषि मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल की सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में एक विवरण परियोजना परिचालित किया और उसे पश्चिमी बंगाल के संसद् सदस्यों को दिया गया, तो उसमें भी इसका उल्लेख किया गया था। १९५४ के वर्ष में जो जांच हुई, वह केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग के अनुसार परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करने के लिए पूर्ण थी। परन्तु इसी बीच १९५१ से १९५४ में नदी में भयंकर बाढ़ आती रहीं और फराका के दोनों ओर १२ मील भूमि का कटाव हो गया और जो भी नमूने के लिए प्रयोग किये गये थे, वह सब ऐसे ही रह गये।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : यह सब १९५४ में नहीं, १९४८ से १९५० में हुआ था, परन्तु इससे फराका में बांध के स्थान में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ था। मैं उस क्षेत्र में रह चुका हूं।

†**श्री हाथी** : ठीक है, माननीय सदस्य, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिक जानते हैं। परन्तु हम जो आंकड़े एकत्रित कर रहे थे, वे केवल एक ही क्षेत्र के तो सम्बन्धित नहीं थे। हमें तो सामूहिक तौर पर सारी नदी के आंकड़े एकत्रित करने थे। और इस से सम्बन्धित सभी बातों को देखा जाना था। मेरा निवेदन यह है कि जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था, वह पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया था।

१९५४ में, परिवर्तित अवस्था के आंकड़े एकत्रित किये गये और एक जर्मन विशेषज्ञ ने उस का परीक्षण भी किया। वहां भी बांध की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था। इस बात पर विदेशी विशेषज्ञों तथा भारतीय इंजीनियरों में भी मतभेद की कोई बात नहीं थी। सभी का एक ही मत है। केवल डा० हेनसेन ने एक सुझाव दिया था। उन्हों ने कहा था, "जल सम्बन्धी जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध है और जो कुछ भी इस का इतिहास रहा है, हुगली के विभिन्न प्रकार के विकासों का सविस्तार निश्चय उस के आधार पर करना सम्भव नहीं। इस की व्यापक पैमाइश के लिये बहुत कम समय लगाया गया है। अब इस जांच को ठीक ढंग से और नियमित तौर पर आगे बढ़ा कर ही हुगली और भागीरथी के सम्बन्ध में निश्चित रूप में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध की जा सकती है।" इस आधार पर जांच आरम्भ हो गई है और आगे बढ़ चुकी है। आशा है कि इसे यथा शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। जांच के तैयार होते ही परियोजना रिपोर्ट तैयार हो सकती है। इस में बिल्कुल देरी नहीं की जायेगी। यह इस का कारण था। मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार स्वयं इस मामले में काफी चिन्तित है। इस का प्रतिवेदन जितना शीघ्र हो सकेगा तैयार किया जायेगा, और इस में कोई देरी नहीं की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में धन की वजह से भी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । जब हम १७० करोड़, १०० करोड़ और १२२ करोड़ की परियोजनाओं को चला रहे हैं, तो इस परियोजना को धन के अभाव के कारण कोई हानि पहुंचने की संभावना नहीं । एक ओर जब यह कहा जा रहा है कि यह पत्तन बहुत ही महत्व का है तो फिर इस पर ६० करोड़ या १०० करोड़ रुपये खर्च करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिये । अतः धन का प्रश्न नहीं है । प्रश्न केवल इतना ही है कि इतनी बड़ी, गंगा जैसी नदी को नियंत्रित करते समय, हमें पूरे आंकड़े एकत्रित कर लेने चाहिये, ऐसा न हो कि हमें आगे चल कर कई परिवर्तन करने पड़ें । मैं पुनः कहता हूं कि जैसे प्रस्तावक महोदय ने कहा है, हमारा इरादा इस के विपरीत नहीं है । न ही केन्द्रीय सरकार का इस दिशा में कोई अन्य विचार है । यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है । यदि विचार विपरीत होता तो सरकार जांच करवाने में धन क्यों नष्ट करती ? सत्यता यह है कि निश्चित रूप में हम इस को करना चाहते हैं । केवल इतनी ही बात है कि प्रविधिक विशेषज्ञों की सन्तुष्टि के अनुसार जांच हो जानी चाहिये । मेरे विचारें में इस के बिना कोई भी सदस्य इस को चालू करने के लिये नहीं कहेगा । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि, जांच, सर्वेक्षण इत्यादि को पूरा कर के और प्रविधिक आंकड़े उपलब्ध कर के ही परियोजना को आरम्भ किया जा सकता है । ऐसे ही तो काम आरम्भ नहीं हो जाना चाहिये । सभी विशेषज्ञों का कहना है कि अभी सामग्री काफी नहीं है, विशेष कर जबकि नदी का रुख विशेष महत्व की बात है ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और न ही अब किसी और बात पर प्रकाश डालने की कुछ आवश्यकता ही है । केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार अपना काम कर रही है । जैसे मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि इस के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है और एक विशेष क्षेत्र का निर्माण भी किया है और यथाशीघ्र आंकड़े उपलब्ध करने का यत्न किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त और अधिक आश्वासन देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यह कहना मेरे लिये सम्भव नहीं कि अमुक तिथि से काम आरम्भ हो जायेगा ।

†**डा० रा० बनर्जी** (बांकुरा) : सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री महोदय का कहना है कि इस मामले में कुछ गोपनीय बातें हैं जो बताई नहीं जा सकतीं । परन्तु श्री हाथी का कहना है कि केवल प्रविधिक कठिनाइयां ही प्रमुख रुकावट रही हैं । अब क्या सभा को यह समझना चाहिये कि जो कारण श्री पाटिल के दिमाग़ में हैं वे वही हैं जो श्री हाथी ने बताये हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं ने 'गोपनीय' शब्द का प्रयोग नहीं किया, और इस दिशा में सरकार की जो जिम्मेदारी है उस के प्रति वह जागरूक है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या द्वितीय योजना के कार्यकाल में प्रारम्भिक कार्य कर लिया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : क्या मेरे उत्तर से यह इशारा नहीं मिलता ? मैं ने कहा है कि विवाद के दौरान में कई मुख्य बातें हमारे सामने आई हैं, और इस से पूर्व भी हमारे समक्ष थीं, । माननीय सदस्यों के टिप्पण से वह बातें और भी मजबूत हो गई हैं । हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : जो कुछ श्री पाटिल और श्री हाथी ने कहा है, और जोरदार शब्दों में आश्वासन दिया है, उस से मेरी सन्तुष्टि नहीं हुई । बांध की आवश्यकता को तो सब स्वीकार करते हैं, परन्तु प्रश्न प्राविधिक महत्व का नहीं है । यह उपक्रम करने और निश्चय को कार्यान्वित करने का प्रश्न है । वह काम नहीं किया गया है और हमें विचित्र आश्वासन दिये जाते रहे हैं । कहा गया है कि कुछ प्राविधिक जांचों की प्रतीक्षा की जा रही है, और इस के लिये केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के एक महत्वपूर्ण अधिकारी को लगाया गया है । मेरे विचार में वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

इस सम्बन्ध में जब भी कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यही उत्तर मिलता है कि आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। श्री पाटिल सदन को विश्वास में ले कर यह बताना ही नहीं चाहते कि इस मामले में क्यों देर हो रही है। मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्री स० का० पाटिल तथा श्री हाथी द्वारा जो आश्वासन दिये गये हैं वह परस्पर विरोधी हैं।

अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी और उत्तरी भाग को एक एकीकृत इकाई बनाने और पश्चिमी बंगाल सरकार के "रोप-वे" बनाने के प्रस्ताव के बारे में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो आश्वासन दिया था, उस का क्या हुआ ? उन्हों ने निश्चित रूप से कहा था कि वह इस प्रस्ताव की जांच करवायेंगे।

†**सभापति महोदय** : यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है। यदि मंत्री महोदय इस का उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

†**श्री स० का० पाटिल** : गंगा बांध से इस विषय का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं। इसलिये हम ने इस का सविस्तार उल्लेख नहीं किया। हम इस के महत्व को समझते हैं, यद्यपि हम ने इस पर जोर नहीं दिया। मेरे विचार में पुल इस से कहीं अच्छा रहेगा।

(इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार २० नवम्बर, १६५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

दैनिक सक्षेपिका

[बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९९—२२१
तारांकित प्रश्न संख्या	
६३ आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड . . .	१९९—२०१
६४ न्याय प्रशासन के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन .	२०१–०२
६५ केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन . . .	२०२—०५
६६ ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्र करना . . .	२०५—०७
६७ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति . .	२०८–०९
६८ उड़ीसी नृत्य और संगीत	२१०
६९ राष्ट्रीय झंडा	२१०—१२
७० दिल्ली में बच्चों का अपहरण	२१२–१३
७१ औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आचरण नियम . .	२१३–१४
७२ पूंजी निर्गम नियंत्रण	२१४–१५
७३ क्रीड़ा जांच समिति	२१५—१७
७४ दुगड़ा में कोयला धोने का कारखाना . .	२१७—२०
७५ बिजली की भट्टियों की स्थापना . . .	२२०
७६ निवेली लिग्नाइट परियोजना की लागत . . .	२२१
प्रश्नों क लिखित उत्तर	२२१—५९
तारांकित प्रश्न संख्या	
७७ शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय महाविद्यालय . .	२२१–२२
७८ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों का कल्याण . .	२२२
७९ केरल की निर्वाचन नामावलियों की जांच . .	२२२–२३
८० कोलम्बो योजना	२२३–२४
८१ हिमालय के तलहटी क्षेत्र में तेल सर्वेक्षण . . .	२२४
८२ जम्मू तथा काश्मीर में लिग्नाइट निक्षेप . . .	२२४–२५
८३ दुर्गापुर में फैब्रिकेटिंग शाप . . .	२२५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
८४ यूरोप से युद्धोपकरण की खरीद . . .	२२५–२६
८५ पिघलने वाले कबाड़ लोहे की कीमतें .	२२६
८६ नार्थ ब्लाक में आग लग जाना .	२२६–२७
८७ कन्नड़ उपन्यास "चेन्ना बासव नायका" .	२२७
८८ आयुद्ध कारखानों से चोरी छिपे लाये गये शस्त्रास्त्र .	२२७
८९ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये चूना .	२२७–२८
९० दोहरे कराधान को रोकने के लिये करार . .	२२८
९१ ब्रिटेन के साथ भुगतान संतुलन सम्बन्धी स्थिति . .	२२८–२९
९२ नाटकों के रूपों का सर्वेक्षण	२२९
९३ दिल्ली में इंजीनियरिंग कालेज . . .	२२९
९४ विदेशी मुद्रा .	२२९–३०
९५ सिंगरेनी-कोयला खान	२३०
९६ फैरो-मैंगनीज़ .	२३०
९७ संग्रहालयों का विकास	२३१
९८ उत्तुंग गवेषणा केन्द्र . . .	२३१
९९ स्नेहन तेल (लुब्रिकेटिंग आयल) का उत्पादन	२३१–३२
१०० केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड .	२३२
अतारांकित प्रश्न संख्या	
९३ सैनिक इंजीनियरिंग सेवा	२३२
९४ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी .	२३३
९५ मिर्जा गालिब का दिल्ली का मकान .	२३३
९६ कुतब मीनार में बिजली लगाना	२३३
९७ हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिये हस्पताल, स्कूल आदि	२३४
९८ हिमाचल प्रदेश में विकास योजनायें . . .	२३४
९९ सरकारी विभागों में विदेशी	२३४
१०० हिन्दी की शिक्षा	२३५
१०१ युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक कार्य .	२३५
१०२ प्रतिरक्षा सामग्री . .	२३५
१०३ युद्ध सामग्री कारखानों में विदेशी लोग . .	२३५–३६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१०४	युद्ध सामग्री कारखानों में औद्योगिक श्रमिक .	२३६
१०५	दया की याचिकायें . . .	२३६
१०६	विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२३६–३७
१०७	रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये चूने का पत्थर .	२३७
१०८	शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा	२३७
१०९	ताज महल . . .	२३७
११०	हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट द्वारा खरीदा गया विमान .	२३८
१११	स्टील मेल्टिंग शाप्स . .	२३८–३९
११२	इस्पात कारखानों में विदेशी	२३९
११३	उड़ीसा में स्थान परिवर्ती खेती .	२३९
११४	तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क	२३९–४०
११५	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान . . .	२४०
११६	केन्द्रीय अंग्रेज़ी भाषा संस्था, हैदराबाद . .	२४०
११७	वाणिज्यिक शिक्षा का पुनर्गठन .	२४०
११८	दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-गृह	२४१
११९	पंजाब का क्षेत्रीय फार्मूला . .	२४१
१२०	बाल पुस्तक न्यास . .	२४१–४२
१२१	पंजाब में अफीम की खेती . . .	२४२
१२२	भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेश मुद्राओं का अर्पण	२४२–४३
१२३	अन्दमान में पुनर्वास . .	२४३–४४
१२४	इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र .	२४४
१२५	क्रोमाइट	२४४–४५
१२६	नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर . .	२४५
१२७	गैर-औद्योगिक कर्मचारियों का स्थायीकरण . .	२४५
१२८	प्रतिरक्षा उत्पादन प्रदर्शनी . . .	२४६
१२९	सशस्त्र बलों के लिये नाट्य शाला . . .	२४६
१३०	भूतपूर्व सैनिकों की मंत्रणा समिति . . .	२४७
१३१	भारत में पाकिस्तानियों का प्रवेश . . .	२४७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१३२	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि	२४७–४८
१३३	मंत्रियों के दौरे	२४६
१३४	निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा	२४६
१३५	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर	२४६–५०
१३६	मनीपुर में विस्फोटक पदार्थ	२५०
१३७	सोने का तस्कर व्यापार	२५०
१३८	पंजाब को लोहे और इस्पात का संभरण	२५०
१३६	नेपाल को भेजी जाने वाली वस्तुओं का सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा रोका जाना	२५०–५१
१४०	भारत सेवक समाज	२५१
१४१	उत्कल विश्वविद्यालय	२५१
१४२	दिल्ली में पानी जमा हो जाना	२५२
१४३	इस्पात पुनर्बेलन कारखाने	२५२–५३
१४४	दुर्गापुर इस्पात कारखाने पर लागत का प्राक्कलन	२५४–५५
१४५	इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के दावे	२५५
१४७	भिलाई इस्पात संयंत्र पर खर्च	२५५
१४८	जीवन बीमा निगम	२५६
१४६	पिघलने वाले लोहे के कबाड़ का निर्यात	२५६
१५०	नागा विद्रोही	२५६–५७
१५१	मंत्रालयों में सचिवों के पद	२५७
१५२	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी	२५७
१५३	राज्य विधि मंत्रियों का सम्मेलन	२५७
१५४	खानों में आग	२५८
१५५	त्रिपुरा में विदेशी जन अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत नोटिस	२५८
१५६	सोने का तस्कर व्यापार	२५८
१५७	अनुसूचित जातियां	२५८–५६
१५८	अस्पृश्यता	२५६

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) श्री मोरारजी देसाई की हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

(२) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षितता) अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत २९ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९९० की एक प्रति ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये इस्पात के साधारण मूल्यों में परिवर्तन के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८) ।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (२४६)/५७, दिनांक, १३ अक्तूबर, १९५८ ।

(तीन) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत यह बताने वाला वक्तव्य कि ऊपर (१) और (२) में बताये गये दस्तावेजों की एक-एक प्रति उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

(४) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक, १७ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९१ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों का चुनाव) नियम, १९५८ ।

(दो) दिनांक, १४ जून, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७९ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार नियम, १९५८ ।

(५) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा केरल राज्य के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम् जिलों में की गई लिग्नाइट की खोज के परिणामों के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(६) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक, १३ सितम्बर, १९५८ की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक, १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७९० ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा वेतन, नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक, १३ सितम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७९१ ।

(७) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक, १८ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या २५० ।

(दो) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ९३४ ।

(तीन) भारतीय असैनिक सेवा (गैर योरूपीय सदस्य) भविष्य निधि नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ९७५

(चार) भारत सचिव सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ९७६ ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ९८२ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन . २९१

सरदार हुक्म सिंह ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित किया :

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २९१–९२

श्री आसर ने नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय से कुछ फाइलों के कथित ग़ायब हो जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया। वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

विधेयक—पुरस्थापित २६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

विधेयक पारित . . . . २६५—७०

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त) ने विष (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन . . २७०—८४

विद्युत् तथा कृषि उपमंत्री (श्री हाथी) ने भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . . २८५—९८

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने गंगा बांध परियोजना के बारे में सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा २ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त हुई।

शुक्रवार, २१ नवम्बर १९५८ के लिये कार्यावलि—

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा।